36. श्री प्रद्युम्न राजपूत : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डाबड़ी गांव में स्थित जनरल चौपल -1, एवं जनरल चौपाल-2 के रेनावेशन हेतु सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग सिविल डिविजन- 1 ने एस्टीमेट बनाकर शहरी विकास विभाग को जुलाई 2011 में भेजे थे;

(ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि कई माह बीत जाने के बावजूद शहरी विकास विभाग द्वारा यह एस्टीमेट सैंक्शन नहीं किए गए;

(ग) जन हित के इस प्रकार के कार्यो में विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मंत्रालय क्या कार्यवाही करता है; और

(घ) डाबड़ी स्थित इन दोनों चौपालों के रेनोवेशन का कार्य कब तक आंरभ किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) शहरी विकास विभाग ने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से प्रस्तावों को स्वीकृति देने से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी विभाग के पत्रांक सं. नं. एफ. 18ए(233)/UD/Plg/2010/8388 दिनांक 04.08.2011 द्वारा मांगी थी जो कि दिनांक 04.02.2012 को प्राप्त हुई है। तदनुसार, चौपाल नं. 2 के सम्बन्ध में व्यय स्वीकृति दिनांक 24.05.2012 को जारी कर दी गई है। चौपाल नं. 1 से संबंधित जानकारी अभी भी वांछित है, जिसके लिए विभाग द्वारा दिनांक

17.05.2010 को बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग को अनुस्मरण जारी कर दिया गया है।

(ग) व (घ) तदनुसार लागू नहीं।

37. श्री प्रद्युम्न राजपूत : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सत्य है कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वशिष्ठ कॉलोनी (खसरा नं. 22/6/2/1 (1-10) डाबड़ी गांव) में लगभग 1210 गज का खाली भूखंड है;

(ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि इस भूखंड को 23 मार्च 1968 को डी.डी.ए. को दे दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस भूखंड का स्वामित्व सी.पी.डब्ल्यू.डी. को दिया गया था,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि पिछले 24 वर्षो से इस भूखंड पर किसी भी विभाग द्वारा कोई प्लान अथवा इस भूखंड को लने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ड.) क्या वर्तमान में इस भूखंड पर कोई अवैध अतिक्रमण है;

(च) यदि इतने वर्षो तक सीपीडब्ल्यूडी द्वारा इस भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है तो क्या इस भूमि को दिल्ली सरकार वापस अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है; और

(छ) क्या इस भूमि पर क्षेत्रीय निवासियों की मांग पर कोई जन-उपयोगी कार्य जैसे, समुदाय भवन डिस्पेन्सरी, पोस्ट ऑफिस इत्यादि बनाए जा सकते हैं?

शहरी विकास मंत्री

(क) से (छ) तक सूचना एकत्र की जा रही है।

39. डॉ. जगदीश मुखी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) नई द्वारका रोड़ पर 40 सड़क के पास प्रस्तावित फुटओवर ब्रिज बनाने में अत्याधिक देरी के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त फुटओवर ब्रिज का डी.डी.ए. द्वारा निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्री

(क) इस प्रस्ताव को UTTIPEC ने स्वीकृति नहीं दी थी। इसकी आवश्यकता को देखते हुए प्रस्ताव को पूनः फुट ओवर ब्रिज स्वीकृति कमेटी को स्वीकृति के लिए पुनः भेजा गया है।

(ख) यह निश्चत रुप से नहीं कहा जा सकता है।

40. श्री डॉ. जगदीश मुखी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सीतापुरी में डी.डी.ए. द्वारा प्रस्तावित कम्यूनिटी हाल का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा; और

(ख) इस कार्य को शुरु करने में देरी के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री

(क) सीतापुरी में डी.डी.ए. द्वारा प्रस्तावित कम्यूनिटी हाल का निर्माण कार्य पांच महीने में प्रारंभ कर दिया जायेगा।

(ख) सी.एफ.ओ. से स्वीकृति में देरी के कारण आरकीटेक्ट्स स्कीम स्वीकृत नहीं हो पाई थी।

41. **श्री जय किशन :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) सुल्तानपुर माजरा क्षेत्र में कितनी अनधिकृत कालोनियां स्थित है;

(ख) कितनी कालोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिये गये हैं;

(ग) जिन कालोनियों को सर्टिफिकेट नहीं मिला है क्या उनमें विकास कार्य किये जा सकते है; और

(घ) यदि नहीं तो क्यों?

शहरी विकास मंत्री

(क) सुल्तानपुरा माजरा में 4 अनधिकृत कॉलोनी हैं।

(ख) तीन कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिये गये हैं।

(ग) एवं (घ) इनमें से अनधिकृत कालोनी रजि. सं. 263, 630 व 1309 में विकास कार्य किए जा सकते हैं जबकि अनधिकृत कालोनी रजि. सं. 567 में विकास कार्य सम्भव नहीं है क्योंकि इस कालोनी में अधिकाधिक रेजिडेन्ट ऐसोसियेसन के आपसी मतभेद अभी नहीं सुलझे हैं।

42. श्री जय किशन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सत्य है कि अनधिकृत कालोनियों में विधायक फण्ड से विकास कार्य नहीं किये जा सकते हैं;

(ख) यदि नहीं तो क्यो; और

(ग) इन कालोनियों में कैसे और किस-किस ऐजेन्सी से विकास कार्य करवाये जा सकते हैं?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हाँ

(ख) विधायक निधि योजना के क्षेत्राधिकार को अनधिकृत कालोनियों के कार्य हेतु विस्तार किया जाना अभी शेष है।

(ग) लागू नहीं होता

43. श्री अनिल झा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) अनधिकृत कॉलोनियों में विकास के लिए शहरी विकास विभाग कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए के माध्यम से जो नक्शे उपलब्ध कराए हैं, क्या सरकार उन नक्शों पर विकास कार्य करती है या जिन नक्शों को सर्वे ऑफ इंडिया से डिमार्केट करा गया है उसे ही वैद्य मानती है;

(ख) किन नक्शों पर विकास कार्य किया जाएगा स्थिति स्पष्ट करें;

(ग) किराड़ी विधान सभा की कितनी कॉलोनियों के नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया से डिमार्केट हो करके आ गए हैं उनका स्पष्ट विवरण नक्शों सहित उपलब्ध कराए जांए, क्या नक्शे सीडी या पैन ड्राईव में उपलब्ध कराए जा सकते है;

(घ) अनधिकृत कॉलानियों में विकास कार्य हेतु डीएसआईडीसी के द्वारा जो भी चैकिंग एजेन्सी हायर की गई हैं उसके कार्य करने का क्या तरीका है, कौन सी एजेन्सी हायर की गई है उसके मुखिया का नाम नं. तथा दायित्व क्या हैं, उस एजेंसी के साथ कितने लोग एक कॉलोनी के कार्य करने के लिए एप्वाईट किए जाते हैं; और

(ड.) इन एजेंसियों को कार्य देने की क्या योग्यता है, इन्होंने इससे पहले कितनी कॉलोनियों के चेकिंग कार्य दिल्ली में और दिल्ली से बाहर किया है, पूर्ण ब्यौरा दें?

शहरी विकास मंत्री

(क) एवं (ख) सरकार आर.डब्ल्यू.ए. द्वारा उपलब्ध कराए गए नक्शों पर विकास कार्य नहीं करती परन्तु ये सभी नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया से डिमार्केट कराये गए नक्शे के आधार पर ही विकास कार्य करती है।

(ग) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 106 कॉलोनी के नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया से डिमार्केट होकर आ चुके हैं जो विभाग को आर.डब्ल्यू. ए. आवासीय कल्याण समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये थे। नक्शे के माध्यम से दिये जा सकते है।

(घ) डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इन्डस्ट्रीयल रिसर्च को कॉलोनियों में हो रहे विकास कार्यों को निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्ता अनुरुप

सम्पन्न कराने हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरंस का कार्य दिया गया है, जिसके अन्तर्गत कॉलानियों में किए जा रहे विकास कार्यो में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता कि चैकिंग, किए गए कार्यो की कार्यकुशलता तथा पैमाइश एवं मात्रा का सत्यापन किया जा रहा है। श्रीराम इन्सटीट्यूट के मुखिया का नाम डॉ. आर. के. खंडल है, जिनका दूरभाष नं. 27667267 है। कालोनियों में हो रहे कार्यो के अनुरुप 2 से 3 आदमी एक कालोनी में लगाए जाते हैं।

(ड.) श्रीराम इंस्टीट्यूट को सी.पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल के अनुरुप निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित करने के पश्चात गठित समिति की रिपोर्ट के अनुरुप सितम्बर 2010 में अनुबंधित किया गया हैं। श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इन्उस्ट्रीयल रिसर्च एक जानी मानी संस्था है, जहां गुंणवत्ता से संबंधित सभी प्रकार के शोध कार्य विश्व स्तर के मानको के अनुरुप किए जाते हैं। पिछले छः दशक से अधिक समय से यह संस्था केन्द्र और राज्यों के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता के लिए एक उपयोगी सहायक के रुप में विश्वसनीय संस्था रही है। श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इन्डस्ट्रीयल रिसर्च भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रशिक्षण और संशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा ISO-IEC-17025 के मानकों के अनुसार प्रत्यायन प्रमाणित हैं। डी.एस.आई.आई.डी.सी. में श्रीराम इंस्टीट्यूट को थर्ड पार्टी क्वालिटी इंश्योरेंस हेतु प्रथम बार कॉलोनियों के कार्यो की चैकिंग हेतु अनुबंधित किया गया है।

44. श्री अनिल झा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग ने अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया चालू किया गया है;

(ख) यदि हॉ, तो इस प्रक्रिया में कितने पड़ाव पर हो चुके हैं और पहले कितनी कॉलोनियों को नियमितिकरण की सूची में डाला गया है, उन कॉलानियों के नाम और रजिस्ट्रेशन नं. क्या हैं,

(ग) कॉलोनियों को नियमितिकरण करने के मानक क्या हैं और कौन-कौन से न्यूनतम मानक हैं जिनके आधार पर कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा,

(घ) कॉलोनियों की रेगुलराईज करने में सर्वे ऑफ इंडिया और एमसीडी का क्या रोल है, इससे किस प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जाती है; और

(ड.) सरकार ने पहले कोई सूची तैयार की है जिसके आधार पर एजेन्सियों को काम करने की सीधे जिम्मेदारी दी गई है, संबंधित एंजेंन्सियों को एक कॉलोनी में अधिकतम कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है, इसकी कोई सीमा है?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हाँ।

(ख) एवं (घ) अब तक 1639 प्रार्थना पत्र अनधिकृत कालोनियों के नियमन हेतु प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1018 कालोनियों में विकास कार्य करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया की मदद से नक्शे तैयार किये जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा ले आउट प्लान तैयार किये जायेंगे।

(ग) कालोनी नियमितिकरण के मानक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 24 मार्च 2008 को अधिसूचित ''दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन के विनियम'' के अनुसार है।

(ड.) जी हॉ, इस सम्बन्ध में 1018 कालोनियों (733+285) की सूची शहरी विकास विभग की वैबासाईट पर उपलब्ध है। अधिकतम राशि का कोई प्रावधान नहीं।

45. श्री रमेश बिधूड़ी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) दिल्ली में जनता की सुविधाओं के लिये ग्रीन पानी रहित टॉयलेट बनाने की सरकार की योजना कहां तक सफल रही है;

(ख) इन समय दिल्ली में कुल कितने ऐसे ग्रीन टायलेट इस्तेमाल में लाये जा रहे है;

(ग) महिलाओं के लिए इस प्रकार कितने ग्रीन टॉयलेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कृपया टोटल संख्या बतायें; और

(घ) तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कुल कितने ग्रीन टॉयलेट बनाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्री

(क) उत्तरी, दक्षिणी व पूर्वी दिल्ली नगर निगम मे ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं है। यद्यपि उत्तरी, दक्षिणी एवं पूर्वी दिल्ली नगर निगम में वाटरलेस यूरिनल कार्य कर रहे हे। वर्तमान में इनकी संख्या उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 297, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 231 एंव पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 68 है।

(ख) से (घ) उपरोक्तानुसार।

46. श्री रमेश बिधूड़ी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अन्तर्गत कुल कितने टोल टैक्स केन्द्र संचालित हैं;

(ख) इन सभी टोल टैक्स केन्द्रों से 2010-2011 वर्ष के दौरान सरकार को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(ग) टोल टैक्स वसूलने वाली सभी कम्पनियों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाये?

शहरी विकास मंत्री

(क) कुल टोल-टैक्स केन्द्रों की संख्या 121 है।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा पथकर वसूलने का कार्य निजी ठेकेदार कम्पनी M/s PKSS infrastructure Pvt. Ltd. को वर्ष 16/05/2008 (प्रातः 6.00 बजें) से 16/05/2011 (प्रातः 5.59 बजे) के दौरान निर्धारित ठेका राशि रुपये 563,49,78,660/- (तीन वर्ष के लिए) में दिया हुआ था जिसके फलस्वरुप निगम को दिनांक 16.04.2010 से 15.04.2011 की अवधि में कुल रुपये 192,71,35,321/- राजस्व प्राप्त हुआ।

(ग) वर्ष 2010-2011 के दौरान टोल-टैक्स वसूलने वाली कम्पनी का नाम M/s PKSS Infrastructure Pvt. Ltd. है। वर्ष 2011-2014 के दौरान मैसर्स एस.एम.एा.- ए.ए.एम.डब्ल्यू. टोलवेज प्रा. लिमिटेड है।

47. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली अनधिकृत बस्तियों की सूची में कुल कितनी कॉलोनियां हैं और उनकी संख्या क्या है;

(ख) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कितनी कॉलोनियां वर्ष 1998 तक 1071 की सूची में सम्मिलित थी;

(ग) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2007 व 2008 से पहले विकास कार्य करने संबंधी सभी विभागों द्वारा इनकी एन.ओ.सी. भी प्राप्त की गई थी; और

(घ) यदि हॉ, तो पिछले विधानसभा सत्र से पहले इनके विकास कार्यो को रोके जाने के कारण है और उन विकास कार्यो को आज दिन तक क्यों चालू करने के आदेश नहीं दिये गये?

शहरी विकास मंत्री

(क) सूची संलग्न हैं पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(क्ष) (ग) एवं (घ) वर्ष 2007-08 में अनधिकृत कॉलोनियों से नए दिशा-निर्देश 2007 के अनुसार नये आवेदन पत्र मांगे गये थे। इन आवेदन पत्रों का 1071 कॉलोनियों की सूची से कोई सम्बन्ध नहीं है। 24.03.2008 को अधिसूचित विनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सम्बन्धित विभागों/एजेन्सियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही विकास सम्बन्धी कार्य जा सकते हैं। विगत में कुछ कालोनियों में एक कार्य निष्पादन एजेन्सियों द्वारा ओथैंन्टीकेटिड नक्शे की मांग रखी गई थी, जिन्हें सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाना था, तदानुसार कार्य सम्पादन में कुछ विलम्ब हुआ।

48. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मास्टर प्लान 2012 में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए पहले 2002 तक बनी-विकसित हुई कालोनियों को आधार मानकर नियमित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी थी;

(ख) क्या अब दिल्ली सरकार वर्ष 2002 के बजाय वर्ष 2007 या 2008 को आधार मानकर अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर रही है;

(ग) यदि हॉ, तो क्या इस प्रक्रिया को प्रारम्भ करने से पूर्व न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक है; और

(घ) यदि हॉ, तो सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास मंत्री

(क) यह प्रश्न दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।

(ख) नहीं, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है और 2002 में अनधिकृत कालोनी के होने का मानक अभी भी बाध्य है।

(ग) एवं (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

49. डॉ एस.सी.एल. गुप्ता : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की कौन-कौन सी अनधिकृत कालोनियों के संदर्भ में वन विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपनी आपत्ति दर्ज करायी है, उसका पूरा विवरण दें, और

(ख) भारतीय पुरातत्व विभाग ने जिन अनधिकृत कालोनियों के संदर्भ में अपनी आपत्ति दर्ज करायी है, क्या सरकार उन आपत्तियों को दूर करने के लिए नियमों में किसी प्रकार का बदलाव किया है या करने जा रही है?

शहरी विकास मंत्री

(क) अभी तक प्राप्त अपत्तियों का विवरण संलग्न है। पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) जी नहीं।

50. डॉ. एस.सी.एल. गुप्ता : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जो अनधिकृत कालोनी 1639 अनधिकृत कालोनी की श्रेणी में आती हैं और जिन्हें अस्थायी नियमण प्रमाण पत्र दिया गया है या नहीं दिया गया है, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कहने पर उनमें से कुछ कालोनियों के खसरा नं. वापिस लिये गये हैं,

(ख) उन कालोनियों के खसरा नंबर क्या हैं, और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त खसरा संख्या को अनधिकृत कालोनी से हटा दिया गया है?

शहरी विकास मंत्री

(क) से (ग) जी नहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ कालोलियों के कुछ खसरा नम्बरों को वापस लेने हेतु request अवश्य प्राप्त हुई है जिस पर कार्यवाही अपेक्षित है।

51. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी विकास विभाग में कितनी अनधिकृत कालोनियों के नक्शे जमा है;

(ख) क्या यह सत्य है कि भूमाफियों द्वारा बाद में नक्शों का विस्तार बढ़ाया गया है;

(ग) क्या एक कालोनी के एक ही रजिस्ट्रेशन नं. पर अलग-अलग ब्लॉकों के अलग-अलग नक्शें भी जमा करा सकते हैं; और

(घ) यदि हॉ, तो पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री

(क) शहरी विकास विभाग में 1639 अनधिकृत कालोनी के नक्शे जमा हैं।

(ख) जी नहीं, इस प्रकार की बात किसी भी जांच अथवा न्यायिक प्रकरण में स्थापित नहीं हुई है।

(ग) जी हॉ, नियमन के अनुसार अलग-अलग आर.डब्ल्यू.ए. के द्वारा एक ब्लॉक या अलग-अलग ब्लॉक में एक ही कॉलोनी के रजिस्ट्रेशन नम्बर पर नक्शे जमा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। जिसमें कि उस आर.डब्ल्यू.ए. के पास वहां की कम से कम 75 प्रतिशत जनता सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो।

(ग) सूचि संलग्न है। पुस्तकालय में उपलब्ध है।

52. श्री जयभगवान अग्रवाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 1981 में बुक किए गए प्लाटों का अब आवंटन प्लाटों की छोटी साईज करके दिया जा रहा है, जिस-जिस आवेदक ने 90 मी. का प्लाट बुक किया उसको 60 मी. का जिसने 60 मी. का बुक किया है उसे 48 मी. और जिसने 32 मी. का प्लाट बुक किया उसे 26 मी. का आंबटित किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सन् 1991 के आवेदकों को आज भी प्लाट लीज होल्ड आवंटित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कॉमर्शियल प्लाट एवं आवासीय प्लाट जो नीलामी या टेंडर प्रक्रिया द्वारा आवंटित किए जाते हैं वह सभी फ्री होल्ड होते हैं;

(घ) क्या कारण है कि सन् 1981 के आवेदकों को प्लाट या फ्लैट आवंटित किए जा रहे हैं वह फ्री होल्ड आंवटित किए जा रहे हैं; और

(ड.) डी.डी.ए. द्वारा आवंटियों के साथ दोहरी नीति अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हां, भारत सरकार के द्वारा प्रेषित अर्ध सरकारी पत्र संख्या के -25011/11081 डी.डी.आर. दिनांक 09.07.1999 के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 1981 में बुक किये गए प्लाटों का अब आंवटन प्लाटों का छोटा साइज कर के दिया जा रहा है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1991 ऐसी कोई योजना लागू नहीं की। सन 1981 में पंजीकृत आवेदकों को प्लाट लीज होल्ड पर आवंटित किये जा रहे है।

(ग) हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 19.04.2006 से कोमर्शियल/आवासीय प्लाट टेंडर/नीलामी द्वारा निष्पादित किये जाते है। यह सभी फ्री होल्ड आधार पर दिये जाते है।

(घ) व (ड.) भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत दिनांक 19.04.2006 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डी.डी.ए. (Disposal of Dev of Nazul land) नियम 1981 में 7/2006 में किये गए संशोधन के बाद नीलामी व टैंडर के द्वारा निष्पादित प्लाट फ्री होल्ड आधार पर किये जाते है जबकि 1981 की योजना में पजीकृत आवेदकों को प्लाट पूर्व निर्धारित रेट pre-determinate rate के आधार पर प्लाट आंवटित किये जा रहे है इस लिए उनका आवंटन लीज होल्ड आधार पर होता है।

53. श्री जयभगवान अग्रवाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने पार्षद को एवं सरकारी विभागों द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभाग द्वारा मोबाईल फोन आवंटित किए जाते है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली विधान सभा के सदस्यों तथा मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विधान सभा द्वारा आज तक आवंटित नहीं किए गए; और

(ग) क्या सरकार की मोबाईल फोन देने की कोई योजना है, यदि हॉ, तो कब तक यह योजना कब तक क्रियान्वित की जाएगी?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हॉ। दिल्ली नगर निगम द्वारा अपने पार्षद को तथा वित्त विभाग (स्थापना शाखा-1). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आध ार पर सा. प्र. वि. द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मोबाइल फोन आबंटित किए जाते हैं।

(ख) जी हॉ, मोबाइल फोन आवंटित नहीं किए गए।

(ग) नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव विधानसभा सचिवालय में विचाराधीन नहीं है।

54. श्री जयभगवान अग्रवाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि नाहरपुर गांव सै.-7 राहिणी के चारों तरफ दिल्ली विकास प्राधिकरण की खाली भूमि पड़ी है; और

(ख) यदि हॉ, तो उस खाली पड़ी जमीन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की क्या योजना हैं, और वह कुल कितनी भूमि है, पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हॉ।

(ख) विषय विचाराधीन है।

55. श्री देवेन्द्र यादव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सत्य है कि भलस्वां गांव में डी.डी.ए. की काफी बड़ी जमीन पड़ी हुई है जिस पर बहुउद्देशीय पार्क (पार्किग, चिल्ड्रनपार्क, फंक्शन साईट, स्वीमिंग पुल) बनाने का निर्माण कार्य 5-6 वर्ष पूर्व शुरु किया गया था;

(ख) यदि हॉ, तो इसमें अभी तक कितने प्रतिशत कार्य किया गया है, बाकी बचा हुआ कार्य कब तक शुरु कर दिया जाएगा तथा इसे कब तक पुरा कर दिया जाएगा;

(ग) भलस्वा गांव व इसके साथ लगते हुए जहांगीर पुरी के आई.जे. ब्लाक में कोई भी सामुदायिक भवन का प्रयोजन किया जा सकता है;

(घ) भलस्वा गांव की कितनी जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है उसका खसरा न. वाईज पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए तथा दिल्ली विकास प्राधि करण की उस जमीन पर क्या बनाने की परियोजना है, उसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएं; और

(ड.) दिल्ली विकास प्राधिकरण का बहुउद्देशीय पार्क का ले आउट प्लान उपलब्ध कराया जाए?

शहरी विकास मंत्री

(क) हां, सत्य है।

(ख) इसमें 20% कार्य पूर्ण है। शेष कार्य चल रहा है। कार्य 2013 तक पूरा हो जाएगा।

(ग) ऐसी कोई योजना नहीं है।

(घ) अभी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ड.) यथा।

56. श्री देवेन्द्र यादव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में जब कोई गरीब व्यक्ति अपने मकान का निर्माण करता है या अपने पुराने जर्जर हो चुके मकान की मरम्मत करता है तो दिल्ली पुलिस व दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी उस कार्य को करने से रोक देते हैं;

(ख) ऐसी कॉलोनियों में नये मकान बनाने व पुराने मकान की रिपेयर करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्या दिशा निर्देश तय किए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अनधिकृत कॉलोनियों में नए मकान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा नक्शे पास नहीं किए जाते; और

(घ) यदि हॉ, तो भविष्य में इन कॉलोनियों के नक्शे पास करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई जा रही है?

शहरी विकास मंत्री

(क) दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों में कोई व्यक्ति मकान का निर्माण नहीं कर सकता है, लेकिन वह अपने पुराने जर्जर मकान को नियमानुसार मरम्मत करा सकता है।

(ख) प्रतिलिपि संलग्न है।

(ग) जी हॉ नियमानुसार अनधिकृत कालोनी नियमितिकरण से पूर्व ये नये भवन निर्माण नहीं किये जा सकते हैं।

(घ) भविष्य में अनधिकृत कालोनियों के नियमानुसार नियमितिकरण के उपरान्त नये भवन निर्माण के लिए नक्शे नियमानुसार पास करवाये जा सकेंगे।

GOVERNMENT OF THE NCT OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT)
5. SHAM NATH MARG,

No. F-27/SDM/KJ/2010/96 Dated the 30th March, 2011

ORDER

Sub. : Constitution of a sub-Division Level Special Task Force.

In continuation to Order No. 13 (32)/92/LSG/UD/616 dated August 7, 1996 constituting District Task Forces for each district, the Lieutenant Government of the National Capital Territory of Delhi is pleased to establish with immediate effect, a Special Task Force for each Sub-Division of each district of Delhi with the following composition :

(i)	Sub-Divisional Magistrate of the Sub-division	Convener
(ii)	Assistant Commissioner of Police of the sub-division	Member
(iii)	Deputy Director/Executive Engineer of DDA	Member
(iv)	Zonal Assistant Commissioner of MCD	Member
(v)	Executive Engineer of PWD	Member
(vi)	BDO of Panchayat Department, GNCTD	Member

2. Representatives' of other land owning agencies, such as L&Do to be inducted as and when necessary.

3. The functions and responsibilities of the Special Task force shall be to :

   (i) act on information and intelligence gathered from various sources regarding encroachments and constructions of unsafe and unauthorized buildings.

   (ii) activate land owning agencies to protect and recover encroached lands.

(iii) act against unauthorized/unsafe constructions whether on public or private lands.

(iv) initiate action against encroachers/builders of unsafe/ unauthorize buildings which shall primarily west in the land owning agencies including demolition in such cases as may be required.

(v) Additionally, removal of debris from the demolition site and protective measures for the future including fencing of the retrieved land, shall be the responsibility of the land-owning agency.

(vi) The STF however shall assist the land owning agencies by initiating action under the provisions of Chapter X of the Criminal Procedure Code, 1973, specifically under sections 133, 142 and section 188 of the IPC, 1860. In this context attention is also invited to the provisions of the Delhi Police Act, 1978 to deal with encroachments/ unauthorized construction Father encroachment on public lands amount to criminal trespass (under section 441 of IPC, 1860). A model order is appended as Annexure-I.

(vii) The STF shall launch prosecutions under the various provisions of law cited in clause (vi) above and the police shall register cases. Disobedience of orders by any police officer is punishable under section 291 of IPC, 1860. In all cases of illegal constructions (whether by virtue of being unauthorized or constituting an encroachment) prosecution of the owner/occupier and the builder contractor, architect must be undertaken promptly in accordance with law by the local municipal bodies too under the supervision of the STF (section 467 of the DMC Act and section 373 of the NDMC Act etc.)

(viii) The STF shall be assisted by three investigating teams each under an Assistant Commissioner of Police. An

Additional Commissioner of Police shall be in-charge of the investigating teams. The additional Commissioner of Police will have a Deputy Commissioner of Police to assist him. While this will be the formal strength of the Special task Force, the Task Force can draw upon extra personnel from the police ranges.

(xi) The Home Department of the Government of the NCT of Delhi shall place the services of a Prosecutor at the disposal of the Task Force(s).

(x) The Special Task Forces shall be deemed to be police stations for the registration and investigation of cases under the IPC, 1860 and Local and Special Laws including the Prevention of Corruption Act (a separate order shall be issued by the Home department in this regard).

(xi) The STF shall file caveats in courts to obviate anyone seeking judicial intervention to shall action

(xii) The Task Forces shall submit regular progress reports on the cases taken up.

(xiii) The STF would have authority cutting across jurisdiction of various land owning agencies.

(xiv) Members of the STF have to attend meetings of the STF personally and cannot depute their subordinates to represent them.

(xv) In terms of the order of the Hon' Delhi High Court in CWO 4771/93 dated November 3,1997 the Junior Engineers and the Station House Officers would be personally responsible for any encroachment or unauthorized structures coming up in their jurisdiction.

(xvi) The District Task Force will continue to monitor and coordinate the functioning of the STF.

(xvii) In unauthorized colonies under consideration for regularization only (other localities fall within the jurisdiction of the appropriate local body), any owner of a residential unit intending to carry out repairs/maintenance can make an application to the Sub-Divisional Magistrate, Chairman the Special Task Force concerned, for permission to carry out the said repair and maintenance works.

(xviii) The repairs and maintenance permissible shall be as defined under bye-law 6.4.1 of the MCD bye-laws (Annexure-2).

(xix) The application shall be submitted on Plain paper and shall be accompanied with photographs indicating the exact nature and extent of the repairs and maintenance proposed. The application shall indicate the time schedule within which the repairs/maintenance shall be carried out.

(xx) On submission of such an application for repair/maintenance, the Special Task Force headed by the sub-Divisional Magistrate shall accord or refuse (with cogent reasons for doing so) seven working days of receipt of the application.

(xxi) The approval shall be valid for the period within which the work is expected to be completed.

(xxii) On the date the work was to be completed the applicant/owner shall provide photographic evidence of the work carried out or, if required, apply for time extension with reasons. On an application for extension the Special Task Force shall examine the same and pass appropriate orders. If the work is reported to be completed, the Special task Force shall inspect the site to verify the veracity of the works carried out.

(xxiii) regular monitoring of unauthorized constructions and encroachments and specific of approved repair works (both during and after the repairs are carried out) shall be the responsibility of the STF.

(xxiv) The STF shall submit a monthly report to the DTF and the Deputy Commissioners as Chairman of the DTF shall submit a report to the Divisional Commissioner for furnishing a report to the offices of HE LG, Hon'ble Chief Minister, Hon' Revenue Minister, Hon'ble Urban Development Minister, and heads of land owning agencies.

(xxv) The reports referred to in (xxiv) shall be submitted by the 5th of each successive month and shall cover the period up to 25th of the preceding month.

By Order and in the name of
the Licutenant Governor

Sd/-
(D.M. SPOLIA)
Principal Secretary
Revenue Department
Government of the NCT of Delhi

No. F-27/SDM/KJ/2010/56 Dated the 30th March, 2011

Copy forwarded for compliance to :

1. Principal Secretary (Power), GNCTD.
2. Commissioner, Municipal Corporation of Delhi.
3. Vice-Chairman, DDA.
4 Principal Secretary, Public Works Department, GNCTD.
5. Chairman, NDMC.

6. Chief Executive Officer, Delhi Jal Board.
7. Principal Secretary (Home), GNCTD.
8. Commissioner of Police, I.P. Estate, New Delhi-110002 [kind attention is invited to sub-para (viii) of para 3 for necessary action and with the request that the order may kindly be circulated to all concerned]
9. Secretary (Urban Development), GNCTD.
10 Land & Development Officer, M/o Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi.
11. All Deputy Commissioners (Revenue), GNCTD
12. Special Inspector General of Registration, Revenue Department, GNCTD.
13. Additional Secretary (Revenue), GNCTD.
14. All Deputy Commissioners of Police.
15. Director (Panchayat), GNCTD.
16. All Sub-Divisional Magistrates
17. All sub-Divisional Magistrates (Headquarters).
18. All Assistant Commissioners of Police.
19. Guard file.

Copy for information to :

1. Principal Secretary to HE Lt. Governor for information of HE LG.
2. Principal Secretary to Chief Minister for information of Hon'ble CM.

3. Secretary to Hon' Minister (Revenue & Health) for information of Hon'ble Minister.
4. Secretary to Hon' Minister (Urban Development & PWD) for information of Hon' Minister.
5. Secretary to Hon' Minister (Development & Food & Supplies) for information of Hon' Minister.
6. Secretary to Hon' Minister (Education & Gurudwara Election) for information of Hon.' Minister.
7. Secretary to Hon' Minister (Labour& Industries) for information of Hon' Minister.
8. Secretary to Hon' Minister (Social Welfare & Women & Child Development) for information of Hon' Minister.
9. OSD to Chief Secretary, GNCTD.

Sd/-

(D.M. SPOLIA)
Principal Secretary
Revenue Department
Government of the NCT of Delhi

59. श्री ओ.पी. बब्बर : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सत्य है कि शंकर गार्डन के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य ठेकेदार को कार्य आवंटन होने के बावजूद लंबित हैं;

(ख) उक्त योजना के विलम्ब का क्या करण है तथा इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ग) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हॉ.

(ख) इस भूखण्ड पर स्लम विभाग का पुराना जन सुविधा कॉम्पलैक्स बना हुआ है, जो कि बन्द पड़ा है। इसको तोड़ने के बाद कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है। इस भूखण्ड मिलने के उपरांत इस कार्य को पूरा करने में लगभग 15 महीनें लगेंगे।

(ग) उपरोक्तानुसार

60. श्री ओ. पी. बब्बर : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सत्य है कि शंकर गार्डन स्थित संगीतमय फव्वारा चालू हालत में नहीं है;

(ख) यदि हॉ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कब तक ठीक हो जाएगा?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हॉ, यह सत्य है।

(ख) संगीतमय फव्वारा एक आवश्यक सेवा नहीं होने व बजट Constraints की वजह से यह कार्य प्राथमिकता में नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

61. श्री ओ. पी. बब्बर : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के निर्णय की अनुपालना में पश्चिमी दिल्ली के लाला गणेश दास मार्ग को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए एम.सी.डी. की इंजीनियरिंग शाखा द्वारा व्यापक योजना बनाई गई थी;

(ख) यदि हॉ, तो इसके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) आउटर रिंग रोड़ को नजफगढ़ से जोड़ने वाले गणेश दास खत्री मार्ग को कब तक चौड़ा कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हॉ उपराज्यपाल महोदय ने विधायक श्री ओ.पी.बब्बर द्वारा उठाए गए इस विषय को उचित कार्यवाही हेतु पश्चिमी क्षेत्र दिल्ली नगर निगम को प्रषित किया था। तत्पश्चात इस खण्ड द्वारा लाला गणेश दास खत्री मार्ग पर मोजूद विभिन्न बाधाओ/ अवरोधकों को हटाने हेतु सम्बधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करने के लिए प्रार्थना की थी। इस रोड़ से शिव भोला मन्दिर को हटाया जाना है जो दिल्ली सरकार गृह विभाग (धार्मिक कमेटी)

के समक्ष विचावधीन है। इसके अतिरिक्त इस रोड़ से बिजली ट्रांसफार्मर, एम. टी.एन.एल. बक्सों तथा दिल्ली जल बोर्ड के चैम्बर्स को बी.एस.ई.एस., एम. टी.एन.एल. एवं जल बोर्ड विभाग द्वारा स्थानांतरित किया जाना है। इन कार्यो हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा इन सेवाओं के स्थानांतरण पश्चात् ही रोड़ को चौड़ा करने की योजना अमल में लाई जा सकती है।

(ख) उपरोक्तानुसार

(ग) उपरोक्तानुसार

62. श्री विपिन शर्मा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

(क) क्या यह सत्य है कि रोहताश नगर विधानसभा क्षेत्र लोनी रोड़, पर राठी मिल की भूमि का कुल कितना भाग दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राठी मिल के मालिकों से लेकर चार दिवारी करके अपने कब्जे में लिया हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस भूमि पर दिल्ली सरकार द्वारा कोई पार्क बनाने की योजना है, यदि हॉ, तो कब तक, क्या जनहित में क्षेत्रवासियों के लिए पार्क बनाया जाएगा; और

(ग) क्या पार्क बनाने के विषय पर कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

शहरी विकास मंत्री

(क) श्री के एल. राठी मिल से 1.84 एकड़ भूमि का कब्जा लिया हैं, जिसकी चार दिवारी डी.डी.ए. के सिविल विभाग द्वारा कर दी गई है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त भूमि पार्क के रुप में विकसित किया जायेगा।

(ग) समय सीमा पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

63. श्री विपिन शर्मा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि शाहदरा जी.टी. रोड़ पर थाने के साथ वाली भूमि का एक भू-भाग दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि के मालिकों से लेकर उसकी चार दिवारी कर रखी है;

(ख) यदि हॉ, तो क्या इस भूमि पर दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की कोई योजना बनाई जा रही हैं;

(ग) यदि हॉ, तो कब तक इस संबंध मे कार्य शुरु कर दिया जाएगा, यदि नहीं तो इसके लैंडयूज किस कार्य हेतु किया जाएगा, और

(घ) क्या जनहित में शहरी विकास विभाग समुदाय भवन का निर्माण शीघ्र कर देगा इसका पूरा ब्यौरा दें?

शहरी विकास मंत्री

(क) प्रश्न भूमि नजूल भूमि है तथा नजूल एग्रीमैंट 1937 से डी.डी.ए. के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट केस खारिज होने के बाद साल 2009 में प्रश्न भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त करवा कर डी.डी.ए. की चारदीवारी व साईन बोर्ड लगाये गये हैं। यह भूमि चिरागाह शुमाली की भूमि है।

(ख) योजना विभाग, डी.डी.ए से विचाराधीन है।

(ग) एंव (घ) उपरोक्तानुसार

64. श्री विपिन शर्मा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि डी-1 अशोक नगर के पीछे मेन वजीराबाद रोड़ के पास भूमि का एक बड़ा भू-भाग आज भी खाली पड़ा है;

(ख) यदि हॉ, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस भू-भाग को अपने अधिकार में लिया हुआ है;

(ग) यदि हॉ, तो क्या इस खाली पड़ी भूमि पर क्षेत्रवासियों के हित के लिए दिल्ली सरकार कोई अस्पताल का निर्माण करने जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भूमि का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्री

(क) जी हॉ।

(ख) जी हॉ।

(ग) निर्णय मास्टर प्लान 2021 के अनुसार ही लिया जायेगा।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

65. श्री सुरेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोकुल पुर विधान सभा क्षेत्र में डीडीए. ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की भूमि कहॉ-कहॉ पर स्थित है; और

(ख) सभी भूमियों का खसरा नं. तथा स्थान चिन्हित करे प्रति उपलब्ध कराई जाए?

शहरी विकास मंत्री

(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में डी.डी.ए. के अधिकार क्षेत्र में ग्राम सभा भूमि का विवरण चार भागों में बांटा गया है।

1. **गेकुलपुर :** कोई ग्राम सभा भूमि डी.डी.ए. के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

2. **सबौली :** डी.डी.ए. के अधिकार क्षेत्र वाली ग्राम सभा भूमि जैसी हैं, जहॉ हैं के आधार पर रेलवे लाईन व/सबौली विस्तार के साथ में भिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

3. **जीवनपुर :** कोई भी ग्राम सभा भूमि डी.डी.ए. के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

4. **हर्ष विहार :** कोई भी ग्राम सभा भूमि डी.डी.ए. के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उपरोक्त क्षेत्र में डी.डी.ए. की भूमि वजीराबाद रोड़ के साथ-साथ मंडोली विस्तार, हरिजन बस्ती, गांव सबौली विस्तार वह गोकलपुर गांव के आस-पास स्थित है। ग्राम पंचायत व ग्राम सभा की भूमि गांव गोकुलपुर, जौहरीपुर व मंडोली में स्थित है।

(ख) ग्रामसभा गोकुलपुर, जौहरीपुर व मंडोली के समस्त असल ग्रामसभा खसरा नम्बरों की सूची संलग्न है।

STATUS OF GRAM SABHA LAND VILLAGE MANDOLI

S.No.	*Khasra No.*	*Area*	*Kind of Land*	*Status of Land*
1.	25/23	1-6	Gram sabha Kabil kast Machkoor	Plots under 20 point programm
2.	28/16	3-0	-Do-	Govt. School
3.	29/19/2	2-14	-Do-	Fully encroached
4.	29/20	3-14	-Do-	Govt. School
5.	31/3	0-18	-Do-	Kabristan
6.	31/4	3-4	-Do-	Kabristan
7.	33/5/2	0-8	-Do-	Encroached
8.	34/10/1	2-10	-Do-	Vacant
9.	25/22	4-16	Mavesian	Plots under 20 point programme
10.	31/2	4-3	Mavesian	Plots under 20 point programme
11.	104	12-14	Kabristan	Kabristan
12.	105	5-15	Kabristan	Kabristan
13.	22/5	1-5	Hadwari	Govt.School
14.	26/16	3-16	Middle School	Govt. School
15.	26/17	4-4	Middle School	Govt. School
16.	26/18/1	1-6	Middle School	Govt. School
17.	282 min	3-6	Middle School	Govt. School
18.	278	1-15	Middle School	Govt. School
19.	538	0-5	Bus Stand	Vacant protect with Boundary wall
20.	533	2-2	Dispensary	Encroached
21.	532	0-11	Youth Club	Encroached

Contd...

1	*2*	*3*	*4*	*5*
22.	531	1-0	Panchayat Ghar	Encroached
23.	554/2	0-15	Panchayat Ghar	Panchayat Ghar
24.	620	0-17	Panchayat Ghar	Encroached
25.	529	0-10	Bhodh Mandir	Bhadh Mandir
26.	530	1-0	Gurudwara	Gurudwara
27.	283	0-7	Mandir Vaishno Devi	Mandir Vaishno Devi
28.	365	0-11	Mata Mandir	Mata Mandir
29.	528	0-2	Tatti Mastrai	Vacant
30.	539	0-8	Awa Kunahran	Encroached
31.	554/1	0-17	Maszid	Maszid/Madarsa
32.	553/2	0-15	Tanki	DJB
33.	609	0-7	Khal	Encroached
34.	86	41-02	Abadi (lal Deh)	Abadi (lal Deh)
35.	87	18-13	Rasta	Rasta
36.	88	2-10	Rasta	Rasta
37.	96	8-12	Rasta	Rasta
38.	97	4-10	Rasta	Rasta
39.	98	4-7	Rasta	Rasta
40.	99	4-6	Rasta	Rasta
41.	100	12-14	Rasta	Rasta
42.	101	6-9	Rasta	Rasta
43.	106	1-6	Rasta	Rasta
44.	121	0-6	Rasta	Rasta

Contd...

1	*2*	*3*	*4*	*5*
45.	285	0-14	Rasta	Rasta
46.	340.	3-12	Rasta	Rasta
47.	542	1-13	Rasta	Rasta
48.	547	0-5	Rasta	Rasta
49.	550	0-4	Rasta	Rasta
50.	581	0-5	Rasta	Rasta
51.	556	0-14	Rasta	Rasta
52.	564/1	0-14	Rasta	Rasta
53.	562/2	0-1	Rasta	Rasta
54.	565	0-1	Rasta	Rasta
55.	566	0-3	Rasta	Rasta
56.	567	0-5	Rasta	Rasta
57.	568	0-10	Rasta	Rasta
58.	575	0-1	Rasta	Rasta
59.	576	0-9	Rasta	Rasta
60.	577	0-12	Rasta	Rasta
61.	580/4	0-2	Rasta	Rasta
62.	581	0-3	Rasta	Rasta
63.	585	0-3	Rasta	Rasta
64.	587	2-6	Rasta	Rasta
65.	591	1-12	Rasta	Rasta
66.	594	0-3	Rasta	Rasta
67.	595	0-1	Rasta	Rasta

Contd...

1	*2*	*3*	*4*	*5*
68.	597/6	0-7	Rasta	Rasta
69.	603	0-12	Rasta	Rasta
70.	605/7	0-11	Rasta	Rasta
71.	607	1-10	Rasta	Rasta
72.	611	0-13	Rasta	Rasta
73.	613	0-1	Rasta	Rasta
74.	615	0-13	Rasta	Rasta
75.	621	0-8	Rasta	Rasta
76.	622/13	0-4	Rasta	Rasta
77.	622/25	0-4	Rasta	Rasta
78.	624	15-19	Rasta	Rasta
79.	625	0-6	Rasta	Rasta
80.	626	2-6	Rasta	Rasta
81.	627	0-16	Rasta	Rasta
82.	628	1-5	Rasta	Rasta
83.	629	1-7	Rasta	Rasta
84.	630	1-5	Rasta	Rasta
85.	631	0-6	Rasta	Rasta
86.	632	1-0	Rasta	Rasta
87.	633	3-6	Rasta	Rasta
88.	634	3-3	Rasta	Rasta
89.	635	2-16	Rasta	Rasta
Grant Total		**229-17**		

STATUS OF GRAM SABHA LAND VILLAGE GOKALPUR

S.No.	*Khasra No.*	*Area*	*Kind of Land*	*Status of Land*
1.	1&5min	1-19&3-16	MCD School	
2.	8/1	0-6	Road	
3.	242	0-9	Drain	
4.	300/1	2-04	Developed Water Body	
5.	656	0-18	Water Body	Encroachment Heavy Built-up
6.	657	0-12	Water Body	Encroachment Heavy Builtup
7.	331	0-3	Chahpukta	Rasta
8.	299	34-14	Abadi Deh	Village Gokalpur
9.	1007/963/302	0-03	Rasta	
10.	403min	1-12	Rasta	
11.	591	0-03	Rasta	
12.	5min	1-0	Developed Samshan Ghat	
13.	241min	0-07	Abadi	Encroachment Heavy Built-up
	Grant Total	**48-04**		

STATU OF GRAM SABHA LAND VILLAGE JIWANPUR@ JOHARIPUR

No.	*Khasra No.*	*Area*	*Kind of Land*	*Status of Land*
1.	14/26	0-4	Chahpukhta	Encroached
2.	40/2min	0-01	Chahpukhta	Encroached
3.	6/16/2/2	1-5	Water Body	Shmshan Ghat
4.	6/17/1	2-16	Water Body	Shmshan Ghat
5.	21	2-14	Dahna	
6.	24	4-9	Road	Road
7.	27	4-8	Road	Road
8.	28	2-16	Road	Rasta
9.	25	5-16	Rasta	Rasta
10.	26	2-01	Rasta	Rasta
11.	33	0-19	Rasta	Rasta
12.	72	0-02	Rasta	Rasta
13.	73	0-01	Rasta	Rasta
14.	90	0-02	Rasta	Rasta
15.	94	0-02	Rasta	Rasta
16.	109	4-02	Rasta	Rasta
17.	110	0-12	Rasta	Rasta
18.	111	1-5	Rasta	Rasta
19.	112	1-0	Rasta	Rasta
20.	113	0-7	Rasta	Rasta

Contd...

No.	*Khasra No.*	*Area*	*Kind of Land*	*Status of Land*
21.	114	0-6	Rasta	Rasta
22.	115	0-6	Rasta	Rasta
23.	116	1-8	Rasta	Rasta
24.	117	0-4	Rasta	Rasta
25.	118	0-5	Rasta	Rasta
26.	119	0-8	Rasta	Rasta
27.	6/24/2min	1-3	Nala	Nala
28.	22	11-8	Nala	Nala
29.	38	4-19	School	School
30.	20	19-16	Abadi Deh	Village Joharipur
	Grand Total	**75-05**		

66. श्री सुरेन्द्र कुमार : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में एम.सी.डी. द्वारा 2008 से लेकर 2012 तक कहॉ-कहॉ कार्य किए गए हैं।

(ख) विधायक निधि से कितना खर्च किया गया व कितना बाकी बचा हुआ है; और

(ग) कितनी सेविंग हुई है, प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए?

शहरी विकास मंत्री

(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली नगर निगम (दिल्ली नगर निगम) द्वारा गोकुल पुर गांव, गोकुल पुरी पुर्नवास कॉलोनी, पूर्वी गोकुल पुर, जोहरीपुर गांव, सबौली गांव व मण्डोली गांव में कार्य किए गए।

(ख) विधायक निधि का विवरण निम्न है: (राशि लाखों में)

वर्ष	उपलब्ध फंड की राशि	बुक राशि	बचत राशि
2009-10	175.28	152.10	23.18
2010-11	270.51	220.25	50.26
2011-12	155.70	75.97	79.73

उपलब्ध फंड की राशि में पूर्व वर्ष की बचत राशि सम्मिलित है।

(ग) उपरोक्तानुसार

67. श्री नरेश गौड़ : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कुल नगर निगम की कितनी सड़कें हैं, लोक निर्माण विभाग की कितनी हैं तथा डी.डी.ए. की कितनी हैं,

(ख) उपरोक्त कितनी सड़कों पर लाईट की व्यवस्था नहीं है, और

(ग) यदि स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था नहीं है तो क्यों नहीं है इसके क्या करण हैं?

शहरी विकास मंत्री

(क) दिल्ली में दिल्ली नगर निगम की सड़कों की संख्या 3671 है, जिनमें से 60 से उपर की सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. को स्थानान्तरित कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग की 159 सड़कें हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास सड़कों की सूची संलग्न है (अनुलग्नक 'क')

(ख) व (ग) दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की सभी सड़कों में लाईट की व्यवस्था है तथा लोक निर्माण विभाग की 38 सड़कों में लाईट की व्यवस्था नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़के है:-

रोहिणी क्षेत्र-

1. 30 मी. चौड़ी सड़क/मास्टर प्लान सैक्अर 20 से 23 7 कि.मी.
2. 40 मी. चौड़ी सड़न/मास्टर प्लान से सैक्टर 23 व 24 1.5 कि.मी.
3. 60 मी. चौड़ी सड़न/मास्टर प्लान सैक्टर 23 व 24 2 कि.मी.

4. 45 मी. चौड़ी सड़न, सै. 11 से बवाना औछंदी - 1.0 कि.मी

5. 9.0 मी. चौड़ी सड़क, सै. 23 से सै. 26 तक 10.05 कि.मी.

6. 12 मी. -यथा- 12.193 कि.मी.

7. 20 मी. -यथा- 7.442 कि.मी.

8. 24 मी. -यथा- 9.954 कि.मी.

9. 8 मी. -यथा- 1.29 कि.मी.

10. डिस्ट्रिक सेंटर से 2 सड़कें हैं प्रत्येक 1 कि.मी.

11. 30 मी. चौड़ी 2 नं. प्रत्येक 1.80 कि.मी.

12. 45 मी. चौड़ी सड़क लम्बाई - 3.00 कि.मी.

13. 45 मी. चौड़ी सड़क लम्बाई - 2.50 कि.मी.

14. 24 मी. चौड़ी सड़क लम्बाई - 1.50 कि.मी.

15. 24 मी. चौड़ी सड़क, लम्बाई - 2.25 मि.मी.

उत्तरी क्षेत्र

1. इस क्षेत्र में कुल 22 सड़कें है।

दक्षिणी क्षेत्र : मास्टर प्लान रोड़ नेल्सन मंडेला सड़क व अरुणा आसफ अली सड़क को जोड़ती है, जिसकी कुल लम्बाई 2.50 कि.मी. है।

राष्ट्रमंडल खेल

1. 45 मी. चौड़ी सड़क पंखा रोड़ द्वारका द्वार से एन.एच.-8, जिसके अन्तर्गत 2 अंडरपास तथा एक फलाई ओवर आता है।

2. 60 मी. चौड़ी सड़क द्वारका लिंक रोड़ 21 से समालखा, जिसके अन्तर्गत एक अंडरपास सम्मिलित है।

3. आर. ओ. बी. रिवाड़ी लाइन, पंखा रोड़, इन्टरसैक्शन और हाफ ट्रम्पेट जेल रोड क्रिबी प्लेस के बीच की रोड़।

द्वारका

1. द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास सड़कों की कुल लम्बाई 38.41 कि.मी. है।

पूर्वी क्षेत्र

1. लोक नायक पुरम, शास्त्री पार्क डिस्ट्रिक सैन्टर, खजूरी खास सामुदायिक केन्द्र, आई.पी. एक्सटेंशन ई.फ्रा. सेन्टर गाजीपुर, लक्ष्मी नगर, जिला केन्द्र, व्यापारिक केन्द्र शाहदरा, विश्वास नगर, कस्तूरबा, दिलशाद गार्डन, आर ब्लॉक की सड़कें दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आती हैं।

68. श्री प्रद्युम्न राजपूत : क्या लोक निर्गाण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत डाबड़ी गांव में ग्राम सभा द्वारा आवंटित 80 वर्ग गज के प्लॉट नं. 19, 20, एवं 21 तथा अन्य कुछ प्लॉट रास्ता बनाने हेतु लिए गए थे;

(ख) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि जिन लोगों के प्लॉट्स रास्ता बनाने के दौरान लिए गए थे उनको अभी तक कोई भी वैकल्पिक प्लॉट नहीं दिए गए है;

(ग) यदि हॉ, तो इसके क्या कारण है और क्या यह अन्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं है;

(घ) रास्ता बनाने अथवा इसी प्रकार का काई सार्वजनिक हित का कार्य करने पर किसी की भूमि लेने पर प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक भूमि अथवा मुआवजा देने की क्या नीति है, और

(ङ) डाबड़ी गांव के इन प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक प्लॉटस देने की क्या योजना है?

निर्माण मंत्री

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्त।

(घ) विभागीय नीति की प्रति संलग्न है पुस्तकालय में स्थित है।

(ङ) भाग 'क' के अनुसार लागू नहीं।

69. श्री साहब सिंह चौहान : क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग की प्रार्थना पर डीडीए ने RDJK सीनियर सेकेंडरी स्कूल भजनपुरा शिफ्ट करके भजनपुरा थाने के सामने पड़ी खाली जमीन पर स्कूल चलाने की अनुमति प्रदान की थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक इस जमीन की हस्तानातंरका डी.डी.ए. ने शिक्षा शिक्षा विभाग को नहीं किया है; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति है और बच्चों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए डी.डी.ए. कब तक शिक्षा विभाग को उक्त संबंधित भूमि हस्तानान्तरित कर देगा?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हॉ। इस संबंध में मौखिक अनुमति प्रदान की गई थी।

(ख) जी हॉ।

(ग) विभाग द्वारा डी.डी.ए. को भूमि आबंटन हेतु प्रार्थना की गई है जो अभी तक डी.डी.ए. स्तर पर विचाराधीन है।

70. श्री कुलवन्त राणा : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के बाद उनको वैकल्पिक प्लाट देने का प्रावधान है, यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि पिछले 15-20 वर्षो से किसानों को प्लाट मंजूरी प्रमाण पत्र नहीं दिये गये है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि किसी बाहर के व्यक्ति को प्लाट मंजूरी प्रमाण पत्र दिये गए और संबंध में मामला जांच एजेंसी के पास है, बाहर के व्यक्ति को प्लाट मंजूरी प्रमाण पत्र दिये जाने के क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दिया जाये;

(ग) दिल्ली के किसानों को प्लाट मंजूरी प्रमाण पत्र न दिये जाने के क्या कारण हैं, और इस संबंध में सरकार एवं विभाग की क्या मंशा है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि डी.डी.ए अपने प्लाटों की कीमत प्रति वर्ष बढ़ा देता है और किसानो को उसकी भूमि से अधिक प्लाट की कीमत चुकानी पड़ती है;

(ङ) यदि हॉ, तो किसान इन बढ़ी हुई दरों से भुगतान कैसे कर पायेंगे? क्या यह किसानों के साथ अन्याय नहीं है और उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा;

(च) दिल्ली के किसानों को वैकल्पिक प्लाटों के मंजूरी प्रमाण पत्र कब तक प्रदान करने प्रारंभ किये जायेंगे व कब तक सभी को प्रदान कर दिये जायेंगे?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हॉ, यह सत्य है कि दिल्ली में किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के बाद उनको वैकल्पिक प्लाट देने का प्रावधान हैं। जी नहीं, यह सत्य नहीं है कि पिछले 15-20 वर्षो से किसानों को प्लाट मंजूरी प्रमाण पत्र नहीं दिये गये हैं।

(ख) जी हॉ। एक मामला सतर्कता निदेशालय को वास्तविक स्थिति/तथ्यों का पता लगाने के लिए भेजा गया है और इस संदर्भ में सतर्कता निदेशालय की रिपोर्ट अपेक्षित है। इस संदर्भ में विभाग के पास अभी विवरण/तथ्य उपलब्ध नहीं है।

(ग) वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण को अभी आवेदनों की अनुशंसा करने की प्रक्रिया को शुरु कर दिया गया है। विभाग द्वारा आवंटन की प्रक्रिया को सरल, व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है। इन आवेदनों के निपटान एवं आम लोगों की जानकरी एवं पारंदर्शिता बनाये रखने हेतु इससे

संबधित सभी विवरण विभाग की वेबसाईट 1&b/delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार यह सत्य है कि डीडीए सामान्यत प्रतिवर्ष भूमि दर बढ़ा देती है।

(ङ) वैकल्पिक प्लोटों के आबंटन की प्रक्रिया में कई विभाग शामिल होते हैं तथा कई दस्तावेजों की प्रमाणिकता तथा सत्यता की जांच में समय लगता है तथापि विभाग यह कार्य शीघ्र किये जाने हेतु प्रयासरत है।

(च) आवेदनों की अनुशंसा की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है तथा वरीयता के आधार पर डी.डी.ए. को वैकल्पिक प्लॉट देने हेतु अनुशंसा की जायेगी।

71. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तरी पूर्वी जिले में श्रीराम कालोनी ग्राम खजूरी के अन्तर्गत आती है;

(ख) यदि हॉ तो क्या यह भी सत्य है कि इसका नोटिफिकेशन धारा 4(f7) (29)/ 65. L&H III दिनांक 26.8.2007 के तहत 453 बीघा 15 बिस्वा भूमि का हुआ था;

(ग) यदि हॉ तो क्या यह भी सत्य है कि दूसरा नोटिफिकेशन धारा 6F (7) (29)/ 65.L&H दिनांक 22.1.1968 के तहत 453 बीघा 10 बिस्वा भूमि का हुआ था;

(घ) यदि हॉ, तो क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त भूमि का अवार्ड नं. 113/86-87दिनांक 19.1.1986 को सुनाया गया था;

(च) यदि हॉ. तो क्या यह भी सत्य है कि मर्जिनल बन्द और CRPF कैम्प को जोड़ने के लिये यहॉ एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि कुछ भू-माफिया लोगो द्वारा इस भूमि पर फर्जी मालिकाना हक जता कर इस कार्य को रुकवा दिया गया है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस निर्माण कार्य को रुकवाने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है तथा यह कार्य दोबारा कब तक शुरु कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हॉ, यह सत्य है। श्री राम कालोनी ग्राम खजूरी के अन्तर्गत आती है।

(ख) जी हॉ, यह सत्य है लेकिन इसका नोटिफिकेशन धारा 4(f 7) (29) / 65.L&H III दिनांक 26.8.1987 के तहत 453 बीघा 15 बिस्वा भूमि का हुआ था।

(ग) जी हॉ, यह सत्य है लेकिन इसका नोटिफिकेशन धारा 6F (7) (29) / 65.L&H दिनांक 22.1.1965 के तहत 453 बीधा 03 बिस्वा का हुआ था।

(घ) जी हॉ, अवार्ड नं. 113/86-87 ग्राम खजूरीखास दिनांक 19.01.1986, 453 बीघा 01 बिस्वा भूमि के लिए सुनाया गया था।

(ड) जी हॉ, यह सत्य है कि कि मर्जिनल बन्द और CRPFकैम्प को जोड़ने के लिये यहॉ एक पुलिया का निर्माण विधायक निधी से किया जा रहा है।

(च) यह कार्य माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की कापी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में प्राप्त होने के पश्चात रोका गया है।

(ज) माननीय उच्च न्यायालय के अगले आदेश के पश्चात ही आगे की कार्यवाही की जायेगी।

72. श्री धर्मदेव सोलंकी : क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसानों की अधिगृहीत भूमि जो मकान, जमीन, फलाईओवर निर्माण, मैट्रो और अन्य जन सुविधाओं के लिए जो जगह लोगों से ली गयी है उस भूमि के मुआवजे के बारे में दिल्ली सरकार द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है, वह क्या है; और

(ख) क्या इस तरह के हजारों मामले न्यायालयों में चल रहे हैं, उनकों कब तक न्याय मिलेगा?

लोक निर्माण मंत्री

(क) जी हॉ, किसानों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजे से संबंधित नीति की प्रतिलिपि संलग्न है पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) इस संबंध में कुछ मामले न्यायालयों में विचारधीन है जिनका निपटारा न्यायलय द्वारा ही किया जा सकता है।

73. श्री साहब सिंह चौहान : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का आदेश सरकार ने दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत योजना क्या है;

(ग) कौन-कौन सी एजेन्सीज किन किन वाहनों पर उक्त नम्बर प्लेट लगाने के लिये प्राधिकृत है;

(घ) उक्त एजेन्सीज का चयन करने के लिये कब कब निविदायें आमंत्रित की गई तथा किन किन एजेन्सियों ने आवेदन किया और चयन प्रक्रिया क्या रही; और

(ड) वर्तमान में काम कर रही एजेन्सीज को इस क्षेत्र में कार्य करने का कितना अनुभव है?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हां।

(ख) भारत सरकार, सड़क परिवहन एवमं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचनाओं तथा उच्चत्तम न्यायालय के दिनांक 7 फरवरी 2012 के अर्न्तगत दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए नए वाहनों पर 30 अप्रेल 2012 से तथा पुराने वाहनों पर 15 जून 2012 से उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन पलेट्स (एच.एस.आर.पी.) लगाए जाने की योजना पूर्णत: लागू कर दी है।

पुराने वाहनों के लिए उच्च सुरक्षा पंजीयन प्लेट्स (एच.एस.आर.पी.) योजना 15 जून. 2012 से लागू होगी. इसके लिए बाद में समुचित विनिर्देश जारी किए जाएंगे। विभिन्न वाहन श्रेणियों मे हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट्स लगाने की प्राधिकृत दरों का उल्लेख संलग्न है।

(ग) मै. रॉस्मेरता (Rosmerta) एच.एस.आर.पी. वेन्चर्स लिमिटेड को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत सभी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए 15 साल के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(घ) हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए एजेंसियों के चयन करने के लिए 1 मार्च 2012 को निविदाये आमन्त्रित की गयी थी। निम्नलिखित चार एजेंसियों ने आवेदन किया:-

(1) मद्रास सिक्योरिटी प्रिन्टर्स प्रा.लि., चैन्नई

(2) सी.बी.एम. इन्ड्स्ट्री लि., नई दिल्ली

(3) रॉस्मेरता टेक्नोलॉजी लि., मुम्बई

(4) शिमनित उच इंडिया प्रा.लि. मुम्बई तकनीकी मूल्यांकन टाईप अप्रूवल सर्टिफिकेट की उपलब्धता और वित्तीय क्षमता के आधार पर किया गया। तीन एजेंसियों की तकनीकी मूल्यांकन के उपरांत वित्तीय बोली खोली गयी। जिस एजेंसी ने विभिन्न प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने के लिए सबसे कम ''बेटिड एवरेज प्राइस'' (Weighted Average Price) की बोली दी उसका चयन हाई सिक्योरिटी प्लेट लगानें के लिए किया गया।

(ड) वर्तमान में काम कर रही एजेन्सी के एक घटक को पूर्व में इस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव है।

74. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह: क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने कुछ वर्ष पहले कुलियों को लाइसेंस टोकन देने की एक योजना बनाई थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि योजना के बावजूद भी कुलियों को अभी तक लाईसेंस/टोकन नहीं दिए गए है; और

(ग) यदि हॉ, तो क्यों नहीं और यदि दिए गए हैं तो ब्यौरा उपलब्ध करवाएं?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हॉ।

(ख) एवं (ग) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। सन् 2005 में 20 नए कुलियों को आनन्द विहार बस अड्डा पर कुली टोकन दिए गए थे।

75. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जी.टी.बी. नगर मैट्रो स्टेशन के संक्षिप्त नाम की जगह पूरा नाम गुरु तेग बहादुर नगर लिखवाए जाने के संबंध में पिछले एक वर्ष से कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की गई है:

(ख) यदि हॉ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संक्षिप्त नाम की जगह पूरा नाम लिखे जाने संबंधी आदेश कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

शिक्षा मंत्री

(क) यह मामला विचाराधीन है।

(ख) इस प्रकार के कई प्रस्ताव प्राप्त हुए है जिनमें डी.एम.आर.सी. के जांच के मुताबिक तकनीकी कारणों से एक नाम परिवर्तन की अनुमानित लागत 4-6 करोड़ बतायी है। नाम परिवर्तन में बहुत ज्यादा लागत एवं तकनीकी कारणों से यह प्रस्ताव लंबित है।

(ग) वर्तमान में इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

76. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि लगातार निवेदन के बावजूद भी गांव वजीराबाद से दिल्ली विश्वविद्यालय और तीस हजारी कोर्ट तक मैट्रो फीडर बस सेवा नही चलाई जा रही है;

(ख) यदि हॉ, तो इसका क्या कारण है; और

(ग) इस रुट पर कब तक फीडर बस सेवा चलाई जाएगी?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हॉ।

(ख) मैट्रो फीडर बसों की संख्या सीमित होने के कारण डी.एम.आर.सी. इस स्थिति में नहीं है कि स्वीकृत रुट (एम.एल 07) वजीराबाद-विश्वविद्यालय मैट्रों स्टेशन पर बस चला सके।

(ग) डी.एम.आर.सी. ने 15/5/2012 को 300 नान एसी बसे खरीदने के लिए टेन्डर को फाइनल किया है जिसके अनुसार दिसम्बर, 2012 से रुट नं. एम.एल 07 के शुरु होने की संभावना है।

77. श्री श्यामलाल गर्ग : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अगले वर्ष तक किन-किन स्थानों पर डीटीसी बस डिपो बनाने की योजना हैं, पूर्ण विवरण दे; और

(ख) प्रत्येक प्रस्तावित बस डिपो की वर्तमान स्थिति क्या है, पूर्ण विवरण दें?

शिक्षा मंत्री

(क) परिवहन विभाग गांव कैर, सुनहरी पुल्ला नाला, कुशक नाला, दिल्ली परिवहन निगम केन्द्रीय कर्मशाला द्वितीय, ओखला, ब.ब.मार्ग., पश्चिम विहार एवम दिचाउंकला में बस डिपो बनाने की योजना है। आवश्यकता के अनुसार इन डिपों को दिल्ली परिवहन निगम और कलस्टर सेवा की बसों के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) गांव कैर, सुनहरी पुल्ला नाला, कुशक नाला, ब.ब.मार्ग. डिपो का निर्माण कार्य प्रगति पर है। केन्द्रीय कर्मशाला द्वितीय, ओखला व दिचाउंकला, नजफगढ़ की भूमि की चारदीवारी बनी हुई है। ओखला स्थित भूमि के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रदान की जा चुकी है एवं डी.एस.आई.डी.सी. को निर्माण हेतू नियुक्त किया है। दिचाउं डिपो के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ली जानी शेष है। पश्चिम विहार में डी.डी.ए. से लैण्ड यूज परिवर्तन के पश्चात डिपो निर्माण हेतु आगे की कार्यवाही की जाएगी।

78. श्री कुलवन्त राणा : क्या शिक्ष मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रोहिणी सैक्टर 4 एक्सटेंशन व सैक्टर 26 में दिल्ली परिवहन निगम के टर्मिनल के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि को दि.वि.प्रा. से प्राप्त कर इस पर टर्मिनल बनाने के लिये दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्यवाई की गई है, यदि हां तो पूर्ण विवरण दें, यदि नहीं तो क्यो नहीं; और

(ग) इन भूमियों पर बस टर्मिनल कब तक बना लिया जायेगा? पूर्ण विवरण दिया जाये?

शिक्षा मंत्री

(क) व (ख) परिवहन विभाग दिल्ली सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण से सेक्टर-26 रोहिणी में बस टर्मिनल/बस डिपों बनाने के लिए जमीन के आबंटन के लिए आबंटन एवं मांग-पत्र प्राप्त हुआ है। वर्तमान में यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। रोहिणी सेक्टर 4 एक्सटेंशन में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आरक्षण के संदर्भ में परिवहन विभाग के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण को भुगतान एवं कब्जा प्राप्ति के पश्चात बस टर्मिनल/बस डिपो हेतु कार्यवाही की जाएगी।

79. श्री सतप्रकाश राणा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयरपोर्ट मैट्रो का विस्तार सैक्टर-21 द्वारका से गुड़गांव तक किया जाना है, यदि हां तो यह योजना क्या है;

(ख) क्या इस मैट्रो रुट के विस्तार के संबंध में सर्वे आदि का कार्य पूरा हो चुका है और पूरा रुट निर्धारित कर दिया गया है; यदि हां तो

(ग) यह मैट्रो कहां-कहां से जायेगी और क्या दिल्ली की सीमा बिजवासन से भी कोई स्टेशन निर्धारित किया गया है, यदि हां तो कहां पर और यदि नही तो क्यों नहीं?

शिक्षा मंत्री

(क) डीएमआरसी ने द्वारका सैक्टर-21 से इफको चौक गुड़गांव तक एयर पोर्ट मैट्रो का विस्तार करने के लिए डी.पी.आर. (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की है।

(ख) जी, हॉ।

(ग) इस मैट्रो के प्रस्तावित मैट्रो स्टेशन निम्नलिखित है:

(1) इफको चौक गुडगांव

(2) सैक्टर-18 गुड़गांव

(3) सैक्टर-23 गुड़गांव

(4) बार्डर स्टेशन (दिल्ली-हरियाणा) नजदीक बिजवासन

80. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली के यात्रियों के बैठने के लिये बस शैल्टर बनाये जाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो बस शैल्टर किन-किन विधानसभाओं में बनाये जाने की योजना है तथा अब तक किन-किन विधान सभाओं में बना दिये गये हैं; और

(ग) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत भजनपूरा से करावल नगर बस ट्रमिनल तक एक भी बस शैल्टर नहीं बनाया गया है इसके क्या कारण है तथा इन्हें कब तक बना दिया जायेगा,

शिक्षा मंत्री

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली सरकार ने, नई दिल्ली नगर निगम को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 1401 आधुनिक बस क्यू शैल्टरों का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त आगे की योजना पर कार्य चल रहा है।

(ग) जी हां। शैल्टर नहीं बनाने का कारण सड़क का संकरा होना है।

81. श्री मोहन सिंह बिष्ट : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के अर्न्तगत बसों के कुल कितने रुट निर्धारित किये गये है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि रुट निर्धारित किये जाने के बावजूद आज दिन तक यहां बसों का पूरी तरह अभाव है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि माननीय मंत्री जी को पत्र दिये जाने के बावजूद आज दिन तक यहां बसों के रुट नहीं बढ़ाये गये है।: और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा यहां बस सेवा कब तक ठीक कर दी जायेगी?

शिक्षा मंत्री

(क) करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पांच रुट अनुसूचित हैं तथा इस क्षेत्र से होकर 22 रुट गुजरे रहे हैं।

(ख) जी नहीं। इस क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में बस सेवा उपलब्ध है। जिसका विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(ग) व (घ) डिम्ट्स को रुटों का अध्ययन तथा तर्कसंगत बनाने का कार्य सौंपा गया है जिसकी रिपोर्ट 27/3/2012 को जमा की गयी है। इस विषय पर बातचीत के पश्चात अन्तिम निर्णय लिया जाएगा ताकि संपूर्ण दिल्ली के लिए एक उत्तम परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

परिशिष्ट 'क'

करावल नगर विधान सभा क्षेत्र से परिचालित रूट

रूट सं.	*कहाँ से*	*कहाँ तक*	*बसों की सं.*
227ए	करावल नगर पुस्ता (एसबीएस कालोनी गली नं. 4	पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन	3
248	करावल नगर पुस्ता (एसबीएस कालोनी गली नं. 4)	मोरीगेट टर्मिनल	1
255	सभापुर गाँव	केन्द्रीय टर्मिनल	1
258	चौहानपट्टी/सोनिया विहार	मोरीगेट टर्मिनल	6
270	करावल नगर पुस्ता (एसबीएस कालोनी गली नं. 4)	केन्द्रीय टर्मिनल	2
	योग		**13**

करावल नगर विधान सभा क्षेत्र के लिए वलीराबाद होते हुए बस रूट

रूट सं.	*कहाँ से*	*कहाँ तक*	*बसों की सं.*
33	भजनपुरा	नोएडा सैक्टर (अरुण विहार)	50
33ए	बदरपुरखादर साख नं.-27	नोएडा सै. - 37 (अरुण विहार)	4
163	आनन्द विहार अ.रा.ब. टर्मिनल	नरेला टर्मिनल	2
165	शाहबाद डेरी	आनन्द विहार अ.रा.ब. टर्मिनल	55
210	हर्ष विहार	केन्द्रीय टर्मिनल	9
212	आनन्द विहार अ.रा.ब. टर्मिनल	आनन्द पर्वत	41

234	हर्ष विहार	कर्मपुरा टर्मिनल	14
234ए	हर्ष विहार	तिलक नगर	16
235	नन्दनगरी टर्मिनल	वजीरपुर जे.ले. कालौनी	6
253	यमुनाविहार सी-4	मोरीगेट टर्मिनल	15
254	बाबरपुर एक्स.	नांगलोई जे.जे. कालौनी नं.-2	48
259	हर्ष विहार	जहांगीरपुरी ई-ब्लॉक	12
260	यमुना विहार सी-4	केन्द्रीय टर्मिनल	2
261	नन्दनगरी टर्मिनल	सरायकालेखां अ.रा.ब. टर्मिनल	12
262	हर्ष विहार	कल्याण विहार	3
263	इन्द्रापुरी (लोनी)	मोरीगेट टर्मिनल	2
333	आनन्द विहार अं.रा.ब. टर्मिनल	जहांगीरपुरी ई-ब्लॉक	13
784	यमुनाविहार सी-1	कमला मार्किट	3
971	आनन्द विहार अं.रा.ब. टर्मिनल	रोहिणी सैक्टर - 1 (अवन्तिका)	58
971ए	आनन्द विहार अं.रा.ब. टर्मिनल	शालीमार बाग	2
बहरी मुद्रिका (+) (−)	आनन्द विहार अं.रा.ब. टर्मिनल	आनन्द विहार अं.रा.ब. टर्मिनल	118
यमुना मुद्रिका सेवा (+)(−)	अं.रा.ब. टर्मिनल नित्यानन्द मार्ग	अं.रा.ब. टर्मिनल नित्यानन्द मार्ग	20
एनसीआर	नानकसर गुरुद्वारा	गाजियाबाद	20
	कुल योग		**525**

82. श्री धर्मदेव सोलंकी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पालम द्वारका में पिछले बास बर्षे से अर्न्तराज्यीय बस अड्डा बनाने की योजना बनी थी,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि हर वर्ष एल.जी.एड्रेस में दिल्ली सरकार द्वारा उसके निर्माण के बारे में कहा जा रहा है,

(ग) अर्न्तराज्यीय बस अड्डे का कार्य निर्माण कब तक शुरु किया जायेगा, और

(घ) क्या इस बस अड्डे की प्रस्तावित जगह पर मैट्रों के फलैट बन चुके हैं, यदि हां, तो फिर बस अड्डा किस जगह बनाया जायेगा?

शिक्षा मंत्री

(क) जी नहीं। इस बस अड्डे को बनाने के लिए भूमि का आवंटन डी.डी.ए. द्वारा वर्ष 2000 में किया गया।

(ख) जी हां। विधान सभा में दिये गए माननीय उप राज्यपाल के कुछ अभिभाषणों में इस बस अड्डे के निर्माण के बारें में कहा गया है।

(ग) इस बस अड्डे का निर्माण पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मॉडल में प्रस्तावित था, परन्तु इस दिशा में दो बार किये गए प्रयास सफल नहीं हो पाये।

(घ) जी नहीं।

83. श्री धर्मदेव सोलंकी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मधु विहार बस अड्डे या मंगला पुरी बस अड्डे से

आनन्द विहार, बदरपुर बार्डर और नरेला के लिए सीधी बस सेवा चलाने की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो ये कब तक शुरु हो जायेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या यह सत्य है कि पालम गांव में से होकर बस नहीं जाती है, बल्कि इसके स्थान पर पुल से होकर उपर से चली जाती है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक इस व्यवस्था को ठीक कर दिया जायेगा?

शिक्षा मंत्री

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

(ग) व (घ) रुट सं.-770ए. 781 व 727 की बसें पालम गांव होकर जा रही हैं, लेकिन रुट सं.-764, 765,947, 947ए व सीमित सेवा का वाया फ्लाई-ओवर के उपर से है, तथा यह बसें पुल के उपर से चल रही हैं।

84. श्री धर्मदेव सोलंकी : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाहरी दिल्ली में कई रुटों पर मुद्रिका के रुप में जैसे डाबर मुद्रिका, ग्रामीण मुद्रिका आदि रुट बन गयं थे;

(ख) क्या ये रुट अभी जारी है या कुछ पर पुरानी बसें चला रखी है;

(ग) क्या इन ग्रामीण रुटों पर नई बसें चलाने की भी योजना है; और

(घ) ढांसा बार्डर, नजफगढ़ मधु विहार, मंगलापुरी, पालम, नांगलोई, नरेला से आनन्द विहार से अन्य जगहों के लिये नये रुट प्रस्तावित है?

शिक्षा मंत्री

(क) जी हां।

(ख) डाबर सेवा के अलावा बाकी रुट जारी है। इन पर लो-फ्लोर बसें चल रही है।

(ग) व (घ) इन स्थानों पर वर्तमान में काफी संख्या में बसें विभिन्न स्थानों के लिए परिचालन में हैं। इसलिए फिलहाल नए रुट चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

85. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जल विहार टर्मिनल से कई रुटों की बसें बंद कर दी गई है, यदि हां, तो क्यों। स्पष्ट करें,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान समय में बढ़ती आबादी व मॅहगाई को देखते हुए सरकार द्वारा और बसें बढ़ाई जानी चाहिए थी;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कई महीनों से जल विहार टर्मिनल को अधिकारियों की मर्जी से बंद कर दिया गया है, स्पष्ट करें, और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक खोल दिया जाएगा?

शिक्षा मंत्री

(क) पहले कुछ समय के लिए सेवा बाधित रही थी। वर्तमान में दिल्ली परिवहन

निगम द्वारा जल विहार टर्मिनल से रुट संख्या-410, 415, 416 व 450 का परिचालन हो रहा है तथा इन रुटों को सुचारु रुप से परिचालन के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

(ख) डी.टी.सी. द्वारा रुट 410 पर 11 बसें, रुट सं.-415 पर 04 बसें, 416 पर 04 बसें एवं रुट सं.-450 पर 27 बसें परिचालन में हैं, जोकि यहां के यात्रियों को पर्याप्त सेवा प्रदान कर रही हैं।

(ग) व (घ) डी.टी.सी. द्वारा सम्बंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये हैं कि इस टर्मिनल से सभी अनुसूचित बसें परिचालित की जायें।

87. श्री माला राम गंगवाल : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में इस समय कितनी ब्लू लाइन बसें चल रही हैं,

(ख) कितनी ब्लू लाइन बस के परमिट का समय शेष है,

(ग) दिल्ली की सड़को से पुरानी व बेकार बसें कब तक हटा दी जायेगी,

(घ) 2011-12 में कितनी ब्लू लाइन बस के चालान कटे हैं, और

(ड) क्या भविष्य में सरकार ब्लू लाइन बस के परमिट जारी करेगी।

शिक्षा मंत्री

(क) दिल्ली में दिनांक 28/5/2012 को 143 ब्लू लाइन बसें चल रही हैं।

(ख) 143 ब्लू लाइन बसों के परमिट का समय शेष है।

(ग) स्टेज केरिज के तहत बस की आयु 12 वर्ष निर्धारित है। यह आयु पूरी होने पर बसें स्टेज केरिज सेवा से हट जाती है। ऐसी बसे आगे के तीन साल कांट्रेक्ट सेवा में भी चल सकती है।

(घ) दिनांक 1/4/2011 से 31/3/2012 तक 241 ब्लू लाइन बसों के 467 चालान किए गए व 57 ब्लू लाइन बसें जब्त की गयी है।

(ड) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

87. श्री माला राम गंगवाल : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की भारी संख्या के मद्देनजर सरकार की परिवहन से सम्बन्धित क्या नीति है,

(ख) सरकार ने गत वर्ष कितने पुराने वाहनों को जब्त किया है व कितने वाहन अनाधिकृत रुप से चल रहे हैं और

(ग) सरकार इस संबंध में क्या कारवाई कर रही है व इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारवाई करेगी?

शिक्षा मंत्री

(क) सरकार की परिवहन नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित, सस्ती, प्रदूषण नियंत्रित एवं दिल्ली के सभी क्षेत्रों को एक-दूसरे से जोड़ने हेतू सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना है। दिल्ली सरकार परिवहन योजनाओं को बनाते समय दिल्ली मास्टर प्लान-2021, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति इत्यादि को ध्यान में रखती है।

(ख) वर्ष 2011 में प्रवर्तन शाखा ने 96417 वाहनों के 181780 चालान किये व 11146 वाहनों को जब्त किया गया। इस जांच के दौरान 15 वर्ष से अधिक पुराने 20 व्यवसायिक वाहनों को भी जब्त किया गया।

(ग) परिवहन विभाग अपनी प्रवर्तन शाखा को और अधिक मजबूत व कारगर बनाने हेतु नये कर्मचारियों की भर्ती व चालान प्रकिया के कम्प्यूटरीकरण करने के लिए प्रयासरत है।

88. श्री माला राम गंगावाल : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के वाहनों काले शीशों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या सरकार ने यह फैसला सुरक्षा की दृष्टि से लिया है;

(ग) सरकार ने काले शीशों का कितने प्रतिशत निर्धारित किया है;

(घ) क्या सरकार वी.आई.पी. व सरकारी अधिकारियों को इसमें छूट देगी; और

(ड) इस संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए?

शिक्षा मंत्री

(क) एवं (ख) उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटिशन संख्या 265/2011 दिनांक 27-04-2012 के आदेशानुसार किसी भी प्रकार की काली फिल्म वाहन के शीशों पर लगाना प्रतिबंधित कर दिया है।

(ग) उपरोक्त आदेशानुसार केवल वाहन निर्माता द्वारा लगाये गए शीशे जिनकी आगे एवं पीछे के शीशे की दृष्यता 70 प्रतिशत व अगल बगल की 40 प्रतिशत होगी। मान्य होगें।

(घ) व (ड) उपरोक्त आदेशानुसार केवल पुलिस विभाग व गृह मंत्रालय इस प्रकार की छुट पर विचार/निर्णय करने के लिए अधिकृत है।

89. श्री जय किशन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सुल्तानपुरी बस टर्मिनल की हालत बेहत जर्जर अवस्था में है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस टर्मिनल पर यात्रियों एवं डी.टी.सी स्टाफ के लिए कोई शौचालय व पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सुल्तान पुरी के बस शैल्टरों की हालत भी खराब है, और

(घ) यदि हां तो इन्हें कब तक सुधारा जाएगा?

परिवहन मंत्री

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) सुल्तानपुरी बस टर्मिनल के जीर्णोद्धार का कार्य डी.एस.आई.डी.सी. को सौंपा गया हैं, जिसके दो माह में शुरु होने की संभावना हैं। शैल्टरों के नये निर्माण की योजना पर कार्य चल रहा है।

90. श्री रमेश बिधूड़ी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में 2008 से अब तक प्रति वर्ष दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा चलाई जार रही बसों से दुर्घटनाओं में कुल कितनी मौते हुई,

(ख) सरकार ने दुर्घटनाओं में हुए शिकार व्यक्ति को मरणोपरांत कुल कितने मुआवजे का प्रावधान है, और

(घ) 2008 से अब तक कुल कितने लोगों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया, पूर्ण विवरण सहित ब्यौरा दिया जाये?

परिवहन मंत्री

(क) वर्ष 2008 से दिल्ली परिवहन निगम की बसों की दिल्ली में हुई घातक दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या का ब्यौरा निम्नप्रकार है:

वर्ष	*मृतकों की संख्या*
2008	56
2009	61
2010	49
2011	86
जनवरी से अप्रैल, 2012	19

(ख) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु उठाए गए कदमों का विवरण संलग्नक 'अ' पर प्रस्तुत है।

(ग) दुर्घटना में शिकार व्यक्ति को गरणोपरान्त मुआवजे का दिल्ली परिवहन निगम की और से कोई प्रावधान नहीं है। मरणोपरान्त मुआवजे का निर्धारण एमएसीटी के अवार्ड द्वारा होता है। सन 2002 से पहले के केसों का भुगतान एमएसीटी के अवार्ड के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम स्वयं करता है। वर्तमान में तृतीय पक्षीय बीमा कम्पनी करती हैं जिसका प्रीमियम दिल्ली परिवहन निगम प्रत्येक वर्श अदा करता है। प्रीमियम व एमएसीटी अवार्ड के भुगतान के लिए दिल्ली परिवहन निगम अपने नॉन प्लॉन बजट में उचित राशि का प्रावधान रखता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दिपनि के नॉन प्लॉन बजट में तृतीय पक्षीय बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए रु. 16.50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है।

(घ) दिपनि द्वारा 271 लोगों को 2008-09 से 2011-12 तक एमएसीटी अवार्ड का भुगतान किया गया जिसका पिछले 4 सालों का विवरण निम्नप्रकार है:

वर्ष	*एमएसीटी अवार्ड के उपरांत दिपनि द्वारा भुगतान*
2008-09	4.35
2009-10	3.49
2010-11	1.77
2011-12 (मार्च तक)	1.05

तृतीय पक्षीय बीमा कम्पनी द्वारा 2008-09 से 2011-2012 तक 666 लोगों को 19,27,22,336/- रु. का मुआवजे के रुप में भुगतान किया गया।

संलग्नकः 'अ'

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु किए गए उपायों का विवरण

1. डिपो प्रबन्धकों द्वारा डिपो स्तर पर दि.प.नि. के चालकों को सुरक्षित एवं अनुशासित बस ड्राईविंग के तथ्यों पर कौंसलिंग की जाती है। क्षेत्रीय प्रबन्ध क भी निगम चालकों को इस विषय पर सम्बोधित करते हैं।

2. दि.प.नि. के चालकों को शिक्षित करने तथा ड्राइविंग निपुणता के लिए प्रशिक्षण सुविधा का दिपनि के नन्दनगरी प्रशिक्षण केन्द्र के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर अन्य छह प्रशिक्षण केन्द्रों में विस्तार किया गया है।

3. दिपनि द्वारा डिपो स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह को सड़क सुरक्षा सप्ताह के रुप में मनाया जाता हैं।

4. दिपनि की लो-फ्लोर बसों में इलैक्ट्रॉनिक स्पीड कन्ट्रोल गवर्नर तथा न्यूमैटिक दरवाजे लगाए गए हैं।

5. दिपनि के चालकों को बेहतर ड्राइविंग गुणों, सड़क सुरक्षा तथा दुर्घटनाओं के कुप्रभावों को दर्शाने वाली फिल्में दिखाई जाती हैं।

6. निगम के चालकों के विरुद्ध निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में बसें चलाए जाने की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। जी.पी.एस. सिस्टम के माध्यम से दिपनि के अधिकारियों द्वारा बसों की गति को मॉनिटर किया जाता है।

7. निगम के चालकों की ड्राईविंग के निरीक्षण एवं यातायात के नियमों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल दस्तों को लगाया जाता है।

8. दिपनि बसों के सुरक्षित एवं नियमित परिचालन तथा चालकों की ड्राईविंग को चैक करने के लिए समय-समय पर विशेष अभियान चलाया जाता है।

91. श्री रमेश बिघूड़ी : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में सरकार द्वारा मानोरेल चलाने की घोषणा की गयी थी,

(ख) यदि हां, तो इस घोषणा को लागू करने में अभी कितना वक्त लगेगा,

(ग) मोनो रेल के लिए सरकार ने किन-किन रुटों का चयन किया है, और

(घ) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया है?

परिवहन मंत्री

(क) हॉ, यह सत्य है।

(ख) इस बारे मे डी.एम.आर.सी. को यह प्रोजेक्ट दिल्ली सरकार ने विस्तृत परियोजना प्रस्ताव बनाने को कहा है।

(ग) यह 'ख' के अनुसार प्रस्ताव आने पर ही रुटों का चयन किया जाएगा।

(घ) उपरोक्तानुसार डी.एम.आर.सी. से प्रस्ताव आने पर बजट का प्रावधान किया जाएगा।

92. श्री मनोज कुमार : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंडका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम के कितने डिपो है, इनमें कितनी बसें हैं।

(ख) क्या यह सत्य है कि कंझावला डिपो में सारी बसें पुरानी हैं,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, क्या सरकार निकट भविष्य में कंझावला डिपो में लो-फ्लोर बसें चलाने की योजना है, यदि हां तो कब तक,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि मुंडका विधान सभा क्षेत्र में नए बस शैडों की बहुत कमी है, और

(ङ) यदि हां, तो नए बस शैडों की कमी कब तक पूरी कर दी जाएगी?

परिवहन मंत्री

(क) मुंडका विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली परिवहन निगम का कोई डिपो नहीं है।

(ख) हां। यह सत्य है कि कंझावला डिपो में सारी साधारण फ्लोर की पुरानी बसें हैं।

(ग) अभी कोई योजना नहीं है।

(घ) जी हां।

(ङ) योजना पर कार्य चल रहा है।

93. श्री विपिन शर्मा : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि वेलकम से सम्भल तक जाने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसें बंद कर दी है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि यहां के निवासी प्राइवेट बसों की छतों मे बैठकर सफर करते हैं जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है,

(ग) यदि हां, तो क्या क्षेत्रवासियों की भारी मांग के कारण वेलकम से सम्भल तक दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलाने की कोई योजना है,

(घ) यदि हां, तो मंत्री जी परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी करेंगे कि इस संबंध में तुरंत कार्यवाही की जाए?

परिवहन मंत्री

(क) दिल्ली परिवहन निगम द्वारा वैलकम से संभल रुट पर बसों का संचालन पूर्व में कभी नहीं किया गया।

(ख) जी नही।

(ग)व(घ) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नही है।

94. श्री जय भगवान अग्रवाल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोहिणी विधान सभा क्षेत्र में आज तक कितने ऐसे यात्री बस शैल्टर हैं जहां शैल्टर बनवाने की आवश्यकता हैं, और

(ख) रोहिणी में नए बस शैल्टर किस-किस सैक्टर में कौन-कौन से स्थान पर बनाए जाएंगे और उसका निर्माण कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा?

परिवहन मंत्री

(क) रोहिणी विधान सभा क्षेत्र में कुल 61 बस स्टॉप हैं जिसमें से 24 स्थानों पर

बस क्यू शैल्टर नहीं बने हुए हैं तथा 37 स्थानों पर पुराने मॉडल के बस क्यू शैल्टर बने हुए हैं।

(ख) 1-सभी पुराने बस क्यू शैल्टरों के स्थान पर नये बस क्यू शैल्टर बनाये जायेगे।

2-योजना पर कार्य चल रहा है।

95. श्री प्रहलाद सिंह साहनी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि गुरुद्वारा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमे डिलिमिटेशन का बंटवारा होगा

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार होगा, उसका पूर्ण विवरण क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शिक्षा मंत्री

(क) यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है

(ख) उपरोक्त

(ग) उपरोक्त

सदन अपराह्न 02-37 बजे पुनः समवेत हुआ।
अध्यक्ष महोदय (डॉ. योगानन्द शस्त्री) पीठासीन हुए।

....अन्तरबाधाएँ....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, हम ने आपसे अनुरोध किया था कि आप यहाँ पर

..... अन्तरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः प्रोफेसर साहब, पानी पी पीकर के मारो, तब तो ठीक है। आप तो बिना पिये मार रहे हो।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, आज लाखों लोग.....

.....अतरबाधाएँ.....

श्री साहब सिंह चौहानः आज दिल्ली में लोग पानी के बगैर बहुत परेशान है।

.....अतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदयः आप एक मिनट बैठिए। मुख्यमंत्री जी बोल रही हैं।

मुख्यमंत्री : सर, वे पानी पानी की बात कर रहे हैं और हमारे दो मेम्बर्स.....

.....अतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, पिछली बार आपने हमें बोलने ही नहीं

दिया। आप किस बात का जवाब दीजिएगा। आपने हमें एलाऊ ही नहीं किया। यह सबजैक्ट आया ही नही। उससे पहले ही जवाब दे दिया।

मुख्यमंत्री: मल्होत्रा जी, प्लीज, मैं कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। मैं clarification कर रही हूँ और यह clarification करना चाहती हूँ कि हमारे विपक्ष के दो मेम्बर्स हैं।

.....अतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, जब आपने हमें बोलने के लिए एलाऊ ही नहीं किया।

मुख्यमंत्री : सर, यदि आप कहें तो मैं नाम बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं करुगी। उनको 24 घंटे पानी मिलता है, कुछेक का काट देते हैं। पहले अपने आपका पता करिए।

.....अतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, आपने हमें एलाऊ ही नहीं किया और आप clarificationदे रही हैं। पहले हमें बोलने के लिए एलाऊ करते, फिर आप clarification देते।

.....अतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय: अब आप बोलिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आज लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सभी जगह पर मटके फोड़े जा रहे हैं। लाखों लोग जल बोर्ड के दफ्तरों पर जा रहे हैं।

.....अतरबाधाएँ.....

मुख्यमंत्री: यह आपके ही दिए हुए एम.एल.ए. का है।

.....अतरबाधाएँ....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी।

.....अतरबाधाएँ.....

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अभी नगर निगम के चुनाव में लोगों ने इनके खिलाफ No Confidence किया है और यहॉ पर आकर के जवाब दिया जा रहा है। आप जाकर के अपने इलाकों में देखें। कोई कॉग्रेस का एमएल.ए अपने इलाके में जाकर के देखे।

(बीजेपी के सभी सदस्य वैल में अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने आ गए और नारे लगाने लगे।)

सदन की कार्यवाही में लगातार व्यवधान हुआ।

अध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी अपनी सीट पर चलिए। आप लोग अपनी सीट पर आ जाइए।

.....अतरबाधाएँ.....

अध्यक्ष महोदय: सदन की कार्यवाही तीन बजकर दस मिनट तक स्थगित की जाती है।

(अध्यक्ष महोदय सदन की कार्यवाही अपराह्न 03-10 बजे तक स्थगित की।)

सदन पुनः अपराह्न 3:10 बजे पुनः समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

अध्यक्ष महोदयः अब नियम 280 पर श्री कुलवंत राणा बोलेगे अब नियम 280 पर श्री मोहन सिंह बिष्ट बोलेंगे। अब नियम 280 पर श्री वीर सिंह धिंगान बोलेंगे-

श्री रमेश बिधूड़ीः अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है, मुख्य मंत्री जी यहां बैठी हैं

.....व्यवधान.....

(विपक्षी सदस्यों द्वारा वैल में आ कर नारेबाजी)

श्री वीर सिंह धिंगानः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लाखों गरीब नागरिकों की और दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, वर्ष 2007 में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों के राशन कार्ड रिन्यूअल करने के लिए जमा कराये थे, किन्तु अध्यक्ष जी, आज तक बड़ी संख्या में लोगों के राशन कार्ड रिनुअल करके वापिस नहीं दिये गये इसके अलावा अध्यक्ष जी, हजारों झुग्गीवासी व पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले लोगों के राशन कार्ड पर स्टैम्प नहीं लगाई गई है। जिस कारण गरीब लोग राशन लेने से वंचित हैं। अध्यक्ष जी, आज भी गरीब लोग जिन्होंने राशन कार्ड के रिनुअल के लिये फार्म जमा किये थे आज भी हजारों लोग जमा फार्म की रसीद ले कर घूम रहे हैं किन्तु राशन दफ्तर में उनकी कोई नहीं सुन रहा है। कुल मिला कर अध्यक्ष जी, झुग्गी झोपड़ी व पुनर्वास कालोनियों में रहने वाले गरीब लोग जो की 20-20, 25-25 वर्षो से दिल्ली में रह रहे हैं राशन कार्ड जैसी समस्या से जूझ रहे हैं।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा वैल में आ कर नारेबाजी)

(कार्यवाही में व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप अपनी सीटों पर बैठिये और सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। श्री वीर सिंह धिंगान, आप बोलिए।

श्री वीर सिंह धिंगानः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राशन कार्ड से वंचित गरीब लोगों के राशन कार्ड तुरंत बनवाये जायें तथा जिसके राशन कार्डो पर मोहर नहीं लगी है उन पर मोहर लगवा कर सस्ता राशन दिलाया जाये। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा वैल में आ कर नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदयः श्री कंवर करण सिंह कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री कंवर करण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः श्री कंवर करण सिंह गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्री कंवर करण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एव संकल्पों संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः अब मुख्य मंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित सदन की अनुमति से इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-5) को सदन में पुर:स्थापित करने की अनुमति मांगेगी।

Chief Minister: Sir, I beg to introduce "The Indira Gandhi Delhi Technical University for Women Bill, 2012" (Bill No. 05 of 2012) with the leave of the House.

अध्यक्ष महोदयः अब मुख्य मंत्री, श्रीमती शीला दीक्षित सदन की अनुमति से इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2012 (2012 का विधेयक संख्या-5)को सदन में introduce करेंगी।

Chief Minister: Sir, with your permission, Sir, I beg to imtroduce the Bill.

(विपक्षी सदस्यों द्वारा वैल में आ कर नारेबाजी)

(कार्यवाही में लगातार व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब सदन की कार्यवाही 4:00 बजे तक स्थगित की जाती है। मुख्य मंत्री जी 4:00 बजे बजट भाषण पढ़ेगी।

सदन की कार्यवाही चायकाल के लिए 4.00 बजे तक स्थगित की गई।

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

बजट (2012-13) का प्रस्तुतीकरण

सदन पुनः समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

अध्यक्ष महोदय : अब मुख्य मंत्री बजट भाषण पढ़ेगी।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी,

मैं वित वर्ष 2012-13 के लिए बजट प्रस्तुत कर रही हूं।

2. हम एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की दहलीज पर है। वर्ष 2012-13 नई पंचवर्षीय योजना अर्थात् 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) का प्रथम वर्ष है। इस योजना अवधि में हम दिल्ली को एक ऐसे शहर के रुप में विकसित करने के प्रयास करेंगे, जो सबके हितों की रक्षा करे, ऐसा शहर जिसकी लोग गर्व से अभिलाषा कर सकें, और जिसमें वे स्वयं तथा अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकें। हम कमजोर वर्गो की शैक्षिक, स्वास्था संबंधी और वित्तीय जरुरतों पर अधिक ध्यान देने की अपनी नीति जारी रखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि दिल्ली को रहने योग्य एक बेहतरीन शहर के रुप में विकसित किया जाये, जहां समाज के सभी वर्गो की जरुरतें पूरी हो सकें। हम इस बात पर विषेष ध्यान देंगे कि सड़क, बिजली, मेट्रो और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो व्यापक और उन्नत ढांचा कायम किया गया है, उसमें गुणात्मक रुप से विस्तार एवं सुधार हो। अंततः, 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह शहर सभी नागरिकों की सृजनात्मक एवं संरचनात्मक जरुरतें पूरी कर सके। हम दिल्ली के युवाओं के

प्रशिक्षण, कार्यनिपुणता में निखार एवं वित्तीय जरुरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार, दिल्ली की नई पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारा भूलभूत लक्ष्य इसे एक बेहतरीन, उत्पादक, और सबके हितों को सुनिश्चित करने वाला शहर बनाना है। इसलिए, हम उन वर्गो पर विशेष ध्यान देंगे जो इस शहर के निर्माण में अपने अथक परिश्रम के रुप में सहयोग कर रहे हैं।

3. अध्यक्ष जी, इस सम्मानित सदन के समक्ष वर्ष 2011-12 का बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने यह विश्वास व्यक्त किया था कि इस महान शहर का प्रत्येक नागरिक योजना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सके। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने इस लक्ष्य को काफी हद तक प्राप्त कर लिया है। दिल्ली के नागरिकों, विद्वानों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव एवं जानकारी से हमें भरपूर लाभ हुआ है।

4. स्मरणीय है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना-2007-12 का अंतर्निहित लक्ष्य मानवीय पहलू के साथ विकास को अंजाम देना था। हम इस पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में पूरी तरह सफल रहे हैं। हमने स्वीकृत योजना परिव्यय का 98 प्रतिशत से अधिक खर्च किया और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में काफी हद तक भौतिक लक्ष्य हासिल किये। वास्तव में, हाल में सम्पन्न हुए वित्त वर्ष के दौरान करीब 98 प्रतिशत योजना धन का इस्तेमाल किया गया। यह उपलब्धि स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण वित्त वर्ष के अंतिम दो महीनों में धीमी गति के क्रियान्वयन के बावजूद हासिल की गई।

5. माननीय अध्यक्ष जी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमने 90,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है जबकि 11वीं योजना का परिव्यय

54,799 करोड़ रुपये का था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित परिव्यय 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 64 प्रतिशत अधिक है। हमने सामाजिक सेवा क्षेत्रों के परिव्यय में 11वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 111 प्रतिशत की वृद्धि की है।

6. अध्य जी, पिछले तेरह वर्षो का योजनागत विकास इस बात का साक्षी है कि मेरी सरकार ने प्रशासनिक सुधारों और सामाजिक-आर्थिक विकास के नए उपायों पर बल दिया है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इन सुध ारों और उपायों का प्रभाव शहर के भू-परिदृश्य, मानव विकास मानकों तथा नागरिक सुविधाओं में गुणात्मक सुधार के रुप में स्पष्ट दिखाई दे रहा हैं।

आर्थिक परिदृश्य

7. दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों के आधार पर 2011-12 में बढ़कर 3,13,934 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो 2010-11 में 2,64496 करोड़ रुपये था, जिसमें 18.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2011-12 में दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वास्तविक वृद्धि की तुलना में निश्चित रुप से बेहतर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वास्तविक वृद्धि 11.46 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 7.94 प्रतिशत रही। इस प्रकार दिल्ली की अर्थव्यवस्था निश्चित रुप से स्थायी आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर है।

8. राष्ट्री स्तर के सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान करीब 3.8 प्रतिशत है जबकि देश की कुल जनसंख्या में दिल्ली की हिस्सेदारी 1.4 प्रतिशत है।

दिल्ली में 2011-12 में प्रति-व्यक्ति आय 1.76 लाख रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति-व्यक्ति आय 60,972 रुपये आंकी गई है। दिल्ली में प्रति-व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की प्रति-व्यक्ति आय से तीन गुणा है। प्रति-व्यक्ति आय के मामले में सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में दिल्ली दूसरे स्थान पर है।

कीमतें

9. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिल्ली में मुद्रास्फीति की दर 2011-12 के दौरान 7.83 प्रतिशत रही। मुम्बई में यह 10.11 प्रतिशत, चेन्नई में 7.98 प्रतिशत और राष्ट्रीय स्तर पर 8.33 प्रतिशत थी। आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों में वृद्धि हालांकि एक राष्ट्रीय अवध ारणा है, लेकिन फिर भी 2011-12 के दौरान दिल्ली में महंगाई की दर अन्य मेट्रोपॉलिटन शहरों और राष्ट्रीय स्तर की तुलना में सबसे निचले स्तर पर रही है। इसका श्रेय लगातार निगरानी और बाजार हस्तक्षेप जैसे उपायों को जाता है।

वित्तीय स्थिति

10. वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद 2011-12 में कर वसूली में 21.2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई। आर्थिक मंदी का विपरीत असर वैट की वसूली पर पड़ा, जिसमें 2011-12 के दौरान 14 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि दर्ज हुई। किन्तु, कड़े नीतिगत निर्णयों और बेहतर कर प्रबंधन का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में शानदार बढ़ोत्तरी के रुप में सामने आया, जहां स्टैम्प और पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राजस्व में 65 प्रतिशत, मोटर वाहन कर की वसूली में 48 प्रतिशत और

राज्य आबकारी के अंतर्गत 25 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई। कर वसूली में हुई समग्र बढ़ोत्तरी से वास्तव में एनडीएमसी और पूर्व एमसीडी को लाभ पहुंचा और यह लाभ नवगठित तीन नगर निगमों को निरन्तर मिलता रहेगा। चालू वित्त वर्ष (2012-13) में 26,150 करोड़ रुपये की कर वसूली का लक्ष्य प्रस्तावित है। वर्ष 2011-12 में 19,972 करोड़ रुपये की कर वसूली की तुलना में चालू वित्त वर्ष में कर वसूली में 31 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात जो 2011-12 में 6.36 प्रतिशत था वह वर्ष 2012-13 में बढ़कर 7 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

ऋण स्थिति

11. माननीय अध्यक्ष जी, विकास खर्च की जरुरतें पूरी करने के लिए हमारा प्रयास अधिक राजस्व जुटाना और भारत सरकार से मिलने वाले लघु बचत ऋणों पर निर्भरता कम करना है। इस वर्ष के बजट में लघु बचत से प्राप्त ऋण को शून्य रखा गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा बकाया ऋण जो 31 मार्च 2011 को 30,140 करोड़ रुपये था, 31 मार्च 2012 को घटकर 29,608 करोड़ रुपये रह गया। हमें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक हमारा बकाया ऋण घटकर 28,308 करोड़ रुपये रह जायेगा। हमारा ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2007-08 में 16.04 प्रतिशत था जो 2011-12 के दौरान घटकर 9.43 प्रतिशत रह गया। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि यह अनुपात देश में सबसे कम है।

सार्वजनिक निकायो के लिए गैर-योजना सहायता

12. दिल्ली जल बोर्ड स्वयं के संसाधनों से अपने सभी गैर-योजना खर्च पूरे करने में कामयाब रहा है। वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में दिल्ली जल बोर्ड ने अपने गैर-योजना खर्च के लिए दिल्ली सरकार से कोई सहायता नहीं ली। वास्तव में, दिल्ली जल बोर्ड 2011-12 में दिल्ली सरकार को 81.36 करोड़ रुपये का मूलधन लौटाने में कामयाब रहा। यह राशि पिछले वर्षो लिए गए योजना ऋण के संदर्भ में वापस की गई।

13. दिल्ली परिवहन निगम की राजस्व आय में भी कुछ सुधार हुआ है। किन्तु, मौजूदा किराया ढांचे के अंतर्गत निगम की राजस्व वसूली उसके गैर-योजना खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं 2012-13 के दौरान डीटीसी को गैर-योजना घाटा दूर करने के लिए 600 करोड़ रुपये का गैर-योजना अनुदान देने का प्रस्ताव करती हूं।

14. इसी प्रकार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के पास सीमित आय है। और आंतरिक संसाधन जुटाने की इसकी क्षमता वर्तमान में अत्यन्त परिसीमित है। मैं डीयूएसआईबी को भी 2012-13 के दौरान गैर-योजना घाटा दूर करने के लिए 60 करोड़ रुपये का गैर-योजना अनुदान देने का प्रस्ताव करती हूं।

दिल्ली नगर निगम का विभाजन

15. अध्यक्ष जी, नव-गठित नगर निगमों को दिल्ली नगर निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति विरासत में मिली है। मैं चालू वित्त वर्ष के बजट में तीनों नए

नगर निगमों को 1,831 करोड़ रुपये का गैर-योजना ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं और साथ ही गैर-योजना अनुदान, बुनियादी कर-असाइन्मेंट और नगर सुधार प्रोत्साहन में हिस्सेदारी के रुप में स्थानीय निकायों को 2,400 करोड़ रुपये के हस्तांतरण का प्रस्ताव करती हूं। यह प्रस्ताव तीसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरुप है। योजना शीर्ष के अंतर्गत 1,746 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में तीनों नगर निगमों के लिए योजना और गैर-योजना परिव्यय हेतु कुल 5,863 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।

राजकोशीय घाटा

16. दिल्ली का राजकोषीय घाटा 2011-12 में 3,177 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) होने का अनुमान था, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.01 प्रतिशत है, जबकि इसकी तुलना में सभी राज्यों का राजकोषीय घाटा वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत रहा है। 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा कम करके 2604 करोड़ रुपये तक लाने का प्रस्ताव है।

2012-13 के लिए बजट अनुमान

17. चालू वित्त वर्ष के लिए कुल प्रस्तावित व्यय 33,436 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। यह 2010-13 के लिए निर्धारित 30,970 करोड़ रुपये की अंतरिम बजट राशि से 2,466 करोड़ रुपये अधिक है। गैर-योजना खर्च 15,811 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 18,268 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके मुख्य कारणों में 2012-13 के दौरान तीन नगर निगमों को 1831 करोड़ रुपये के गैर-योजना ऋण प्रदान करना, चालू वित्त वर्ष के कर-राजस्व के

लक्ष्य में बढ़ोतरी के फलस्वरुप स्थानीय निकायों को 275 करोड़ रुपये हस्तांतरिक करने का अतिरिक्ति प्रावधान करना, क्लस्टर बसों के लिए 95 करोड़ रुपये का अतिरिक्त गैर-योजना अनुदान, गैर-योजना घाटा पूरा करने के लिए डीटीसी को 86 करोड़ रुपये और डीयूएसआईबी को 60 करोड़ रुपये देना शामिल है।

18. वार्षिक योजना के 15,000 करोड़ रुपये के निर्धारित आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रावधान 159 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 168 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

19. का राजस्व लक्ष्य में 1840 करोड़ रुपये, गैर-कर राजस्व में 28 करोड़ रुपये, पूंजी प्राप्ति लक्ष्य में 102 करोड़ रुपये तथा केन्द्र प्रयोजित योजनाओं के अनुदान में 9 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी के लक्ष्य को देखते हुए अंतरिम बजट में अनुमानित 27,552 करोड़ रुपये की हमारी प्राप्तियों में 19,979 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। कुल प्राप्तियां अब 29,531 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

20. 33,436 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट के लिए धन की व्यवस्था के अन्तर्गत 26,150 करोड़ रुपये कर राजस्व से, 726 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व से, 728 करोड़ रुपये पूंजी प्राप्तियों से , 1,928 करोड़ रुपये केन्द्र से सहायता अनुदान के रुप में और 3,904 करोड़ रुपये चालू वर्ष के प्रारम्भिक शेष के रुप में जुटाए जाएंगे। इस प्रकार प्रस्तावित बजट के 94 प्रतिशत धन की व्यवस्था स्वंय के संसाधनों से की जाएगी और 6 प्रतिशत धन केन्द्र से सहायता अनुदान के रुप में जुटाया जाएगा।

प्रमुख कार्यक्रम

21. अध्यक्ष जी, 2012-13 की वार्षिक योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्रथम वार्षिक योजना है। सरकार को उम्मीद है कि कई रचनात्मक तरीकों से नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जाएगा। हम समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को अधिक गहन एवं व्यापक बनाएंगे। बच्चों, विशेषकर बालिकाओं पर निरन्तर ध्यान दिया गया है और आगे भी उन पर विशेष ध्यान देने की नीति जारी रहेगी। सरकार कौशल उन्नयन और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करेगी। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम सड़क ढांचे में सुधार के प्रसार जारी रखेंगे। सरकार उन सड़कों का सुधार और विस्तार करेगी, जिनका दायित्व हमें दिल्ली नगर निगम से प्राप्त हुआ है। जैसा कि हाल ही में घोषणा की गई थी, हम रिंग रोड को पूरी तरह सिग्नल फ्री बनाने का प्रयास कर रहे है। अपने लक्ष्यों और उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिए हम संसाधन जुटाने की स्थिति में सुधार लाने और कार्यक्रमों के तीव्र कार्यान्वयन के उपाय करेंगे।

22. 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा मुख्य जोर सामाजिक सेवा क्षेत्र पर रहेगा, ताकि अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सके। इसलिए 15,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावित योजना परिव्यय में से 9,796 करोड़ रुपये सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए आवंटिल किये गये हैं। इससे सामाजिक क्षेत्र में निवेश 2012-13 में बढ़कर कुल योजना परिव्यय का 65 प्रतिशत हो जायेगा, जो 2011-12 में 59 प्रतिशत था।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

23. कहा जाता है कि किसी सभ्य समाज की परीक्षा इस बात से होती है कि वह अपने बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है क्योंकि जीवन के शुरुआती विकास के वर्षो और जीवन के उत्तरार्द्ध में व्यक्ति सबसे कमजोर होता है। इनकी स्थिति को लिंग और जाति भेद अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए हम इन वर्गो की दशा और दिशा के प्रति निरंतर सजग रहें हैं। बच्चों के पोषण, युवाओं की सहायता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की आवश्यकता को देखते हुए मेरी सरकार ने अनेक दायित्वों को पमरा किया है और कई कार्यक्रम तैयार किये हैं।

24. माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सहकार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो और अन्य नाजुक वर्गो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके कल्याण के लिए पहले ही कई कार्यक्रम शुरु कर चुकी है। हम उन सभी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के निरंतर प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए, हमने शिक्षा के क्षेत्र में अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की दरों में बढोत्तरी की है। इसके अलावा सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक अजा/अजजा/अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक विद्यार्थी को हर वर्ष 1000/- रुपये का वजीफा देने का कार्यक्रम शुरु किया गया है। पाठ्य पुस्तकों की नि:शुल्क आपूर्ति, स्कूल की वर्दी के लिए 500 रुपये से 900 रुपये तक नकद सहायता, प्रतिशाली विद्यार्थियों के लिए 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच लाल बहादुर शास्त्री छात्रवृत्ति और अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आदि सभी ऐसे कार्यक्रम है जिनका लक्ष्य समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्गों के जीवन में सुधार लाना है।

25. लाडली कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के अस्पतालों में जन्म की प्रवृत्ति और महिलाओं में साक्षरता को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में 5 लाख बालिकाओं का पंजीकरण हो चुका है। मातृ-शिशु सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना, किशोरी योजना के अंतर्गत 708 सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में 7.17 लाख छात्राओं को नि:शुल्क सैनिटरी नैप्किन्स वितरित करने, जैसे सभी कार्यक्रम लिंग संवेदना को ध्यान में रखकर चलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार 70 वर्ष एवं उससे ऊपर आयु के वरिष्ठ नागरिक अनुसूचित जातियों से संबद्ध 60 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक तथा संकटग्रस्त महिलाएं को 1500/- रुपये प्रतिमाह की ऊंची दर से वित्तिय सहायता पाने की हकदार है।

26. आरोग्य निधि और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को दी जा रही वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, हमने **आरोग्य कोश** की स्थापना की है ताकि आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। इसके जरिए हम नागरिकों की सर्वाधिक जरुरत के समय मदद कर सकेंगे। आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित वर्गों के लिए स्वास्थ्य पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 90 मोबाइल औषधालय, 94 समेकित बाल विकास कार्यक्रम परियोजनाएं, और 10,607 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं।

27. मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास के लिए दिल्ली सरकार द्वारा फ्लैटों का निर्माण एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे जोर-शोर से लागू किया जा रहा है। झुग्गी-झोपड़ी बस्ती परिवारों में पात्र अनुसूचित जातियों के लिए फ्लैटों के मुफ्त आवंटन से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को बेहतर आवास प्रदान करने में मदद मिलेगी।

28. अध्यक्ष जी, जैसा कि आप जानते है सरकार जनाहार और आप की रसोई जैसे कार्यक्रमों के जरिए नि:शुल्क अथवा सस्ती दरों पर भोजन का प्रावधान कर रही है। खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने का फैसला किया गया है। इसलिए नए कल्याण कार्यक्रम शुरु किये जा रहे है।

29. अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम की सहर्ष घोषणा करती हूं। सरकार ऐसे कमजार परिवारों को खाद्य सब्सिडी रुप में 600 रुपये प्रतिमाह प्रदान करेगी, जो बीपीएल कार्डो या अन्नपूर्णा/अन्त्योदय कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभन्वित नहीं हो रहे हों। मैं माननीय सदस्यों को याद दिलानी चाहती हूं कि 600 रुपये प्रतिमाह की प्रस्तावित नकद खाद्य सहायता, नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, संकटग्रस्त महिलायों को पेंशन, विधवाओं को बेटी की शादी के लिए सहायता, शहरी निर्धनों के लिए कम लागत के मकान और निर्धनों के लिए अनेक कार्यक्रमों के अलावा दी जायेगी। इन उपायों से सरकार रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निर्धनों की जरुरतों को काफी हद तक पूरा करने में सक्षम होगी।

30. चालू वित्त वर्ष के दौरान करीब 2 लाख सबसे कमजोर परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जायेगा। 600 रुपये प्रतिमाह खाद्य सब्सिडी परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जायेगी। मैं इस कार्यक्रम के लिए चालू वित्त वर्ष में 150 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करती हूं।

31. अध्यक्ष जी, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में करीब 1.75 लाख परिवार (कुल परिवारों का 5.3 प्रतिशत) खाना पकाने के लिए केरोसिन पर

निर्भर हैं। सरकार ने इन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने और गैस चूल्हा खरीदने के लिए एकबारगी 2000 रुपये की नकद सहायता देने का निर्णय किया है। मैं इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 40 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करती हूं ताकि हम यह घोषणा कर सकें कि दिल्ली देश में पहला केरोसिन मृक्त शहर है जहां सभी परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन हैं। दिल्ली के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के हमारे प्रयासों में यह एक और मील का पत्थर साबित होगा। हमें उम्मीद है कि इस प्रयास में हमें भारत सरकार से मदद मिलेगी।

32. दिल्ली में सेवस क्षेत्र के विस्तार से रोजगार बाजार के स्वरुप को पूर्ण रुप से बदल दिया है। कुशल कारीगरों की मांग में वृद्धि दर को देखते हुये उनकी निपुणता में सुधार लाने की जरुरत है ताकि उपलब्ध रोजगार अवसरों का लाभ मिल सके। अत: बक्करवाला में एक शैक्षिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। यह शैक्षिक केन्द्र विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक पाठयक्रमों, जैसे नर्सिग, एएनएम, फिजियोथरेपी तकनीशियन, मेडिकल लैब तकनीशियन और रेडियोलॉजी तकनीशियन, के लिए प्रतिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा, सरकार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस जेएसआरबाई) के अंतर्गत कमजोर वर्गो के 60 हजार बेरोजगार युवकों के कौशल का उन्नयन करेगी, जिससे उन्हें रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।

33. अध्यक्ष जी, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के इन कार्यक्रमों के साथ-साथ यह भी जरुरी है कि अनुसूचित जातियों/अल्पसंख्यकों/अन्य पिछड़े वर्गो के लिए रोजगार के अवार मुहैया कराए जाएं। इसलिए सरकार ने अजा/अजजा/ अल्पसंख्यक/अपिव के लिए दिल्ली स्वरोगार योजना नाम का एक नया राज्य

स्तरीय कार्यक्रम लागू करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत हम दिल्ली में उद्यम लगाने के इच्छुक उद्यमी को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेंगे। मैं इस नये योजना कार्यक्रम के लिए चालू वित्त वर्ष के बजट में 50 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं।

34. अध्यक्ष जी, बच्चों को मजदूरी से बचाने, मुक्त कराने और उनके पुनर्वास के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान एक नया योजना कार्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसके लिए मैं 5 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित करती हूं। मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्ति जिनका इलाज पूर्ण हो गया है और रहने की कोई जगह नहीं है ऐसे व्यक्तियों के लिए 47 करोड़ रुपये की लागत से रोहिणी, द्वारका और नरेला में 5 हॉफ-वे-होम्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। मैं चालू वित्त वर्ष के बजट में 14 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं। मानसिक दृष्टि से बाधित व्यक्तियों के लिए नरेला में नये होम्स बनायं जाएंगे, जहां करीब 2 हजार व्यक्ति रह सकेंगे। सरकार ने 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पृथक बाल गृह बनाने का फैसला किया है।

35. सरकार नागरिकों की समानता के प्रति वचनबद्ध है और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दायित्व को भलीभांति समझती है। सरकार दिल्ली में अल्पसंख्यकों में उन समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की संभावनाओं का स्तर तत्काल बढ़ाने के प्रति विशेष रुप से चिंतित है, जो विभिन्न अध्ययनों के दौरान मानव विकास संकेतको की दृष्टि से अति पिछड़े समझे गये है। इसलिए हम अल्पसंख्यक बहुल जिले में करीब 150 आगनबाड़ी केन्द्र, महिलाओं के लिए 15 नए जेन्डर रिसोर्स केन्द्र खोलने और उर्दू माध्यम के सभी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं एवं शैक्षिक वातावरण में

सुधार के उपाय शुरु करने का प्रस्ताव करते है। मिशन करनवर्जेन्स के माध्यम से हम अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं में क्षमता निर्माण के लिए 10 नए केन्द्र प्रारंभ करना चाहते है ताकि उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकें।

36. अध्यक्ष जी, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण क्षेत्र में पहले से जारी सभी योजना कार्यक्रमों और नए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मैं वर्ष 2012-13 के बजट में 1,737 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं, जो 2011-12 की वार्षिक योजना के 1,298 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक है। विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत अजा/अजजा/अपिव/ अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 714 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है।

प्रशासनिक सुधार

37. पिछले वर्ष हमने परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के उपाय शुरु किए थे और इसके लिए संस्थागत व्यवस्थाओं में बड़े परिवर्तन किये गये थे। इस वर्ष भी हम उस सिलसिले को जारी रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि परियोजनाए तेजी से मंजूर की जाएं। मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि किफायत के कड़े उपायों की बदौलत हाल में समाप्त हुए वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-योजना व्यय में हम 5 प्रतिशत बचत करने में सफल रहे हैं। वास्तविक रुप में इस बचत का अर्थ है, 680 करोड़ रुपये की बचत। गैर-योजना आवंटन में 2,457 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी को देखते हुए गैर-योजना व्यय कम करने के लिए हम एक व्यापक आर्थिक अभियान शुरु करते हुए, अपेक्षित उपाय करेंगे।

38. इन उपायों में स्थानीय निकायों को भी पूरक भूमिका अदा करनी होगी। जब एक नवगठित स्थानीय निकाय अपने उत्तरदायित्वों पर ध्यान केन्द्रित नहीं करेंगे, फिजूल एवं अनावश्यक व्यय कम नहीं करेंगे, और स्वंय के संसाधन जुटाने के लिए ईमानदार प्रयास शुरु नहीं करेंगे, तब तक म्युनिसिपल प्रशासन के क्षेत्र में सुधार के हमारे प्रयासों के वांछित नतीजे नहीं मिल पायेंगे। मुझे विश्वास है कि स्थानीय निकाय इस दिशा में अपेक्षित कदम उठायेंगे। वास्तव में, ऐसे सुधार शुरु करके वे अपने लिए निर्धारित प्रोत्साहन अनुदान निधि से धन प्राप्त करने का दावा करने में सक्षम होंगे। यह अनुदान पिछले वर्षो से अभी तक इस्तेमाल नहीं हो पाया है।

39. हमने 13 सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के आधुनिकीकरण और उन्नयन का कार्य शुरु किया है। महरौली स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में 5.82 करोड़ रुपये की लागत से यह कार्य शुरु किया गया है ताकि उसे पहला मॉडल सब-रजिस्ट्रार कार्यालय बनाया जा सके। यह कार्यालय 1जूलाई 2012 से काम करना शुरु कर देगा। शेष कार्यालयों के आधुनिकीकरण और उन्नयन का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा किया जायेगा और चालू वित्त वर्ष में इस परियोजना के लिए 49 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

40. अध्यक्ष जी, समयबद्ध रुप में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की प्रतिबद्धता का अनुपालन करते हुए दिल्ली (सेवाओं के समयबद्ध वितरण का नागरिक अधिकार) अधिनियम, 2011 बनाया गया और उसे 15 सितम्बर 2011 से लागू किया गया। यह अधिनियम नागरिकों के लिए सेवाओं की समयबद्ध डिलिवरी सुनिश्चित करता है, अन्यथा संबद्ध अधिकारी को निध ीरित दंड का भुगतान करना पड़ता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 96 सेवाएं

शामिल की गई है। इससे आम लोगों को सेवाओं की समयबद्ध डिलिवरी पाने में लाभ पहुंच रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत और सेवाओं को लाने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य

41. अध्यक्ष जी, सरकार ने दिल्ली के नागरिकों को निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य केन्द्रों, स्पेशल क्लिनिकों, सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य संस्थानों, निवारक एवं उपचारात्मक उपायों से संबद्ध जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक विस्तृत स्वसस्थ्य ढांचा तैयार किया गया है। इन कार्यक्रमों को लागू करके हमें दिल्ली के अस्पतालों में आबादी-बिस्तर अनुपात में सुध ार लाने में सफलता मिली है। यह अनुपात 2004 में प्रति एक हजार आबादी के लिए 2.25 बिस्तरों का था, जो 2011 में बढ़कर 2.55 बिस्तरे हो गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा लक्ष्य आबादी-बिस्तर अनुपात में बढ़ोतरी करके इसे प्रति एक हजार आबादी के लिए 3 बिस्तरों तक ले जाना है।

42. अस्पताल बिस्तरों की अपेक्षित संख्या में अतिरिक्त वृद्धि सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के अस्पतालों में की जायेगी। सार्वजनिक क्षेत्र में दिल्ली सरकार की योजना 2900 नए अस्पताल बिस्तर जोड़ने की है, जिसके लिए 200 बिस्तर की क्षमता वाले 06 नए अस्पतालों, 100 बिस्तर क्षमता का एक अस्पताल, 750 बिस्तर क्षमता का नया अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज बनाने और कई मौजूदा अस्पतालों में अतिरिक्त ब्लॉकों का निर्माण करके उनके विस्तार की योजना है। चालू वित्त वर्ष के दौरान बुराड़ी, अम्बेडकर नगर,

हस्तसाल, सिरसपुर, मादीपुर, और सरिता विहार में नये अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरु किया जायेगा।

43. दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान का दूसरा चरण चालू वित्त वर्ष में शुरु करने का प्रस्ताव है ताकि इसकी विस्तर क्षमता 150 से बढ़ाकर करीब 300 की जा सके। डीएससीआई (पश्चिम) के रुप में एक नये केन्द्र की स्थापना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जनकपुरी में की जायेगी।

44. अध्यक्ष जी, अशोक विहार में दीपचन्द्र बंधु अस्पताल, जनकपुरी और ताहिरपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चालू वित्त वर्ष के दौरान काम करना शुरु कर देंगे। इससे बिस्तरों की मौजूदा क्षमता में करीब 1150 बिस्तरों की बढ़ोत्तरी होगी।

45. मौलाना आजाद दन्त विज्ञान संस्थान, मानव व्यवहार एवं अनुषंगी विज्ञान संस्थान, चाचा नेहरु बाल चिकित्सालय और इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलिएरी साइंसेज, को अस्पतालों के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो गई है।

46. पिछले वर्ष मैने चाचा नेहरु बाल सेहत योजना नाम के नए योजना कार्यक्रम की घोषण की थी। इसके अंतर्गत सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों मे ं 14 वर्ष तक की आयु के करीब 1.78 लाख विद्यार्थियों की व्यापक स्वास्थ्य जांच का काम पूरा किया गया। रेफश्ल सेवांए और परवर्ती चिकित्सी सहायता प्रदान करना भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। स्कूल जाने वाले और स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों सहित 2 से 18 वर्ष की आयु के 30 लाख बच्चों को स्वास्थ्य लाभ पंहुचाने के लिए डी-वोरमिंग अभियान यानी कीटाणु नष्ट करने का एक व्यापक अभियान शुरु किया गया। डी-वोरमिंग अभियान हर वर्ष चलाया जायेगा। सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले

10-19 वर्ष की आयु के सभी किशोर-किशोरियों को आयन और फॉलिक एसिड की पूरक खुराक प्रदान करने का साप्ताहिक कार्यक्रम शुरु करेगी। मै। चाचा नेहरु बाल सेहत योजना के लिए 2012-13 के बजट में 100 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूँ।

47. शहरी स्लम बस्ती निवासियों के लिए मधुमेह और हाइपर टेंशन जांच कार्यक्रम शुरु किया गया। इसके अंतग्रत 58 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 623 स्लम बस्तियों को कबर किया जा चुका है।

48. हम इस वर्ष से बच्चों के लिए परिष्कूत रोग प्रतिरक्षण कवरेज प्रारंभ करने का पस्ताव करते हैं, जिसके अंतर्गत पेंटावैलेंट टीका लगाया जायेगा, जो 5 बीमारियों से बचाव का एक टीका है। ये बीमारियां है-डिफथीरिया, पर्टुसिस, टेटनस (डीपीटी), हेपटाइटिस-बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये टीका न केवल बच्चों को दिये जाने वाले 3 रोग प्रतिरक्षण टीकों के स्थान पर अकेला काम करेगा बल्कि बच्चों को निमोनिया, मेनिनजाइटिस और कान में होने वाले संक्रमण से बचायेगा। इस उपाय से शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

49. अध्यक्ष जी, एचआईवी/एड्ा के साथ जी रहे लोगों को गुंभीर संक्रमणों की रोकथाम के लिए जीवन भ्र उपचार की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें अपनी बाधित प्रतिरक्षण प्रणाली से निपटने के लिए अतिरिक्त पोषण और संतुलित भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है। सरकार ने फैसला किया है कि एचआईवी/एड्स का सामना कर रहे निर्धन व्यक्तियों को एंटी-रिट्रोवाइरल

उपचार के लिए 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जायेगी। एचआईवी/एड्स से संक्रमित अनाथ बच्चों को 2050 रुपये प्रति माह और एचआईवी/एड्स से प्रभावित अनाथ बच्चों को 1750 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे। मैं 2012-13 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 5 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं।

50. जीवन के लिए घातक बीमारियों के विशेषज्ञतापूर्ण उपचार के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इस तरह की बीमारीयों की उपचार लागत बहुत अधिक आती है। सरकार ने 2011-12 में 110 करोड़ रुपये अनुदान के साथ दिल्ली आरोग्य कोष की स्थापना की है। इसका उद्देश्य 1 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को घातक बीमारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत आय पात्रता सीमा मौजूदा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये का प्रस्ताव करती हूं ताकि अधिक संख्या में जरुरतमंद लोगों को लाभ मिल सके।

51. अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में फिलहाल 24 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध है और दिल्ली में करीब 8000 रोगियों को डायलिसिस सेवाओं की आवश्यकता है। अतः हमारी सरकार ने पीपीपी मोड पद्धति के अंतर्गत 4 स्थानों पर 100 डायलिसिस मशीनें स्थापित करने का निर्णय किया है। ये डायलिसिस केन्द्र चालू वित्त वर्ष में काम करना शुरु कर देंगे।

52. वर्त्तमान में कैट्स अपने 35 एम्बुलेंस वैनों के बेड़े के जरिए एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर रहा है। चालू वर्ष में 70 नई एम्बुलेंस खरीदकर इस बेड़े का विस्तार किया जायेगा।

53. मैं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2,124 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करती हूं जो 2012-13 के कुल योजना परिव्यय का 14.16 प्रतिशत है। 2011-12 में इस क्षेत्र का आवंटन कुल योजना परिव्यय का 12.8 प्रतिशत था। पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र के परिव्यय में 2012-13 में 16.6 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है।

शिक्षा

54. अध्यक्ष जी, शैक्षिक ढांचे में विस्तार और सुधार के व्यापक प्रसासों की बदौलत दिल्ली में साक्षरता की दर 2011 में बढ़कर 86.34 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि 2001 में यह 81.67 प्रतिशत और 1991 में 75.29 प्रतिशत थी। दिल्ली में साक्षरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है, जो 1991 में 59 लाख से 2001 में बढ़कर 97 लाख और 2011 में और भी बढ़कर 145 लाख हो गए हैं।

55. शिक्षा को सरकार द्वारा दी जा रही प्राथमिकता का पता इस बात से चलता है कि इस क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में शिक्षा पर योजना व्यय 2011-12 में बढ़कर 1,313 करोड़ रुपये हो गया, जो 2004-05 में 337 करोड़ रुपये था। इस अवधि में इसमें करीब चार गुणा वृद्धि हुई है। मैं इस क्षेत्र के लिए 1901 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं जो 2012-13 के कुल योजना परिव्यय का 12.67 प्रतिशत है जबकि 2011-12 में यह योजना परिव्यय का 9.44 प्रतिशत था।

56. सरकार प्रत्येक बच्चे को उसके घर के नजदीक ही स्कूल सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है। 26 स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है और 5 स्कूलों को सर्वोदय

विद्यालयों में परिवर्तित किया गया है। 44 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में नए विषय प्रारंभ किये गये है। वर्त्तमान में दिल्ली सरकार के 961 स्कूल हैं, जिनमें 377 सर्वोदय विद्यालय हैं। 216 सहायता प्राप्त स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। करीब 15 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में दाखिल है जबकि 1.70 लाख सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

57. अध्यक्ष जी, दिल्ली ने 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधि नियम लागू करने में पहल की है। दिल्ली सरकार पब्लिक स्कूलों में दाख्लि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के विद्यार्थियों के खर्च की अदायगी कर रही है। 2011-12 में नि:शुल्क कोटा के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के 14 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने प्राइवेट स्कूलों में दाखला लिया। 2012-13 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गो के करीब 20 हजार विद्यार्थियों के दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने की संभावसना है।

58. वर्त्तमान में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें और युनिफार्म सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। मैं सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को लेखन सामग्री/स्टेशनरी खरीदने के लिए नकद प्रोत्साहन के रुप में कक्षा 1 से 5 तक 300 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 400 रुपये प्रति वर्ष देने का प्रस्ताव करती हूं। इस नए कार्यक्रम से करीब 8 लाख विद्यार्थियों का फायदा होगा और इस पर 30 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च आयेगा।

59. दिल्ली सरकार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय आज दिल्ली में सर्वोत्कृष्ट विद्यालयों में शामिल हैं, जिनके माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक

स्तर के परिणाम शत-प्रतिशत आ रहे हैं। 2012-13 में सभी राजकीय प्रतिभा विकास विद्याालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक प्रत्येक कक्षा के एक सेक्शन में स्मार्ट कक्षाएं शुरु की जायेंगी।

60. नए स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 100 स्थलों की पहचान की गई है। इनमें से 90 स्थलों का कब्जा लिया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 29 नए स्कूल भवन और 13 एसपीएस स्कूल भवनों का निर्माण शुरु किया जाएगा।

61. दिल्ली सरकार की वित्तीय सहायता से चल रहे कॉलेजों के लिए भवसनों का निर्माण उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख कार्य्रक्रम होगा। द्वारका में दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, रोहिणी में शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टॅडीज और महर्षि बाल्मिकी कॉलज ऑफ एजुकेशन, तथा कैर गांव में भगिनी निवेदिता कॉलेज के लिए भवनों का निर्माण कार्य चालू वित्त वर्ष में शुरु करने का प्रस्ताव है।

62. इसी प्रकार सूरजमल विहार में गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के दूसरे कैम्पस का निर्माण कार्य 2012-13 में शुरु किया जायेगा।

63. अध्यक्ष जी, दिल्ली राज्य विश्वविद्यालयों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर श्रेणी के विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ट्यूशन फीस का आधा हिस्सा अदा करने के उद्देश्य से हमने 'युवा निर्माण कार्यक्रम' शुरु किया है। अभी तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाता है। मैं पात्रता के लिए परिवार की आय की सीमा चालू शैक्षिक वर्ष से एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं इस वर्ष से राज्य विश्वविद्यालयों

के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को दी जान वाली राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं।

64. अध्यक्ष जी, दिल्ली इन्स्टीट्यूट ऑप होटल मैनजमेन्ट अब अपने कॉम्पलेक्स में काम कर रहा है। आवभगत और पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित और उपयुक्त कार्मिकों की बढ़ती मांग को देखते हुए बी.एस.सी. पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 120 की जा रही है। इस संस्थन को वर्ष 2010-11 के दौरान रोजगार दिलाने में सर्वोत्कृष्ट निष्पादन के लिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

65. इन्दिरा गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन किया जाएगा और चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित विधेयक के जरिए इस शैक्षिक सत्र से इसे इन्दिरा गांधी महिला तकनीकी विश्वविद्यालय के रुप में पुनर्गठित किया जायेगा।

आवास एवं भाहरी विकास

66. अध्यक्ष जी, 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार दिल्ली में 99 प्रतिशत परिवारों के पास विद्युत कनेक्शन है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह सुविधा 67 प्रतिशत परिवारों के पास है।

67. कुल परिवारों में से करीब 90 प्रतिशत परिवार खाना पकाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल कर रहें हैं, जबकि 2001 में 68 प्रतिशत परिवारों के पास एलपीजी थी। जैसी की मैंने पहले बताया है, हम नये योजना कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 2 लाख परिवारों को सब्सिडी प्रदापनप करेंगे ताकि वे एलपीजी कनेक्शन हासिल कर सकें। इससे दिल्ली देश का पहला केरोसिन मुक्त शहर बन जायेगा।

68. आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन-जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत निर्मित 500 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का प्रथम आवंटन जल्द ही शुरु किया जायेगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस मकानों के आवंटन की प्रक्रिया सभी निर्मित 15 हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को आवंटन पूर्ण होने तक जारी रहेगी।

69. ग्रामीण और शहरीकृत गांवों का विकास इस योजना अवधि में एक प्राथमिकता वाला कार्यक्रम होगा। दिल्ली में शहरीकृत गांवों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकार ने फैसला किया है कि शहरी विकास विभाग शहरीकृत गांवो में विकास कार्यो की मंजूरी देगा और उनके क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगा। मैं 2012-13 के दौरान शहरीकृत गांवों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 53 करोड़ रुपयें और ग्रामीण गांवों में सुविधाओं के लिए 192 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं।

70. अध्यक्ष जी, मेरी सरकार सभी पात्र अनधिकृत कॉलोनियों को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के दायरे में नियमित करने के प्रति वचनबद्ध है। इस प्रक्रिया में अधिक समय लगने का कारण यह है कि दिशा-निर्देशों मे निरध ारित विभिन्न अपेक्षाएं पूरी करने की जिम्मेदारी अनेक विभागों और एजेंसियों से सम्बद्ध है। अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन की प्रक्रिया में सभी बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रावधान भी शामिल है। सरकार ने इन कॉलोनियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए मार्च 2012 तक 2,597 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। मैं इस प्रयोजन के लिए चालू वित्त वर्ष में 631 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं। यदि आवश्यकता पड़ी तो इस राशि में उपर्युक्त बढ़ोत्तरी की जायगी ताकि यह सुनिश्चत किया जा सके कि धन की कमी के कारण अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य बाधित न हों।

71. अध्यक्ष जी, पूर्व स्लॅम विंग ने 29 स्लॅम पुनर्वास कॉलोनियों में विभिन्न झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों से करीब 65 हजार परिवारों का पुनर्वास किया, जिन्हें 25 वर्ग मीटर, 18 वर्ग मीटर और 12.5 वर्ग मीटर के प्लॉट आवंटित किये गये। इन सभी स्लॅम पुनर्वास कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए 2011-12 में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को 85 करोड़ रुपये दिये गये थे। इसके अंतर्गत विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं, जो चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरे हो जायेंगे।

72. अध्यक्ष जी, इस विशाल शहर में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ बेघर लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। डीयूएसआईबी ने शहर के सभी हिस्सों में 150 रैन बसेरे स्थापित किये हैं। इनमें से 66 रैन बसेरे स्थाई भवनों में और 84 रैन बसेरे अस्थाई रुप से चलाये जा रहे हैं।

73. इसके अलावा डीयूएसआईबी को कटरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। मैं इस प्रयोजन के लिए 5 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं।

74. अध्यक्ष जी, हमारा विश्वास है कि विकास के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। हमने मेरी दिल्ली मैं ही संवारुं कोष कार्यक्रम शुरु किया था ताकि प्रत्येक कॉलोनी, बस्ती में आवश्यक विकास कार्यों के सुझाव लोगों द्वारा आरडब्लूए के जरिए दिये जा सके। प्रत्येक जिले में रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों द्वारा बड़ी संख्या में प्रस्तावित कार्यो को देखते हुए मैं इस कार्यक्रम के लिए 2012-13 में प्रावधान बढ़ाकर 45 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करती हूं जो 2011-12 में 5 करोड़ रुपये था। इस वित्त वर्ष से प्रत्येक

जिले में 5 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों कर संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

75. दिल्ली में करीब 44 झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में बड़ी संख्या में परिवार रह रहे है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि मूल आवंटियों का मालिकाना अधिकार देने की अनुशंसा भारत सरकार से की जाय। सरकार अन्य कब्जाधारियों को भी ऐसे अधिकार देने संबंधी मुददों पर भी गंभीरता से विचार कर रही है।

परिवहन

76. वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने पर दिल्ली को निश्चित रुप से एक प्रभावशाली आइकोनिक संरचना प्राप्त होगी। सिग्नेचर ब्रिज परियोजना दिसम्बर 2013 तक पूरी की जानी है। फ्लाईओवर का एक कैरिज मार्ग यातायात के लिए खोला जा चुका है और दूसरा कैरिज मार्ग जुलाई 2012 में यातायात के लिए खोला जाएगा।

77. अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम अपने सड़न नेटवर्क का रख-रखाव ठीक से नहीं कर पाया। इसलिए सरकार ने 60 फुट और उससे अधिक चौड़ी 512 सड़कों का रख-रखाव अपने हाथ में लिया है जिनकी कुल लम्बाई 645 किलोमीटर है। अब लोक निर्माण विभाग ऐसी सभी सड़कों की हालत में सुध ार करेगा और उनका रख-रखाव रखेगा। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में 250 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान का प्रस्ताव है।

78. बारापुला नाला रोड वाइपास के दूसरे चरण को भी हाल में मंजूरी दी गई है। 8 किलामीटर लम्बी इस सड़क से रिंग रोड पर भीड़ कम करने में मदद

मिलेगी और आईएनए मार्केट के साथ एक महत्वपूर्ण सम्पर्क प्रदान होगा। हम जेएनएनयूआरएस के अंतर्गत धन प्राप्त करना चाहेंगे, जिसके लिए 240 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

79. अध्यक्ष जी, बड़ी संख्या में फ्लाइओवरों और रोड अंडर ब्रिजों के निर्माण के साथ रिंग रोड अब प्रेमबाड़ी पुल से आजादपुर के बीच छोटे से हिस्से को छोड़कर लगभग सिग्नल फ्री रोड बन गया है। जैसी की आप सभी जानते है, बाहरी रिंग रोड बनाने का निर्णय किया गया है। इसके लिए विकासपुरी और बजीराबाद के बीच फ्लाइओवरों, रोड अंडर ब्रिजों और आंशिक एलिवेटिड रोड सेक्शन का निर्माण किया जायेगा, जिन पर करीब 2400 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। यह परियोजना चालू वित्त वर्ष में शुरु की जायेगी।

80. अध्यक्ष जी, हमने सभी ब्लू लाइन बसों को कारपोरेट सेक्टर बस ऑपरेटर सिस्टम में बदलने का निर्णय लिया है। करीब 265 कारपोरेट सेक्टर बसे दिल्ली के यात्रियों को सेवाएं प्रदान कर रही है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक इनकी संख्या बढ़ाकर 1000 करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों सदस्यों सूचित करना चाहती हूं कि करपोरेट सेक्टर बस ऑपरेटर स्कीम शुरु करने हेतु दिल्ली करकार को शहरी परिवहन में सरकारी निजी भागीदारी के लिए सर्वोत्कृष्ट पहल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है।

81. डीटीसी के बेड़े में 3775 नई लो-फ्लोर बसों के अलावा 2000 पुरानी बसें हैं, जिन्हें चरणबद्ध रुप में बदलने की योजना है। चालू वित्त वर्ष में हम 600 नई लो-फ्लोर बसें खरीदने का प्रस्ताव करते है ताकि पुरानी डीटीसी बसों को बदला जा सके।

82. अध्यक्ष जी, दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण का निर्माण कार्य 2011-12 में शुरु हो चुका है। इस चरण के पूरा होने के साथ ही दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 103 किलोमीटर लम्बी नई मेट्रो लाइनें जुड़ जायेंगी, जिससे दिल्ली मेट्रो का मौजूदा नेटवर्क करीब 300 किलोमीटर का हो जायेगा। सबसे लम्बी मेट्रो से जुड़ेगी जो सभी तक इस सुविधा से वंचित थीं।

83. मल्टी मॉडल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और सुधार करने के लिए हमने यमुना पार क्षेत्र में पहली मोनो रेल कारिडोर परियोजना शुरु करने का फैसला किया है। इसका विकास दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जायेगा।

84. मैं 2012-13 में परिवहन क्षेत्र के लिए 3372 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करती हूं। जो कुल योजना परिव्यय का 22 प्रतिशत है।

जलापूर्ति

85. अध्यक्ष जी, 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में कुल परिवारों में से करीब 81 प्रतिशत परिवारों को पाइप के जरिए जलापूर्ति सुविधा प्राप्त है, जबकि 2001 में यह सुविधा 75 प्रतिशत परिवारों के पास थी। स्वच्छता के क्षेत्र में विकास का प्रभाव स्पष्ट रुप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2011 में 90 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय सुविधाएं है, जबकि 2001 में 78 प्रतिशत परिवारों के पास थी।

86. मुनाक और हैदरपुर के बीच पक्के चैनल के निर्माण के मार्ग में आने वाले अंतर-राज्यीय मुददों के समाधान के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहे है। दो नये जल शोधन संयत्रों का निर्माण कार्य द्वारका और ओखला में लगभग पूरा

हो गया है। पक्का समानान्तर चैनल बनने के बाद कच्चे पानी की जो बचत होगी उससे इन नए संयत्रों के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा और द्वारका तथा दक्षिणी दिल्ली की अन्य कॉलोनियों में जलापूर्ति की स्थिति में सुधार आयेगा।

87. अध्यक्ष जी, चंद्रावल जल शोधन संयत्र शहर का पहला जल शोधन संयंत्र है। दिल्ली सरकार ने इस जल संयंत्र के जीर्णोद्धार की दिल्ली जल बोर्ड की परियोजना को एक विदेशी सहायता परियोजना के रुप में मंजूरी दे दी है, जिस पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की आवश्कता पड़ेगी। जापान इंटरनेशल को- ओपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने तकनीकी सहायता के साथ इस परियोजना के वास्ते धन देने पर सहमति व्यक्त की है। इस परियोजना के पूरी हो जाने पर, जलापूर्ति की स्थिति में व्यापक सुधार होगा।

88. अध्यक्ष जी, नान-रेवन्यू जल की स्तर में कमी लाने के लिए अनेक उपाय किये गयं है। इनमें एक बड़ा कार्यक्रम सभी बिना मीटर बाले कनेक्शनों को मीटर वाले कनेक्शनों में बदलने से सम्बन्धित है। पहले लॉट में खरीदे गये 2. 5 लाख वाटर मीटरों में से 2 लाख मीटर पहले ही लगाए जा चुके है। 8 लाख और वाटर मीटर खरीदने के लिए कार्यवाही शुरु की गयी है। चुनी हुई कम्पनियों को वाटर मीटरों की आपूर्ति करनी होगी और 7 वर्ष तक इन मीटरों का रख-रखाव करना होगा।

89. 2012-13 में एक नया कार्यक्रम जल वितरण प्रणाली को युक्तिसंगत बनाते हुए उसमें सुधार लाने से संबंधित है। दिल्ली जल बोर्ड इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी-निजी-भागीदारी के तहत मौजूदा जलापूर्ति, ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्को को सुदृढ़ बनाने के लिए चुनी हुई परियोजनाएं शुरु करेगा।

90. मैं 2012-13 के बजट में जलापूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र के लिए 1800 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव करती हूं। यह कुल योजना परिव्यय का 12 प्रतिशत है और पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

पर्यावरण

91. अध्यक्ष जी, यमुना नदी में प्रदूषण नियंत्रित करना 12वीं पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 3 प्रमुख नालों के साथ इंटरसेप्टर सीवर स्थापित करने का काम शुरु किया गया है। यह परियोजना और वाईएपी-2 योजनाएं पूरी होने पर प्रदूषकों के उत्सर्जन में काफी कमी आयेगी।

92. गांवों और अनधिकृत कॉलोनियों को सीवर प्रणाली के अंतर्गत लाने से यमुना में अशोधित जल का प्रवाह रोकने में मदद मिलेगी। भारत सरकार की सहायता से दिल्ली जल बोर्ड ने 1600 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं की पहचान की है जिन्हें वाईएपी-चरण 3 के अंतर्गत लागू किया जायेगा।

93. चालू वित्त वर्ष के दौरान यमुना विहार में 25 एमजीडी, कोन्डली में 45 एमजीडी और ओखला में 30 एमजीडी क्षमता के नए जल शोधन संयत्र चालू किये जायेंगे, जिनसे मार्च 2013 तक कुल सीवरेज क्षमता 514 एमजीडी से बढ़कर 614 एमजीडी हो जायेगी। चिल्ला और दिल्ली गेट सीवर उपचार संयत्रों के विस्तार का काम शुरु किया गया है ताकि इन दोनों संयत्रों के कमान क्षेत्रों से उत्सर्जित समग्र मलजल का उपचार किया जा सके।

94 . अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली के उन सभी नागरिकों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने 2011 के 10 लाख पौधे लगाने के अभियान में गहरी रुचि

प्रदर्शित की और अपना योगदान किया। उनकी सहायता और सहयोग की बदौलत हमने 10 लाख के लक्ष्य से अधिक 14 लाख पौधे लगाए। यह संतोष की बात है कि वर्तमान में दिल्ली में करीब 20 हजार लघु, मध्यम और बड़े अकार के उपवन और उद्यान तथा 40 नगरीय वन हैं।

95. अध्यक्ष जी, दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों और बच्चों ने प्रमुख भूमिका अदा की है। 2000 ईको-क्लबों द्वारा चलाये गए विविध अभियानों और गतिविधियों के जरिए यह लक्ष्य हासिल किया जा सका। मैं चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक ईको-क्लब को दी जाने वाली वार्षिक वित्तीय सहायता 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का प्रस्ताव करती हूं।

96. महात्मा गांधी इंन्स्टिट्यूट फॉर कैम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज (एमजीआईसीसीसी) को महात्मा गांधी इंन्स्टिट्यूट फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी (एमजीआईयूएस) के रुप में पुनर्गठित करने और नया रुप देने का प्रस्ताव है। इसके लिए इस सम्मानित सदन में नया विधेयक पेश करने का प्रस्ताव है।

उद्योग

97. अध्यक्ष जी, सरकार ने 1800 करोड़ रुपये की लागत से बापरौला के निकट करीब 77 एकड़ क्षेत्र में ज्ञान-आधारित औद्योगिक पार्क विकसित करने का फैसला किया है। इस परियोजना से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, आईटीईएस, मीडिया, अनुसंधान एवं विकास, रत्न एवं आभूषण और व्यापार सेवाओं संबंधी जरुरतें पूरी होंगी। हमें उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में इसका निर्माण कार्य शुरु हो जायेगा।

98. अध्यक्ष जी, डीएसआईआईडीसी ने नॉन-कन्फर्मिंग क्षेत्रों में संचालित औद्योगिक इकाइयों के लिए बवाना, भोरगढ़ और नरेला में 22,465 नये औद्योगिक प्लॉट आवंटित किये हैं। बवाना औद्योगिक इस्टेट में आवंटित प्लॉटों में से 85 प्रतिशत का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

99. सिंगापुर सरकार के सहयोग से जौनापुर में एक विश्व स्तरीय ग्रीन फील्ड कौशल-अन्न्यन केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है। इससे बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों और अन्य कार्मिकों को अपने कौशल में सुधार लाने की सुविधाएं प्राप्त होंगी ताकि वे विश्व में सर्वोत्कृष्ट तकनीकि कार्मिकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

100. अध्यक्ष जी, डीएसआईआईडीसी को सभी औद्योगिक इस्टेटों के सुधार और रख-रखाव का दायित्व सौंपा गया है। मैं औद्योगिक इस्टेटों के रख-रखाव के लिए चालू वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं।

101. अध्यक्ष जी, मैंने संक्षेप में उन सिद्धांतों, लक्ष्यों और वरीयता क्षेत्रों को उजागर करने का प्रयास किया है, जिनसे अगले वर्षो में हम मार्गदर्शन मिलेगा। यह रुप-रेखा आने वाले वर्षो में हमारी प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानदंड के रुप में भी काम करेगी। इस सबसे इतना स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य एक बेहतरीन, उत्पादक, और सबके हितों को सुनिश्चित करने वाले शहर का निर्माण करना है। यह एक विश्व स्तरीय शहर होगा।

102. अध्यक्ष जी, अब मैं अपने बजट भाषण का खण्ड 'ब' प्रस्तुत करती हूं।

कर प्रस्ताव

भाग-ख

103. अध्यक्ष जी, अपने भाषण के भाग-'क' में मैंने सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयास किया हैं। अपने सपनों के शहर का निर्माण करने के लिए सरकार को संसाधन जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरण के लिए तीन नए नगर निगमों को भारी ऋण प्रदान करने होंगे ताकि उन्हें उस वित्तीय संकट से उभारा जा सके जो उन्हें विरासत में मिला है। इससे गैर-योजना व्यय संबंधी आवश्यकताओं में भारी वृद्धि होगी। हमें अपनी कल्याण योजनाओं के प्रति वचनबद्धताएं पूरी करना भी अनिवार्य है। इन सब तथ्यों को देखते हुए कुछ कड़े निर्णय करना स्पष्ट तौर पर हमारा दायित्व हो जाता है, जिन्हें स्थागित नहीं किया जा सकता।

104. तदनुरुप, हमें विशेष कर-अनुपालन लागू करने, बकाया करों और शुल्कों की वसूली पर जोर देने, जाली पंजीकरणों और रिफंड में धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान चलाने, अपीलों के तीव्र निपटान और डी-वैट लेखा परीक्षणों की संख्या/प्रतिशत बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। कर-राजस्व की चोरी और वंचना रोकने के उपाय भी लागू करने होंगे।

105. ऐसे ही उपाय नगर निगमों को भी उपने राजस्व आधारों का तर्क-संगत बनाने के लिए करने होंगे। मैं उनसे अपील करती हूं कि वे संसाधनों की स्थिति की गंभीरता से समीक्षा करें। उन्हें राज्य सरकार पर कम-से-कम निर्भर रहने के प्रयास करने चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे हमने केन्द्र सरकार पर निर्भरता कम की है।

106. अध्यक्ष जी, कर प्रबंधन को सुचारु बनाने के साथ ही हम प्रक्रियाओं को सरल बनाने, परदर्शिता कायम करने और सभी क्षेत्रों में ई-गवर्नेन्स की व्यवस्था करने के गंभीर उपाय करेंगे। बिक्री और खरीद का ब्योरा भौतिक रुप में दाखिल करने की पद्धति पूरी तरह बंद कर दी गई है, जिससे व्यापारियों के लिए अपने व्यापारिक परिसरों या घर से भी किसी भी समय रिटर्न दाखिल करना आसान हो गया है। सभी व्यापारियों को इस प्रयोजन के लिए 17 अधि कृत बैंकों के माध्यम से ऑन-लाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है। व्यापारियों को अधिक विकल्प प्रदान करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिक बैंको को ई-भुगतान सुविधा में शामिल किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, व्यापारियों की सुविधा के लिए हम चालू वित्त वर्ष के दौरान अंतर्राज्यीय क्रेताओं द्वारा अपेक्षित वैधानिक प्रपत्रों को भौतिक रुप में जारी करना पूरी तरह बंद कर देंगे।

107. अध्यक्ष जी, वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल के दाम सभी मेट्रो शहरों की तुलना में सबसे कम है औ पड़ोसी राज्यों हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में प्रचलित दरों से भी कम हैं। मैंने इस मुददे पर गंभीरता से विचार किया है और मेरा यह मानना है कि दिल्ली के नागरिकों को कुछ राहत देने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पहले भी जब डीजल के दाम बढ़े थे जो हमने मूल्य-वृद्धि घटक पर वैट से छूट देकर लोगों को राहत पहुचाई थी। इसी प्रकार, मैं पेट्रोल के दामों में हाल में घोषित बढ़ोत्तरी को 20 प्रतिशत वैट से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव काफी हद तक कम होगा।

108. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार तम्बाकू और तम्बाकू से बने उत्पादों के उपभोग को हतोत्साहित करने के प्रति वचनबद्ध है, जो अनेक घातक बीमारियों के प्रमुख कारणों में से एक है। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने पिछले वर्ष गैर-विनिर्मित तम्बाकू, बीड़ी के निर्माण में प्रयुक्त तम्बाकू तथा हुक्का तम्बाकू पर 12.5 प्रतिशत की दर से वैट लगाया था। अब मैं इन उत्पादों पर वैट की दर बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं जिससे इनकी दर भी तम्बाकू और गुटके के समान हो जायेगी, जिन पर पहले से 20 प्रतिशत की दर से वैट लागू है।

109. अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष, केन्द्र सरकार ने टेक्स्टाइल्स पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से मुक्त किया था, जिससे राज्य सरकारों को इन वस्तुओं पर वैट लगाने का अधिकार मिल गया था। पिछले वर्ष हमने कुछ अपवादों को छोड़कर टेक्स्टाइल्स पर वैट नहीं लगाया था। अब उस स्थिति को जारी रखना संभव नहीं है। लेकिन, साथ ही मैं समाज के कमजोर वर्गो पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती। इसलिए मैं 300 रुपये प्रतिमीटर तक लागत वाले सभी प्रकार के टेक्स्टाइल्स, 600 रुपये तक मूल्य के पीस या सेट और 1000 रुपये मूल्य तक की साड़ियों को वैट से मुक्त रखने का प्रस्ताव करती हूं। उपरोक्त सीमाओं से ऊपर मूल्य के सभी टेक्स्टाइल्स पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव है। किन्तु, खादी पर छूट जारी रहेगी।

110. अध्यक्ष जी, प्लास्टिक से बने 'इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले' कपों और गिलासों का उदारता से इस्तेमाल न केवल हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है, बल्कि सीवर प्रणाली के लिए भी एक बड़ा संकट है। इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए मैं प्लास्टिक से बने कपों और गिलासों पर वैट की दर मौजूदा 5 से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।

111. हमारी सरकार 'ब्लड फिल्टर्स (ल्युकोसाइट फिल्टर्स)' को वैट से छूट दे कर थैलेसेमिया के रोगियों को पहले ही कुछ राहत पहुंचा चुकी है। अब मैं, रक्त संग्रह और संचरण की लागत में कमी लाने के लिए, 'ब्लड बैग्स' को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं, जिस पर वर्तमान में 12.5 प्रतिशत की दर से वैट लगाया जाता है।

112. अध्यक्ष जी, मैं महावर, हेयरपिनों, हेयरबैंडों, हेयर क्लिपों, सेफ्टि पिनों और साड़ी फालों को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं रसोई में बर्तन साफ करने के काम आने वाले 'जूने' को भी वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं।

113. हम सभी नागरिकों की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हैं। मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि आम तौर पर हमारे धार्मिक अनुष्ठानों तथा त्योहारों पर इस्तेमाल होती हैं, तथा जिन पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगता है। इन वस्तुओं में रोली, कृपाण, धार्मिक संस्थानों के प्रसादम, जनेऊ और प्रसाद के रुप में मिसरी और पताशा शामिल हैं। मैं इन सभी वस्तुओं को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं।

114. अध्यक्ष जी, बच्चों के कल्याण के लिए मैं ट्राईसाइकिल और पंतगों को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अतिरिक्त मैं स्कूली बच्चों के लिए ज्योमेट्री बॉक्सों, कलर बॉक्सों, कलर बॉक्सों, क्रेयोस और पेंसिल शार्पनर्स को भी वैट से मुक्त रने का प्रस्ताव करती हूं, जिन पर फिलहाल 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है।

115. अध्यक्ष जी, दिल्ली में वैट प्रणाली शुरु होने के बाद से हम परिवहन क्षेत्र में काम आने वाली कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) को वैट से निंरतर छूट देते

आ रहे है, हालांकि राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्रापत समिति की सिफारिशों के अनुसार इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली में अन्य प्रकार के ईधन जैसे डीजल और पेट्रोल पर क्रमशः 12.5 और 20 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाता है। मैं परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल की जाने वाल सीएनजी पर 5 प्रतिशत की समान्य दर से वैट लगाने का प्रस्ताव करती हूं। यहां इस बात का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सीएनजी पर पहले से ही, क्रमशः 12.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की दर से वैट लगाया जा रहा है।

116. अध्यक्ष जी, कुछ व्यापारी इन्वर्टरों, जिन पर दिल्ली में 12.5 प्रतिशत की दर से वैट लगता है, की ब्रिक्री को बिलों में यूपीएस सिस्टम्स की ब्रिक्री के रुप में दर्शाते हुए वैट की चोरी कर रहे हैं। यूपीएस सिस्टम्स और उनके हिस्से-पुर्जो पर 5 प्रतिशत की दर से वैट लगता है। यहां यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि इन्वर्टरों और यूपीएस सिस्टम्स के विनिर्माण में प्रयुक्त ज्यादातर हिस्से/पुर्जे एक जैसे होते हैं। इसलिए, एकरुपता और स्पष्टता लाने के लिए मैं यूपीएस सिस्टम्स और उनके हिस्से-पुर्जो पर 12.5 प्रतिशत की दर से वैट लगाने का प्रस्ताव करती हूं।

117. अध्यक्ष जी, मैं अधिकतम 500 रुपये प्रति जोड़ी खुदरा मूल्य तक के प्लास्टिक, रबड़ और रेक्सीन से निर्मित फुटवियर को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं, बशर्ते अधिकतम सुदरा मूल्य स्वंय फुटवियर पर अमिट रुप में अंकित या उभारकर दर्शाया गया हो। इससे भी दिल्ली के आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी।

118. राज्य में ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र और भूमिका का विस्तार करने और सेवाओं तक किसी भी समय, कहीं भी सक्षम, भरोसमंद और पारदर्शी तरीके से नागरिकों की पहुंच की आवश्यकता का महत्व समझते हुए सरकार ने ''इक्साइज सप्लाई चेन इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम'' (ईएससीआईएमएस) शुरु किया है। इस प्रणाली से डिस्टिलरी से लेकर ब्रिक्री के बिन्दु तक शराब की प्रत्येक बोतल पर निगरानी रखी जा सकेगी। इससे विभाग को राजस्व की चारी और कर वंचना रोकने में मदद मिलेगी।

119. सरकार अदालत फीस अधिनियम, 1870 के कार्यान्वयन का तर्कसंगत और सुचारु बनाना चाहती है। ये शुल्क बहुत समय पहले तय किये गये थे जो वर्तमान संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता गवा चुके हैं। सरकार कोर्ट फीस के भुगतान के लिए इलेक्ट्रोनिक माध्यम की सुविधा शुरु करने पर भी विचार कर रही है। जमीन जायदाद के सौदों में काले धन का प्रवाह रोकने के लिए भी सर्कल दरों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है। जैसी कि पहले कहा जा चुका है, सर्कल दरों को युक्तिसंगत बनाने से नगर निगमों को भी लाभ होगा।

120. यह स्पष्ट है कि हमें अंतरित बजट में प्रस्तावित पैमाने से अधिक बड़े पैमाने पर संसाधन जुटान की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी इसके बावजूद मैंने यथासंभव नागरिकों के व्यापक वर्गो को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। प्रस्तावित नई करों की दरों को भी न्यूनतम रखा गया है।

121. अध्यक्ष जी, मैं बजट सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं।

Hon'ble Speaker, Sir,

I rise to present the budget for the financial year 2012-2013.

2. We are on the cusp of momentous change. The year 2011-2013 is the first year of a new plan period, the Twelfth Five Year Plan (2012-2017). During this period we look forward to Delhi emerging as a 'Caring City' ; a city in which the citizens proudly aspire to and secure a future for themselves and their children. We will continue to look more intensely at the educational, health, and financial needs of the weaker sections. We would like to see Delhi developing into a 'Good City' to live in, and; a city that caters to the needs of all sections of society. We will pay special attention to qualitative improvements of the vastly upgraded physical; infrastructure and expansion of the roads, power, metro, and water networks. Finally, the Twelfth Plan period should see the city fulfilling the needs of the productive and creative citizenry. We shall be looking to the training, skill up-gradation, and financing needs of the youth of Delhi. Therefore, the underpinning principles of our vision for Delhi in the new five year plan is of a 'Good, Productive, and Caring city.' We will reach out to all those who toil ceaselessly and help to build this city.

3. Sir, even while presenting the budget for the year 2011-2012 before this august house, it was my hope that every citizen of this great city would be an active participant in the planning process. Sir, I am happy to inform that we have substantially achieved this objective. We have greatly benefited from the suggestions and inputs received from the citizens of Delhi, academicians, academic and research institutions, non-governmental organizations, and elected representatives.

4. It would be recalled that the underlying theme of the Eleventh Five Year Plan 2007-2012 was 'Development with a Human face'. We have successfully implemented the said plan. We

utilized more than 98 percent of the approved plan outlay and substantially achieved the physical sectors. In fact, in the financial year just concluded, the utilization of plan funds touched almost 98 percent, despite the fact that, due to elections to local bodies, there was as inevitable slow down in the last two months of the financial year.

5. Sir, in the Twelfth Plan, we have proposed an outlay of Rs 90,000 crore compared to Rs 54799 crore in the Eleventh Plan. The proposed plan outlay for the Twelfth Plan represents a 64 percent step up over the Eleventh Plan. We intend to increase the plan outlay in the social services sectors by 111 percent compared to the Eleventh Plan.

6. Sir, it is a matter of record that my Government has emphasized administrative reforms and new socioeconomic initiatives. Hon' members will agree that there is a visible impact of the reforms and initiatives in the city landscape, human development parameters, and improvements in physical and civic infrastructure in the last thirteen years.

Economic Scenario

7. The Gross State Domestic Product of Delhi at current prices increased from Rs 264496 crore in 2010-11 to Rs 313934 crore in 2011-2012, registering a growth of 18.7 percent. In real terms the growth in GSDP of Delhi in 2011-2012 at 11.3 percent far exceeds the 6.9 percent at the national level. The real growth rate in GSDP of Delhi in the Eleventh Plan was 11.46 percent, compared to 7.94 percent at the national level. Thus, the economy of Delhi is substantially on the path of economic growth.

8. The contribution of Delhi to the national level GDP is about 3.8 percent, while the share of Delhi in the total population of the country is 1.4 percent. The per capita income of Delhi in 2011-

2012 is estimated to be Rs 1.76 lakh as against the national level figure of Rs 60972. The per capita income in Delhi is about three times the per capita income at the national level. In respect of per capita income, among all the states and union territories, Delhi ranks second.

Price Situation

9. The rate of inflation based on the consumer price index for industrial workers in Delhi during 2011-2012 was 7.83 percent. It was 10.11 percent in Mumbai, 7.98 percent in Chennai and 8.33 percent at the national level. Although, the increase in retail prices of essential commodities was a national phenomenon, the rate of inflation in Delhi in 2011-2012, as compared to other metropolitan cities and at the national level, remained the lowest due to constant monitoring and market interventions.

Financial Position

10. Tax collections have registered a growth of 21.2 percent in 2011-2012 despite the global economic crisis. The adverse impact of economic slowdown is reflected in the VAT collections that registered a moderate growth of 14 percent in 2011-2012. However, hard policy decisions and better tax administration is reflected in the impressive growth in other areas such as the 65 percent increase in Stamps and Registration Fees, 48 percent in Motor Vehicle Tax and 25 percent in State Excise. Overall increase in tax collection has, as a matter of fact, benefited even NDMC and the erstwhile MCD, and it will continue to benefit the newly created three corporations. The proposed target in the current fiscal year (2012-2013) for tax collection is Rs 26150 crore. This would represent a growth of 31 percent over the tax

collection of Rs 19972 crore in 2011-2012. Tax GDP Ratio which was 6.36 percent in 2011-2012 is expected to increase to 7 percent in 2012-13.

Debt Position

11. Sir, to meet our development expenditure needs, our endeavor is to mobilize more revenue and reduce our dependence on small saving loans. The budget for the current year places zero dependence on small saving loans. I am happy to inform the House that our outstanding loan, which was Rs 30140 crore as on March 31,2011 has been reduced to Rs 29608 crore as on March 31,2012. We expect to further reduce our outstanding debt to Rs 28308 crore by the end of the current financial year. Our Debt-GSDP ratio reduced from 16.04 percent in 2007-2008 to 9.43 percent during 2011-2012, which I am happy to say, is the lowest in the country.

Non-Plan Support to Public Utilities

12. The Delhi Jal Board has succeeded in meeting all non-Plan expenditure from its own resources. Neither in 2010-2011 nor 2011-2012 did Delhi Jal Board seek non-plan support from the Delhi Government. Indeed, Delhi Jal Board managed to repay the principal loan amount of Rs. 81.36 crore to Delhi Government in 2011-2012 against the plan loan received by it during the previous year.

13. Revenue earnings of the Delhi Transport Corporation have also shown some improvement. However, its revenue collections, within the existing fare structure, are not enough to meet its increased non-plan expenditure. I propose to provide DTC a non-plan grant of RS 600 crore to meet its non-plan deficit during 2012-13.

14. Similarly, Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) has very limited finances and its ability to raise resources internally is presently severely restricted. I propose to provide DUSIB too a non-plan grant of Rs 6 crore to meet its non- plan deficit during 2012-2013.

Trifurcation of MCD

15. Sir, the newly constituted municipal bodies have inherited the poor financial position of MCD. I propose to provide non-plan loans of Rs 1831 crore to the three new corporations besides devolution of funds of Rs 2400 crore to local bodies by way of non-plan grant, share in 'Basic Tax Assignment and Incentive for Municipal Reforms' in the current year's budget. This is as per the recommendations of the Third Delhi Finance Commission. Under planheads Rs 1746 crore is being provided. The total amount earmarked for the three corporations in the current financial year would be Rs 5863 crore.

Fiscal Deficit

16. Fiscal deficit of Delhi was estimated at Rs3177 crore in 2011-2012 (Revised Estimate) which is 1.01 percent of GSDP, compared to all- States' estimated figure of 2.2 percent of GDP during the year. The fiscal deficit is proposed to be reduced to Rs 2604 crore in 2012-2013.

Budget Estimates for 2012-13

17. Total proposed expenditure for the current year is fixed at Rs 33436 crore. This is Rs 2466 crore more than the Interim Budget of Rs 30970 crore for 2012-2013. The non-plan expenditure is

proposed to be increased from Rs 15811 crore to Rs 18268 crore. This is mainly due to the non-plan loans of Rs 1831 crore to the three Municipal Corporations, additional provision of Rs. 275 crore for devolution to local bodies as a result of increase in the current year's target of tax revenues, additional provision of non-plan grants of Rs. 95 crore for cluster buses, Rs. 86 crore for DTC, and Rs. 60 crore for DUSIB to meet their respective non-plan deficits during 2012-13.

18. While there is no change in the size of the annual plan pegged at Rs 15000 crore, the provision for Centrally sponsored Schemes is being increased from Rs 159 crore to Rs 168 crore.

19. Our projected estimate of receipts has increased by Rs. 1979 crore over Rs 27552 crore in the interim budget, essentially on account of increase in the tax revenue target by about Rs. 1840 crore, non-tax revenue by Rs 28 crore, capital receipts by Rs. 102 crore, and grant for CSS of Rs. 9 crore. The total receipts are now pegged at Rs. 29531 crore.

20. The proposed budget of Rs 33436 crore will be funded out of tax revenues of Rs. 26150 crore, non-tax revenues of Rs. 726 crore, capital receipts of Rs 728 crore, grant-in-aid from the Central Government of Rs 1928 crore and Rs. 3904 crore from the opening balance of the current year. Thus 94 percent of the proposed budget will be financed from our own resources and 6 percent as grant from the Center.

Major Programs

21. Sir, the Annual Plan-2012-2013, is the first Annual Plan of the Twelfth Plan. Government hopes to touch the lives of citizens in several positive ways. We will deepen and widen the social safety network to cover the vulnerable sections of society. Children, particularly the girl child, have been and will continue

to be an area of special attention. Skill up-gradation and opportunities for self-employment shall be an area of focus for government particularly for those belonging to the SC/ST/OBC and minorities category. We will continue our efforts to improve the road infrastructure by upgrading the roads for which the government has assumed responsibility from the erstwhile Municipal Corporation of Delhi. As already announced recently, we intend to make the outer Ring Road totally signal-free. To secure our goals and objectives we will take steps to improve resource mobilization and speed up scheme execution.

22. Our emphasis in the Twelfth Plan shall be on the social services sectors so as to achieve even more inclusive growth. Thus, out of the total proposed plan outlay of Rs 15,000 crore, the social services sectors have been allocated Rs 9796 crore, accounting for 65 percent of the total plan outlay in 2012-2013 as compared to 59 percent in 2011-2012.

Social Security and Welfare

23. It is said that the test of a civil society is the manner in which it treats its children and the elderly because it is the growing and fading years that make individuals the most vulnerable. This is compounded by gender and caste factors. Thus we have all along been concerned with the condition and fate of these sections. The need to nurture children, assist the youth, and taking care of the elderly have led the government to forge many of its responses and devise several programs.

24. Hon' Members will agree that government has already taken up a number of programs for social security and welfare of the economically weaker and vulnerable sections of society. We will continue to strengthen all such schemes. In the sphere of education, for instance, we have introduced higher rates of

scholarships for SC/ST/OBC/ Minority students. Provision for payment of stipend of Rs 1000 per annum to each student of SC/ST/Minority from Class-I to Class-VIII in government and government-aided schools has been made. Free supply of text books, cash subsidy for school uniforms ranging from Rs 500 to Rs 900, Lal Bahadur Shastri scholarship for meritorious to minority students are all designed to touch the lives of the most disavantaged sections of society.

25. The 'Ladli Scheme' that seeks to promote institutional births and female literacy benefited 5 lakh girls. The Matri-Shishu Suraksha Yojana, Janani Suraksha Yojana, and the distribution of free sanitary napkins to more than 7.17 lakh girl students in 708 government and government-aided schools under the 'Kishori Scheme' are all gender sensitive programs. Similarly, the senior citizens of 70 years and above, SC senior citizens of 60 years and above and SC women in distress are entitled to the higher rate of financial assistance of Rs 15000 per month.

26. By setting up the Arogya Koshto provide financial assistance to the EWS households for treatment of critical diseases, in addition to the financial support given to EWS households under Arogya Nidhi, Rastriya Swasthya Bima Yojana we shall be coming to the aid of citizens at the time of their greatest need for financial assistance. 94 ICDS projects, 10,607 Aanganwadi Centers, and 90 mobile dispensaries for primary healthcare to EWS households are a part of the health package for the economically disadvantaged.

27. Construction of flats by Delhi Government for the rehabilitation of slum dwellers is another program which is being vigorously pursued. Allotment of flats to eligible Scheduled Caste J.J. Cluster households free of cost would assist in providing affordable housing for the EWS.

28. Sir, as you are aware government is facilitating provision of free of subsidized meals through the 'Janaahar' and 'Aap Ki Rasoi' initiatives. It has been decided to further strengthen food security. Therefore, new welfare measures to supplement the efforts are being introduced.

29. Sir, I am very happy to announce the launch of the 'Dilli Annashree scheme'. Government will provide food subsidy of Rs 600 per month in the form of cash transfer to vulnerable households not covered by either BPL cards or food supply under the Annapurna/Antodaya Yojana. I may remind the Hon' members that the proposed cash transfer of Rs 600 per month for the food subsidy will be in addition to free education, health insurance, pension to senior citizens, disabled persons and women in distress, assistance for marriage of daughters of widows, low cost housing for the urban poor, and a number of other schemes for the poor. With this, government shall be able to cater substantially to the needs of the poor in the spheres of *roti, shiksha, and swastha.*

30. In the current year about two lakh most vulnerable households would be covered. The food subsidy of Rs 600 per month would be transferred directly in the bank account of the senior most female member of the household. I propose Rs 150 crore in the current financial year for this scheme.

31. Sir, as per Census 2011, in Delhi about 1.75 lakh households (5.3 percent of the total households) rely on kerosene for cooking. Government has decided to provide one time cash subsidy of Rs 2000 to all these households for obtaining an LPG connection and purchase of a gas stove. I propose to provide Rs 40 crore in the current financial year, so that we way declare Delhi as the first kerosene free city in the country with all households having LPG connections. This would be another milestone in our efforts to improve the quality of life in Delhi. We hope to secure the support of Government of India in this endeavor.

32. The emergence of the service sector in Delhi has significantly altered the profile of the employment market. There is an increasing need for trained professionals whose skills match the needs of available jobs. Accordingly, an 'educational hub' that will provide for various professional courses like nursing, ANM, physiotherapy technician, medical lab technician, and radiology technician is proposed to be set up at Bakkarwala. Further, government will also upgrade the skills of 60000 unemployed youth from the vulnerable sections under the Swaran Jayanti Shahri Rojgar Yojana (SJSRY) which will open up several employment opportunities.

33. Sir, the above training and skill up-gradation programs need to be supplemented with opportunities for employment for the Scheduled Castes/Minorities/OBCs. Government has therefore decided to implement a new state level plan scheme to be known as the 'Dilli Swarojgar Yojana for SC/ST/Minorities/OBCs. We will provide loans up to Rs 5 lakh to an entrepreneur willing to set up a venture in Delhi. I propose a budget provision of Rs 50 crore for this new plan scheme in the current financial year.

34. Sir, for the rescue and rehabilitation of child labor, a new plan scheme will be implemented in the current financial year, for which I propose a budget provision of Rs5 crore. For the treated mentally challenged with no place to go to, we intend to set up five Half-Way Homes at Rohini, Dwarka, and Narela at a cost at Rs 47 crore. I propose a budget provision of Rs 14 crore in the current year. New homes for the mentally challenged will be set up at Narela to provide accommodation to about 2000 persons. Government has decided to set up a separate juvenile home for children up to the age of 10 years.

35. The government is committed to the equality of opportunity to all citizens and consequentially its responsibility to protect and assure the rights of minorities. Government is particularly

concerned about the urgent need to enchance the level of education, health, and employment potential of those communities amongst the minorities that have lagged behind on human development indicators, highlighted by various studies. Therefore, we intend to open about 150 Anganwadi centers, 15 new Gender Resource Centers (GRC) for women in minority concentration districts, and improve the physical infrastructure and learning environment in all Urdu medium schools. Through Mission Convergence, we intend to start 10 new centers for capacity building of unemployed minority youths to promote employment avenues for them.

36. Sir, for implementation of all on-going and new plan schemes under Social Security and Welfare Sectors, I propose a budget provision of Rs 1737 crore for the year 2012-2013 which is 34 percent higher than budget provision of Rs 1298 crore in the Annual Plan 2011-12 The budget provision for SC/ST/OBC/ Minorities welfare under various schemes is Rs 714 crore.

Reforms in Governance

37. Just as in the previous year we took steps to expedite clearances and made major changes in the institutional arrangements for project clearances, we will continue to ensure that project clearances are speeded up. I am happy to report to this august house that due to strict economy measures we were able to affect a 5 percent savings in non-plan expenditure in the just concluded fiscal year of 2011-2012. In absolute terms this means a saving of Rs 680 crore. In view of the increase in non- plan allocation of over Rs 2457 crore we shall take required measures to trim non-plan expenditure by instituting a comprehensive economy drive.

38. These efforts will need to be supplemented by the local bodies too. Unless the newly created local bodies focus on their core

responsibilities, curb wasteful and unnecessary expenditure, and make sincere efforts to mobilize resources of their own, our reforms in the sphere of municipal governance to ensure effective delivery and partner a meaningful development effort may not yield required results. I am confident the local bodies will take the required steps in this direction. In fact the introduction of such reforms will also enable them to claim funds from the incentive grant fund earmarked for them over the years but lying unutilized.

39. We have taken up the modernization and up-gradation of the thirteen sub-Registrar offices. The office at Mehrauli has been taken up at a cost of Rs 5.82 crore as the first model sub-Registrar office. It will be commissioned on July 1, 2012. Rest will be completed by the year end, and a provision of Rs 49 crore has been kept in the current year for this project.

40. Sir, being committed to improving the quality of public services within a well defined time frame, a new legislation, the Delhi (Right of Citizen to Time-bound Delivery of Services) Act, 2011 was enacted and come into effect on September 15, 2011. This Act ensures time- barred delivery of services to citizens failing which the officials concerned will be liable to pay the prescribed penalty. 96 services have been covered under this Act benefiting the general public to obtain time- barred delivery of services. More services are proposed to be brought under the ambit of this Act.

Health

41. Sir, Government has taken a number of steps to provide preventive, curative and rehabilitative healthcare services to the citizens of Delhi by creating a vast healthcare infrastructure in the form of health centers, special clinics, super-specialty

healthcare institutions, public health programs with preventive and curative measures. With the implementation of these programs we could increase bed-population ratio in Delhi from 2.25 beds in 2004 to 2.55 beds in 2011. Our approach in the Twelfth Plan will be to increase the bed-population ratio to 3 beds per thousand population.

42. The requisite number of additional hospital beds will be provided in both the public and private sector. In the public sector, Government of Delhi are planning to add 2900 new hospital beds with the construction of 06 new 200 bedded hospitals, one new 100 bedded, a 750 bedded new hospital-cum- medical college, and the expansion of various existing hospitals with the construction of additional blocks. Construction of new hospitals will be started at Burari, Ambedkar Nagar, Hastsal, Siraspur, Madipur and Sarita Vihar.

43. The second phase of the Delhi State Cancer Institute is proposed to be taken up in the current financial year so that its bed capacity may be increased from 150 to about 300 beds. One more center of DSCI (West) will be set up st the Super Specialty Hospital, Janakpuri.

44. Sir, Deep Chand Bandhu Hospital at Ashok Vihar, super-specialty hospitals at Janakpuri and Tahirpur will be made operational in the current financial year. This will add approximately 1150 beds to the existing capacity.

45. The Maulana Azad Institute of Dental Sciences, the Institute of Human Behavior and Allied Sciences, Chacha Nehru Bal Chikitshalaya, and Institute of Liver and Billiary Sciences have all been accredited by National Accreditation Board of Hospitals.

46. Last year I had announced the new plan scheme 'Chacha Nehru Bal Sehat Yojana,' Comprehensive health checkups of around 1.78 lakh students up to 14 years of age in government and

government-aided schools have been completed. Referral services and subsequent medical assistance is also part of this scheme. A de-worming drive covering over 30 lakh children of 2-18 years of age, including school going and our of school children, was undertaken. The deworming campaign shall be an annual feature. Government will launch a weekly iron and folic acid supplementation program for all adolescents between 10-19 years of age studying in Delhi government school. I propose a budget provision of Rs 100 crore in 2012-2013 for Chacha Nehru Bal Sehat Yojana.

47. A diabetes and hypertension screening program for urban slum dwellers was launched. About 623 slums covering 58 Assembly Constituencies have already been covered.

48. We propose to introduce from this year improved immunization cover for children by providing pentavalent vaccine which is a 5 in 1 vaccine and includes diphtheria, pertussis, tetanus (DPT), hepatitis B and haemophilus influenza Type B. This vaccine will not only reduce the number of injections or pricks to be given to a child from 3 to 1 but will also protect the child against diseases such as pneumonia, meningitis and ear infections. This in turn will facilitate achievement of our objective of reduction in the Infant Mortality Rate (IMR), and the under 5, mortality rate.

49. Sir, people living with HIV/AIDS require lifelong treatment to prevent severe infections. They also need extra nutrition and balanced diet to cope with their compromised immune system. Government has decided to give financial assistance of Rs 1000 per month to poor persons suffering from HIV/AIDS for anti-retroviral treatment. Orphaned children infected with HIV/AIDS will be given Rs 2050 per month and those affected by HIV/AIDS Rs 1750 per month. I propose a budget provision of Rs 5 crore for this scheme in 2012-2013.

50. For specialized treatment of life threatening diseases EWS households face lot of problems due to very high costs. Government have constituted Delhi Arogya Kosh with a grant of Rs 110 crore in 2011-2012 to provide financial support for treatment of critical diseases to EWS households with an annual income of Rs 1 lakh. I propose to raise the eligibility income level from the existing Rs 1 lakh to Rs2 lakh to benefit more needy persons.

51. Sir, at present 24 dialysis machines are available in hospitals of Delhi Government and about 8000 patients need dialysis services in Delhi. Thus, our government decided to setup 100 dialysis machines spread over four locations under PPP mode. The dialysis centers shall be functional in the current financial year.

52. At present CAT is providing ambulance service through its fleet of 35 Ambulance vans. This fleet will be expanded with purchase and addition of 70 new ambulances in the current year.

53. I propose a plan outlay of Rs 2124 crore for the health sector which is 14.16 percent of total plan outlay in 2012-2013 compared to 12.8 percent in 2011-2012. The increase in the health sector outlay is 16.6 percent in 2012-13 over the previous year.

Education

54. Sir, with the huge effort made to expand and improve educational infrastructure, the literacy rate in Delhi increased from 75.29 percent in 1991 to 81.67 percent in 2001 and further to 86.34 percent in 2011. The number of literates in Delhi increased from 59 lakh in 1991 to 97 lakh in 2001 and further to 145 lakh in 2011.

55. The priority accorded to education by government is indicated by the huge increase in plan expenditure under this sector. The

plan expenditure on eduction in Delhi has increased from Rs 337 crore in 2004-2005 to Rs 1313 crore in 2011-2012, which represents nearly a four time increase. I propose a budget provision of Rs. 1901 crore for this sector which is 12.67 percent of total plan outlay in 2012-2013 compared to 9.44 percent in 2011-2012.

56. Government is committed to provide access to education to every child at his/her door step. Twenty-six schools have been upgraded and 05 schools have been converted into Sarvodaya Vidyalayas. New streams have been added in 44 Senior Secondary Schools. At present there are 961 Delhi Government schools, including 377 Sarvodaya Vidyalayas. Financial assistance is also being provided to 216 aided schools. About 15 lakh students are enrolled in government schools whereas about 1.70 lakh are in aided schools.

57. Sir, Delhi took the lead in implementing the Right to Education Act to provide free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years. Government of Delhi is reimbursing the cost of all EWS students admitted to public schools. More than 14,000 EWS category students got admission to private schools in 2011-2012 under free ship quota. In 2012-2013 about 20,000 EWS students are expected to get admissions in private schools in Delhi.

58. At present students of Class I to VIII get free text books and uniform subsidy. I propose a cash subsidy for purchase of writing material/stationery of Rs 300 per annum to students of Class I to V and Rs 400 per annum to student of Class VI to VIII students in government and government-aided schools. This new scheme will benefit about 8 lakh students with an annual expenditure of Rs crore.

59. Rajkiya Pratibha Vikas Vidhyalayas of Delhi Government are today among the best schools in Delhi securing 100 percent

results at the secondary and senior secondary level. In 2012-2013, 'smart classes' will be started in one section of each class from the 9th to 12th in all Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalayas.

60. A hundred sites have been identified for the construction of new school buildings. Possession of 90 sites has already been taken. Construction of 29 new school buildings and 13 semi-pucca structure (SPS) school buildings will be started in the current financial year.

61. Construction of buildings for Delhi government funded colleges will be a major program in the higher eduction sector. Construction of buildings for Deen Dayal Upadhyay College at Dwarka, Shaheed Sukhdev College of Business Studies at Rohini, Maharishi Balmiki College of Education at Rohini, Bhagni Nivedita College at Kair are proposed to be started during this financial year.

62. Construction of buildings for Delhi government funded colleges will be a major program in the higher education sector. Construction of buildings for Deen Dayal Upadhyay College at Dwarka, Shaheed Sukhdev College of Education at Rohini, Bhagni Nivedita College at kair are proposed to be started during this financial year.

63. Similarly, work on the second campus of Guru Govind Singh Indraprastha University (GGSIP) at Surajmal Vihar will be taken up during the year 2012-2013.

64. Sir, we started the 'Yuva Nirman Scheme' with the intention to provide half of the tuition fees of professional courses to the EWS category of Delhi State Universities students. Till now, reimbursement is allowed to the EWS students having family income up to Rs 1 lakh per annum under this scheme. I propose to increase the eligibility income of a family from Rs 1 lakh to Rs 2 lakh from the current academic year. I also propose to

increase the award amount from Rs 5000 to Rs 10,000 to the meritorious students of the state universities from this year.

64. Sir, Delhi Institute of Hotel Management is now functioning in its own complex. In view of the growing demand for trained and suitable manpower for hospitality and tourism sector, the intake capacity of B.Sc. course has been increased from 60 to 120 students. This institute got the National Award for Best Placement Performance for the year 2010-2011 from the Government of India, Ministry of Tourism.

65. Indira Gandhi Institute of Technology will be upgraded and restructured as Indira Gandhi Technical University for Women in the current financial year through a bill proposed to be introduced in this session.

Housing & Urban Development

66. Sir, as per the report of Census 2011, about 99 percent of the households have electricity connections in Delhi, compared to 67 percent at the national level.

67. About 90 percent of the total households are using LPG for cooking as compared to 68 percent in 2001. As I mentioned earlier, our plan scheme to provide subsidy for getting LPG connections to about two lakh households will make Delhi the first kerosene free city in the country.

68. The first allotment of 500 EWS houses, constructed under JNNURM, will commence soon. This process of allotment of EWS houses will thereafter continue till all the already constructed 15000 EWS houses have been allotted to the JJ cluster households.

69. Development of rural and urbanized villages shall be another priority program in this plan period. Taking into account the

peculiar problems of urbanized villages in Delhi, Government have decided that Urban Development department will approve and monitor development works in urbanized villages. I propose Rs 53 crore in 2012-2013 for providing basic civic amenities in the urbanized villages and Rs 192 crore for rural villages.

70. Sir, my Government is committed to regularize all eligible unauthorized colonies within the framework of the guidelines issued by the Government of India. This is a time consuming process in view of various requirement stipulated in the guidelines that are being dealt with by a number of departments and agencies. The regularization process of unauthorized colonies also entails provision of all basic civic services. Government has invested Rs 2597 crore till March 2012 for providing civic services in these colonies. I propose an amount of Rs 631 crore for the purpose in this financial year. If required, the amount will be suitably enhanced to ensure that development work in the unauthorized colonies does not suffer for want of funds.

71. Sir, the erstwhile Slum Wing rehabilitated about 65000 households from various JJ clusters in 29 Slum Rehabilitation Colonies wherein plots of 25 square meters, 18 square meters, and 12.5 square meters were allotted. To improve the civic services in all these Slum Rehabilitation Colonies Rs 85 crore were provided in 2011-2012 to Delhi Urban Shelter Improvement by the end of this financial year.

72. Sir, with the growth of population in this mega city, the number of the shelter-less is also increasing. DUSIB has set up 150 Night shelters in all parts of the city. 66 Night Shelters are functioning in permanent structures and 84 in temporary structures.

73. Further, DUSIB has been assigned the task of significantly improving the common services and facilities in 'katras'. I propose a provision of Rs 5 crore for this purpose.

74. Sir, we believe that people's participation is a crucial and essential requirement for development. We started the 'My Delhi I Care Fund Program' so that development works required in each colony, habitat, and locality may be suggested by the people through their RWA. In view of the increasing number of requirements being proposed by Resident Welfare Associations in each District, I propose to increase the provision for this scheme from Rs 5 crore in 2011-2012 to Rs 45 crore in 2012-13. From this financial year, each district can execute works annually up to Rs 5 crore. This should increase substantially the number of development works that can be taken up in each colony in a year.

75. A large number of families are residing in about 44 JJ Resettlement Colonies. Government has decided to grant confirmed ownership rights to the original allottees. Necessary recommendation is being made to the Government of India. Government is also seriously looking into issues involved in the grant of similar rights to other occupants.

Transport

76. On completion of the Signature Bridge at Wazirabad, Delhi will surely get an impressive iconic structure. The Signature Bridge project is slated for completion by December 2013. One carriage way of the flyover has been opened for traffic and the other carriage way will be thrown open to traffic in July 2012.

77. Sir, the erstwhile Municipal Corporation of Delhi could not maintain its road network. As such, Government took over 512 roads of 60 feet and above width having a total length of 645 kilometers. Now PWD will maintain and improve the condition of all such roads for which a budgetary provision of Rs 250 crore has been made in the current financial year.

78 Phase-II of Barapulla Nallah Road by-pass has also been sanctioned recently. This 8 kilometers long road will further decongest the Ring Road and provide an important link to INA Market. We would like to access funding under JNNURM for which an amount of Rs 240 crore has been proposed.

79. Sir, with the construction of a number of flyovers and RUBs, the Ring Road is now almost a 'Signal Free Road', except a small patch between Prembari Pul to Azadpur. As you are aware, it has been decided to make the Outer Ring Road also a 'Signal Free Road' with the construction of flyovers, RUBs and partly elevated road section between Vikaspuri and Wazirabad involving a cost of about Rs 2400 crore. This project will be started in the current financial year.

80. Sir, we have decided to replace all blue-line buses by the Corporate Sector Bus Operator System (cluster buses). About 265 corporate sector buses are serving the commuters of Delhi and their number is proposed to be raised to 1000 buses by the end of this financial year Sir, I would like to inform the Hon' members that Delhi Government got the National Award for the "Best PPP Initiative in Urban Transport" for introduction of this Corporate Sector Bus Operator Scheme.

81. DTC has a fleet of 3775 new low floor buses. It also has a fleet of more than 2000 old buses which we are planning to replace in phases. In the current financial year we propose to purchase 600 more new low floor buses to replace the old DTC buses.

82. Sir, work on the third Phase of Delhi Metro started in 2011-2012. With the completion of this phase, new metro lines of about 103 kilometers will be added to the existing Delhi Metro network making for a total of about 300 kilometers. The longest metro project from Mukundpur to Yamuna Vihar will connect a large number of presently unconnected localities.

83. To further improve the Multi-Modal Public Transport System we have decided to take up the first Mono Rail Corridor Project in the Trans Yamuna area. It will be developed by the Delhi Metro Rail Corporation.

84. I propose a plan outlay of Rs 3372 crore for the transport sector in 2012-2013, which is 22 percent of the total plan outlay.

Water Supply

85. Sir, as per the Census-2011 report, about 81 percent of the total households have piped water supply facility in Delhi against 75 percent in 2001. On the sanitation front also the impact of development is quite visible as about 90 percent of the households had toilet facilities in 2011, compared to 78 percent in 2001.

86. We are continuing our efforts to resolve the inter-state issues involved in the completion of the pucca channel from Munak to Haiderpur. The work for construction of two new Water Treatment Plants at Dwarka and Okhla is now at the stage of completion. On completion of the pucca parallel channel, the raw water saved will be made available to these new water treatment plants so as to improve the water supply position in Dwarka and other South Delhi localities.

87. Sir, the Chandrawal Water Treatment Plant is the first Water Treatment Plant of the city. Government of Delhi have approved the project of Delhi Jal Board for renovation of this plant as an Externally Aided Project involving an investment of more than Rs 2000 crore. Japan International Cooperation Agency (JICA) has agreed to fund this project along with technical support. On completion of the project, the water supply position will improve substantially.

88. Sir, a number of measures have been taken to reduce the level of non-revenue water. One of the major programs is to convert all non-metered water connections to metered connections. Out of the first lot of 2.5 lakh water meters, 2 lakh water meters have already been procured and installed. Action to procure 8 lakh more water meters has been initiated. The selected firms are required to supply and maintain the water meters for seven years.

89. Improvement with rationalization of water distribution system is a new program for 2012-2013. DJB will take up selected projects under this program for revamping of existing water supply, transmission, and distribution networks under PPP.

90. I propose a plan outlay of Rs 1800 crore for the water supply and sanitation sector in 2011-2013. This is 12 percent of the total plan outlay and 15 percent higher than the previous year.

Environment

91. Sir, total control of pollution in the yamuna will be an important program in the Twelfth Plan. The work of laying interceptor sewers along three major drains has started. On completion of the project and YAP-II schemes the discharge of pollutants will come down considerably.

92. Work of laying severage systems in villages and unauthorized colonies is in progress. With the covering of more and more villages and unauthorized colonies by sewerage system, the discharge of untreated waste water in the Yamuna will be checked. With the assistance of the Government of India, DJB has identified projects worth Rs 1600 crore to be implemented under YAP-Phase III.

93. New Sewage Treatment Plants of 25 MGD at Yamuna Vihar, 45 MGD at Kondli and 30 MGD at Okhla will be commissioned during this financial year leading to an increase in the total sewerage capacity from the existing 514 MGD to 614 MGD by March 2013. Expansion of Chilla and Delhi Gate Sewage Treatment Plants has been initiated so as to treat the total sewage discharged from the command areas of these two plants.

94. Sir, I wish to sincerely thank the citizens of Delhi who have shown enormous interest and contributed to the 'A Million Tree Campaign-2011'. With their cooperation and support we planted more than 1.4 million saplings against the target of 1 million. It is a matter of pleasure to place on record that, at present in Delhi, there are about twenty thousand small, medium, and large parks and gardens, and 40 City Forests.

95. Sir, students and children have played a leading role in protecting the environment in Delhi. It was possible through multifarious campaigns and activities undertaken by the 2000 eco-clubs. I propose to increase the annual financial support to each Eco-club from Rs 10,000 to Rs 20,000 in the current financial year.

96. Mahatama Gandhi Institute for Combating Climate Change (MGICCC) is proposed to be re-organized and re-structured as Mahatama Gandhi Institute of Urban Sustainability (MGIUS) for which a new bill is proposed to be introduced before this august House.

Industries

97. Sir, Government has decided to develop a knowledge-based Industrial Park near Baprola in an area of about 77 acres at a cost of Rs 1800 crore. This project will cater to the specific needs of the information technology sector, ITES, media, research and development, gems and jewels and business services. We expect the work to start in the current financial year.

98. Sir, about 22465 new industrial plots have been allotted by DSIIDC at Bawana, Narela for allotment areas. Construction of industrial units on 85 percent of the allotted plots has been completed at Bawana Industrial Estate.

99. A Green Field World Class Skill Up-gradation Centre is proposed to be developed at Jaunapur in collaboration with the Government of Singapore. A large number of educated unemployed as well as other workers will get facilities for upgrading their skills, and also enabling them to compete with the best technical manpower in the world.

100. Sir, DSIIDC has been assigned the responsibility to improve the maintenance of industrial estates. I propose a budget provision of Rs 50 crore in the current financial year for maintenance of industrial estates.

101. I have briefly tried to spell out the principles, goals, and thrust areas that shall guide us in the next five years. This blueprint will also serve as a benchmark for assessing our progress over the years. What is clearly evident is that we intend to build a caring compassionate, congenial, and productive city that voters to the needs of all citizens. It will be a world class city built to last.

102. I now turn to part B of my speech

TAX PROPOSALS

PART B

103. Sir, in Part A I have spelt out the programs and policies of the government, as also the approach to the Twelfth Plan. To build the city of our dreams the government will need to raise sesources. For instance, the need to provide a large sum as loans to the three munucipal corporations to bail them out of the financial mess they inherited has escalated the non-plan requirements enormously. It is also necessary to fulfill our commitments toward welfare schemes. This clearly imposes on us the duty to take some hard decisions that connot be postponed.

104. Accordingly, there will be a stress on focused enforcement, attention to arrears, drives against bougus registrations and fraudulent refund claims, expeditious disposal of appeals, and increase in the number/percentage of D-VAT audits. Measures for checking and preventing leakages and evasion of tax revenue shall also be introduced. resource position. They should be looking to lesser and lesser dependence on the state government just as we have reduced our dependence on the central government.

106. Sir, along with this drive to streamline tax administration, it is our earnest endeavor to simplify procedures, maintain transparency, and to move toward e-governance in all fields. The filing of sale and purchase details in physical form has been completely dispensed with, making it easier for the dealers to file returns from the comfort of business premises or even from home at time. Facility of online payment has been extended to all dealers through 17 banks authorized for the purpose. More banks are being added for the e-payment facility during the current year to provide a wider choice to our dealers. Sir, for the

convenience of the traders, we shall completely dispense with the physical issuance of the statutory forms needed by the inter-state buyers, during the current year.

107. Sir, at present, the price of petrol in Delhi is the lowest among all the metro cities and lower compared to the rates in the neighboring states of Haryana and UP too. I have deeply considered the matter and am of the view that the citizens of Delhi need to be provided some relief. Hon' menbers would recall that earlier too we had givenrelief to the people when there was an increase in the price of diesel, by exempting. VAT on the increased component of the price of diesel. Similarly, I propose to exempt the recently ammounced increase in the price of pertrol from the levy of 20 percent of VAT. This would cushion the impact of the increase to a considerable extent.

108. Sir, our government is committed to discourage the consumption of tobacco and tobacco products which is one of the major causes of many dangerous diseases. With this intention, last year government had levied VAT @ 12.5 percent on unmanufactured tobacco, bidis and tobacco used in manufacture of bidis and hooka tobacco. Now, I intend to raise VAT on these products further to 20 percent to bring these at per with tobacco and gutka which are already taxable @ 20 percent.

109. Sir, in the preceding year, the Union Government had exempted textiles from the levy of Additional Duty of Excise and thereby state governments were mandated to levy VAT on these items. We did not levy VAT on textiles, barring a few exception last year. This is now unsustainable. At the same time, I do not propose to place any burden on the weaker sections of society. I, therefore, intend to exempt all kinds of textiles costing up to Rs 300 per meter; piece or st costing up to Rs 600, and sarees up to Rs 1000. All textiles above these limits shall be taxed @ 5 percent. However, khadi will continue to remain exempted.

110. Mr. Speaker, Sir, the liberal use of cups and glasses made of plastic on a 'use and throw' basis is not only causing environmental pollution but is also a menace to our sewerage system. To discourage their use, I intend to enhance VAT on cups and glasses made of plastic from the existing 5 percent to 12.5 percent.

111. Our government has already exempted VAT on 'blood filters (lucocite filters)' giving some relief to patients of thalassaemia. Now, I propose exemption of VAT on 'blood bags' an item which is currently taxable @ 12.5 percent, so as to reduce the cost of blood storage and transfusion.

112. Sir, I propose to exempt VAT on mahawar, hairpins, hairbands, hairclips, hairclips, safetypins and saree falls. I also propose exempting VAT on 'Juna' , used in kitchens for cleaning of utensils.

113. We respect the religious sentiments of all citizens. I have noticed that there are certain commodities which are generally a part of our religious ceremanies and festivals and which are taxable @ 5 percent. These include roli, kirpan, prasadum by religious institutions, sacred thread and misri, patasha as part of prasad. I propose to exempt all from the levy of VAT.

114. Sir, for the welfare of the kids, I propose to exempt VAT on tricycles and kites. In addition, for the school going children geometry boxes, colour boxes, crayons and pencil sharpeners, presently taxable @ 5 percent, shall also be exempt.

115. Sir, since the intorduction of the VAT system in Delhi we have continuously forgone VAT on Compressed Natural Gas (CNG) used in the transport sector though the same should be taxed @ 12.5 percent as per the recommendations of the Empowered Committee of State Finance Ministers. I propose to levy VAT at a Moderate rate of 5 percent on CNG used in the transport sector. It is relevant to mention here that the neighboring states

of UP and Haryana are already livying VAT@ 12.5 percent and 5 percent respectively on CNG.

116. Sir, some traders are evading VAT on the sale of inverters which are taxable in Delhi @ 12.5 percent by reflecting the some to be sale s of UPS systems in their sales invoice. The sale of UPS systems and their parts attracts VAT of 5 percent only. It would not be out of context to mention here that most of the components/parts used in manufacturing of iverters and UPS systems are identical. Therefore, to bring uniformity and clarity, I propose to levy VAT on UPS systems and their parts @ 12.5 percent.

117. Sir, I also intend to allow exemption of VAT on plastic rubber, and rexene footwear having MRP less than Rs 500 per pair provided the MRP is indelibly marked or embossed on the footwear itself. This too will give some relief to the 'aam-admi' of Delhi.

118. To expand the scope and role of e-governance in the state and recognizing the need of the citizen to access services anytime, anywhere in an efficient, reliable and transparent manner, the Government have initiated the "Excise Supply Chain Information Management System" (ESCIMS). The system would enable tracking of every bottle of liquor from the distillery to the point of sale. This, in turn, will enoble the department to curb leakages and evasions of revenue.

119. The government proposes to rationalize and streamline implementation of the Court Fee Act, 1870. The rates of fees were fixed long back and have lost thier relevance in present day context. The government is also considering introduction of electronic mode for facilitating the payment of court fee. Besides it is proposed to rationalize the circle rates to curb the influence of black money in real estate transactions. As already mentioned, the rationalization of circle rates will benefit the municipal corporations also.

120. It is clear that we need to raise resources on a much larger scale than we had visualized in the Interim Budget. Despite this, Sir, I have tried to provide relief to as large a cross-section of citizens as was possible. I have also kept fresh levies to the bare minimum.

121. Sir, I commend the budget for consideration of the House.

Thank you

अध्यक्ष महोदय: मुख्यमंत्री जी ने काफी लम्बा बजट भाषण पढ़ा है, वो दो मिनट सा ले लें और हम एक बार हल्फे फुल्के मूड में आ जाएं। मुझे एक बात स्ट्राइक की, मैं यह किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, विशेष करके अपने पत्रकार महानुभावों से कह रहा हूं कि आप इसे अन्यथा मत लीजिए, दो लाइनें मैं आपके सामने रख रहा हूं-

धीरे धीर उठ जाएंगे सब देवन के ठाठ
चौकी रहेगी काठ की और बाबा पारसनाथ।

हमारे बाबा पारसनाथ तरविन्दर सिंह मारवाह हैं। अब मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करुंगा कि 2012-13 का बजट हाउस में पेश करें।

Chief Minister : Hon'ble Speaker, Sir, I present the Annual Budget for the Financial Year 2012-2013 before the House.

अध्यक्ष महोदय : अब मुख्यमंत्री जी वर्ष 2012-13 की डिमाड फार ग्रांट पेश करेंगी।

Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, I present the Demands for Grants for the Financial Year 2012-2013.

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री द्वारा सदन में पेश किए गए वर्ष 2011-13 के बजट भाषण पर बहस कल मंगलवार, 29 मई, 2012 से प्रारम्भ होगी।

अब सदन की कार्यवाही 29 मई, 2012 को 2.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 29 मई, 2012 को 2.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थागित की)